बृहस्पतिवार,
२७ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २७ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

(विदेशी विषेषज्ञ)

*७४९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सेवा में संलग्न विदेशी विशेषज्ञों की संख्या ; और

(ख) भारत-संयुक्त-राज्य शिल्पिक सहयोग करार के अधीन भारत में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १४ ।

(ख) ६४ ।

डा० राम सुभग सिंह : इन विदेशी विशषेज्ञों की उपस्थिति से हम खाद्य तथा कृषि के क्षेत्र में शिल्पिक ज्ञान प्राप्ति के विषय में किस हद तक स्वावलम्बी बन गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनकी उपस्थिति इसमें सहायक ह, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन विशेषज्ञों के यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिये औसतन कितना मासिक या वार्षिक व्यय करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका हिसाब लगाना बहुत कठिन होगा। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यह राशि तुलनात्मक रूप में क्षुद्र है ।

डा० राम सुभग सिंह : : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी विदेशी विशेषज्ञों को नवनिर्मित कृषि प्रचार विभाग से संयुक्त रखा जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : संभावना है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह निर्धारित नहीं हुआ है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : भारत-अमरीकी शिल्पिक सहयोग करार के अनुच्छेद १ की कंडिका ३ से हमें पता लगता है कि हमारी सरकार ने वचन दिया है कि वह अमरीकी निदेशक, उसके कर्मचारियों और विशेषज्ञों को यह देखने की सभी सुविधा देगी कि निधि को कैसे खर्च किया जाता है । क्या हम जान सकते ह कि अमरीकी निदेशक को तथा उसके विशेषज्ञों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी सूचना मांगनी होगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी विशेषज्ञों का यह प्रवाह कब तक जारी रहेगा और क्या उसे निकट भविष्य में रोक दिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : कालावधि तो उस वक्तव्य में उल्लिखित है जो पटल पर रखा जा चुका है । प्रत्येक शिल्पिक के विषय में यह दिखाया गया है कि उसके कब तक यहां रहने की सम्भावना है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विदेशी विशेषज्ञों को यहां विदेशी सरकारों के कहने पर बुलाया गया है या हमारी सरकार के सुझाव पर तथा हमारी सरकार द्वारा चुने गये विषयों के लिये ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे सर्वथा हमारे ही कहने पर यहां आये हैं ।

घी अपमिश्रण समिति प्रतिवेदन

*७४७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मई १९५१ में नियुक्त घी अपमिश्रण समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार ने समिति की किन किन सिपारिशों को स्वीकार कर लिया ह तथा लागू किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) समिति ने निम्न लिखित महत्वपूर्ण सिपारिशें की हैं :

(१) वनस्पति तल उत्पाद नियंत्रण आदेश १९४७ के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि वनस्पति तेल उत्पादन में तिल का तेल डाला जाय जिससे कि उत्पाद में बोडोइन परीक्षण हो सके जो कि तिल के तेल की ठीक कसौटी है । सरकार को विधि द्वारा यह सुनिश्चित कर देना चाहिये कि कारखाने में बने हुए प्रत्येक वनस्पति के साथ यह प्रमाणपत्र हो कि वह बोडोइन परीक्षण के लिये ठीक है । इस परीक्षण के व्यापक प्रयोग के लिये प्रयास होना चाहियें और नगरपालिकाओं तथा अन्य निकायों को कहा जाना चाहिये कि वे घी में वनस्पति की मिलावट को पकड़ने के लिये इसी परीक्षण का प्रयोग करें ।

(२) तिल का तेल मिलाने के अतिरिक्त देश में उत्पादित सभी वनस्पति में नारंगी रंग मिलाया जाये और इसके लिये करोटीन तेल के रंग का प्रयोग किया जाये ।

(३) वनस्पति में रासायनिक के रूप में निर्मित विटामिन 'ए' मिलाया जाय जिससे कि उसका पोषक मूल्य बढ़ सके ।

भारत सरकार ने सिपारिश संख्या १ तथा ३ को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, १९४७ के अधीन की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिवेदन अब प्राप्त हुआ था और सरकार ने इस पर निर्णायक विचार कब किया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब निर्णायक विचार हो चुका है अतः मेरे खयाल में

तारीख का कोई महत्व नहीं है। मैं तारीख तो नहीं बता सकता, यद्यपि मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का संकल्प अक्तूबर, १९५२ में कभी जारी किया गया था।

श्री एस० एन० दास : घी की विशषज्ञ समिति के क्या कृत्य थे ? क्या वे इसी प्रकार के थे जैसे कि इस समिति के थे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में समिति का प्रतिवेदन आ चुका है। वे प्रतिवेदन का हवाला दे सकते हैं।

श्री सारंगधर दास वे घी सम्बन्धी समिति के प्रति निर्देश कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : हां, श्रीमान्। घी अपमिश्रण समिति के अतिरिक्त घी के विषय में एक अन्य विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, मेरे विचार में, १९४९ में।

अध्यक्ष महोदय : वे एक अन्य समिति के प्रति निर्देश कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सिपारिश संख्या २ को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सिपारिश संख्या २ को निम्नलिखित चार कारणों से स्वीकार नहीं किया गया :

(१) यह सर्वसम्मत सिपारिश नहीं थी। पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा डा० पटवर्धन ने विमति व्यक्त की थी।

(२) करोटीन तेल का रंग अस्थायी होता है और वनस्पति के गरम करने पर या कुछ मास तक बिना तपाये ही पड़ा रहने पर उड़ जाता है।

(३) समिति ने करोटीन रंग के प्रयोग की प्रणाली पर कुछ नहीं कहा है। उन्हों ने यह विषय सरकार के विनिश्चय पर छोड़ दिया है और इसका परिणाम अनिवार्यतः यह होगा कि अग्रेतर प्रयोग किया जाये।

(४) करोटीन तेल भारत में उत्पादित नहीं होता और उसके आयात पर प्रतिवर्ष डालरों के रूप में एक करोड़ रुपये व्यय होंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह देखते हुए कि वनस्पति को शुद्ध घी में मिलाया जाता है और शुद्ध घी सदा इस मिलावट से ही बिकता है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार के पास इस मिश्रण को रोकने की कोई अन्य योजना भी है, क्योंकि यह अतीव आवश्यक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके उपायों का लगातार अनुसंधान किया जा रहा है और वर्तमान स्थिति यही है कि जैसी कि मैं ने इस प्रश्न के उत्तर में बताई है।

केन्द्रीय खाद्य (कम्पोस्ट) विकास समिति

*७४८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मार्च १९४८ में गठित केन्द्रीय खाद (कम्पोस्ट) विकास समिति ने अब तक जो कार्य किया है उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

(ख) क्या उस समिति के चलते रहने की संभावना है या उसका कार्य बंद हो गया है ;

(ग) इस समिति पर कुल कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) इस समिति के सही सही कृत्य और अब तक हुई बैठकों की संख्या ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) समिति ने देश में चालू कम्पोस्ट खाद योजनाओं की स्थिति का अवलोकन किया और कुछ सिपारिशें की हैं जिनसे कि नगरीय तथा ग्राम्य विष्ठा आदि पदार्थों से कम्पोस्ट खाद का उत्पादन और वितरण बढ़ाया जा सके।

(ख) समिति का कार्य-काल १५ अक्तूबर १९५२ को समाप्त हो गया और अब यह प्रस्थापना है कि सभी खादों तथा उर्वरकों के विकास के लिये एक केन्द्रीय समिति बनाई जाये जैसी कि अधिक अन्न उगाओ जांच समिति ने सिपारिश की थी ।

(ग) कुल व्यय २,५५७ रुपये है ।

(घ) समिति के कृत्य एक विवरण में दिये जाते हैं जो सदन पटल पर रखा जाता है ।

कुल चार बैठकें हुई थीं, दो महा समिति की और दो कार्यकारिणी समिति की ।

विवरण

मार्च १९४८ में गठित केन्द्रीय खाद (कम्पोस्ट) समिति के कृत्य निम्न लिखित हैं :

(१) भारत में कम्पोस्ट के उत्पादन की तथा सम्बद्ध योजनाओं की प्रगति का समय समय पर अवलोकन करना ;

(२) देश में कम्पोस्ट के उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिये विस्तृत योजनायें तैयार करना, जिससे कि ग्राम्य तथा नगर क्षेत्रों में प्राप्य सभी विष्ठा प्रयुक्त हो जाये ;

(३) अन्य खाद सम्बन्धी योजनाओं पर, जो समिति को भारत सरकार समय समय पर सौंपे, विचार करना ;

(४) प्रत्येक छः मास में एक बार बैठक करके पिछले कार्य का पुनर्विलोकन करना तथा आगामी छः मासों के लिये कार्यक्रम बनाना ;

(५) विभिन्न क्षेत्रों में प्रान्तीय कम्पोस्ट विकास समितियों और सम्मेलनों का संगठन करना, जिससे कि उन क्षेत्रों में कार्य का समन्वय तथा वृद्धि हो ;

(६) स्थानीय स्रोतों का पूर्ण विकास करने के लिये भारी प्रचार आरंभ करना तथा चलाना ; और

(७) समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिय यथा-आवश्यक कार्यवाही करना ।

श्री एस० एन० दास : क्या वही समिति चलती रहेगी, अथवा कोई अन्य समिति नियुक्त की जायेगी, अथवा उसी समिति का पुनर्गठन किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक जो समिति कार्य करती रही है उसे तोड़ दिया जायेगा और एक नई समिति, जो केन्द्रीय समिति होगी, नियुक्त कर दी जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति साधारण समिति होगी अथवा क़ानूनी समिति होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कानूनी समिति नहीं है, श्रीमान् ।

श्री एन० सोमना : क्या स्थानीय निकायों को कम्पोस्ट तैयार करने के लिये कोई अर्थ-साहाय्य दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, इस पर बहुत व्यय किया जा चुका है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि कम्पोस्ट खाद के उत्पादन में नियोजन से मानवीय श्रमिकों को विमुक्त किया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्, यह मेरे क्षेत्र में नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सारंगधर दास ।

श्री अच्युतन : क्या समिति का प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है, और यदि ऐसा है तो क्या उसे सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ज़रा माननीय सदस्य श्री अच्युतन को स्मरण करा देता हूं कि उन्हों ने मेरे द्वारा पुकारे गये बिना ही प्रश्न पूछा है । वास्तव में मैं ने श्री दास का नाम पुकारा था ।

श्री अच्युतन : क्षमा कीजिये, श्रीमान्। मैं आपके विनिश्चय का पालन करूंगा।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को कोई जानकारी है कि भारत भर में कुल कितने टन कम्पोस्ट खाद बनता है और खेतों को वितरित किया जाता है, और इस पदार्थ में औसत से कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश का होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास रासायनिक अंगों के नाम तो नहीं हैं परन्तु कदाचित वे भिन्न भिन्न अंश में होंगे क्योंकि कम्पोस्ट खाद तो विविध प्रकार की वस्तुओं से ही तैयार किया जाता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को इस विषय में आंकड़े दे सकता हूं कि नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्रों में कम्पोस्ट के विकास में कितनी प्रगति हुई है। १९४४-४५ में केवल १.८३ लाख टन कम्पोस्ट होता था, अब हम १६.९५ लाख टन बनाते हैं। लगभग १२.५२ लाख टन कम्पोस्ट का वितरण किया गया और भारत सरकार ने १९५१-५२ में ९.४९ लाख टन का अर्थ-साहाय्य दिया। जहां तक ग्राम्य कम्पोस्ट योजना का सम्बन्ध है, योजना के अधीन पहले केवल १,८२६ ग्राम थे, अब कम्पोस्ट योजना १,८८,५७४ ग्रामों में कार्यान्वित हो रही है। कम्पोस्ट का उत्पादन २.१० लाख टन से बढ़ कर १०६.०४ लाख टन हो गया है। वितरण भी संतोषजनक है। अतः हम ने बहुत ज्यादा प्रगति की है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि समिति ने कितने सम्मेलन किये ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे भय है कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि कम्पोस्ट खाद का वितरण सहकारी अभिकरण के द्वारा किया जाता है या उसे खली मंडी में बेचा जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

खादों तथा उर्वरकों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*७४९. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खादों तथा उर्वरकों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया ; और

(ख) समिति की महत्वपूर्ण सिपारिशें जिन्हें प्रभावी किया गया और वे जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां।

(ख) समिति की महत्वपूर्ण सिपारिशों का संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। सिपारिशों सं० १ से ९ को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सं० १, २ और ४ से ९ को राज्य सरकारों के पास अग्रेतर कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है, और सं० ३ तथा ६ को भारत सरकार कार्यान्वित कर रही है। सिपारिश सं० १० तथा ११ पर अभी विचार किया जा रहा है।

विवरण

(१) देशी खाद स्रोतों का पूर्ण उपयोग.—समिति ने सिपारिश की है कि देशी प्राकृतिक खादों यथा गोबर, खेत तथा घुड़साल के खाद खली, हड्डियों का चूरा, हरी खाद, कम्पोस्ट और नाइटर (शोरा) मिट्टी का पूरा उपयोग होना चाहिये।

(२) देश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन.—समिति यह अनुभव करती है कि इस देश में कृत्रिम उर्वरकों के अधिकाधिक

प्रयोग के लिये काफी क्षेत्र है। भारत में उर्वरकों के परीक्षण से पता लगता है कि नाइट्रोजस उर्वरकों के या फोसफेटिक उर्वरकों के साथ उनके प्रयोग से बहुत लाभ हैं। समिति ने सिपारिश की है कि देश में इन खादों के उत्पादन तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये पग उठाये जाने चाहिये।

(३) सारभूत उर्वरकों का प्रयोग.—समिति डा० स्ट्यूअर्ट (१९४७) के विचारों का समर्थन करती है कि यूरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट ग्रेन्यूल्स आदि सारभूत उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया जाये। समिति ने सिपारिश की है कि भारत में उनके उत्पादन पर विचार किया जाये। उनकी राय में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर वे सस्ते पड़ेंगे क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है।

(४) कृत्रिम उर्वरकों का समुचित मिश्रण.—अमोनिया सल्फेट और सुपरफोस्फेट जैसे कृत्रिम उर्वरकों के समुचित मिश्रण के प्रयोग के अच्छे परिणाम हुए हैं। समिति सिपारिश करती है कि जहां भ संभव हो उनका प्रयोग किया जाये।

(५) प्रांगारिक तथा अप्रांगारिक उर्वरकों के समुचित मिश्रण का प्रयोग.—भारी प्रांगारिक खादों से पोषण धीरे धीरे उपलब्ध होता है अतः समिति यह अनुभव करती है कि प्रांगारिक तथा अप्रांगारिक उर्वरकों का समुचित मिश्रण सर्वोत्तम है, विशेषतः उष्णतर क्षेत्रों में, जहां द्रुतवर्ती ऑक्सीडेशन के कारण प्रांगारिक पदार्थ तथा भूमि का नाइट्रोजन अंश कम होता है। खेत की खाद तथा हरी खाद के फोस्फेटिक उर्वरकों के साथ प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता बनाई रखने और उसमें सुधार करने में बहुत सहायता मिलेगी।

(६) सिंचन सुविधायें.—बांध आदि बना कर अधिकतम भूमि में सिंचन सुविधा प्रदान करने की सरकारी योजनाओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस बीच कृत्रिम सिंचाई की सुविधाओं से वंचित भूमि में खाद डालने के सर्वोत्तम उपायों के ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिये।

(७) कृषकों में शिक्षा का प्रसार.—कृषकों में भूमि तथा जल परिरक्षण तथा भूमि के प्रयोग और सर्वोत्कृष्ट कृषि, खाद तथा कार्य के उपायों की शिक्षा का व्यापक विस्तार करना चाहिये। भारी प्रचार करके कृषकों को खाद का अधिक प्रयोग करने की आदत डालनी चाहिये।

(८) कृषकों के खेतों में प्रयोग.—कृषकों के खेतों में सादे प्रयोग किये जाने चाहियें जिस से कि विभिन्न प्रकार की भूमि में प्रांगारिक तथा अप्रांगारिक उर्वरकों के सर्वोत्तम मिश्रण का परीक्षण हो सके।

(९) गवेषणा.—खादों तथा उर्वरकों के गुणों और प्रभावों का अधिक पता लगाने के लिये विविध विषयों पर मूल अनुसंधान करने चाहियें।

(१०) तेल के बीजों तथा हड्डियों के निर्यात.—देश से हड्डियों और तेल-बीजों का निर्यात नहीं होने देना चाहिये। हड्डियों का या तो चूरा कर लेना चाहिये या सुपरफोस्फेट बनाना चाहिये या पीस कर तिनकों, मिट्टी तथा गंधक के साथ मिला कर कम्पोस्ट बना लेना चाहिये।

एक स्थायी संस्था की स्थापना.—एक स्थायी संस्था बनानी चाहिये जिसका नाम "केन्द्रीय खाद तथा उर्वरक विकास मंडली" होना चाहिये, जो खाद तथा उर्वरक के उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं बनाकर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को भेजें। मंडली इस विषय में प्रगति का भी ध्यान रखे। कम्पोस्ट, मलमूत्र, हड्डियों आदि पर एक उपकर लगा दिया जाय जिससे कि मंडली स्वावलम्बी बन सके

———

श्री एस० एन० दास : : सिपारिशों के संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि समिति ने एक स्थाई संस्था की सिपारिश की है । क्या यह संस्था उससे भिन्न होगी जो इस समय कार्य कर रही है, या वही होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : पता नहीं माननीय सदस्य किस अन्य संस्था की चर्चा कर रहे हैं । केवल एक ही संस्था होगी ।

श्री वी० पी० नायर : : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, क्या इस प्रतिवेदन में कोई ऐसी सिपारिश है कि खाद तथा उर्वरक के उपयोग का वैज्ञानिक ज्ञान किसानों में फैलाया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उस दिशा में कोई कार्यवाही की जायेगी या नहीं तो मेरा उत्तर होगा 'हां' ।

श्री राघवय्या : विशेषज्ञ समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें क्या इस बात की चर्चा है कि खादों तथा उर्वरकों का वितरण कृषि विभाग के द्वारा ही किया जाये तथा गैर-सरकारी अभिकरणों के द्वारा नहीं, क्योंकि ये गैर-सरकारी अभिकरण चोर-बाज़ारी करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिये, वे जानकारी मांग सकते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : : मुझे इस प्रश्न की सूचना की अपेक्षा होगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने खाद तथा उर्वरक के विषय में राज्यों को अर्थ-साहाय्य देना बंद कर दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब इस मद म बचत की जा रही है, क्योंकि अब लोग कम्पोस्टका प्रयोग करने लगे हैं और अधिक व्यय आवश्यक नहीं समझा जाता ।

श्री एस० एन० दास :: यह समिति ७ जनवरी १९४९ को नियुक्त की गई थी अतः क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन देने में इतनी देर कैसे हो गई ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

नारियल का उत्पादन

*७६०. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या खाकृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि भारत में नारियल का उत्पादन उसकी आवश्यकता से कितन प्रतिशत कम है ?

(ख) सन् १९४७ से १९५१ तक प्रत्येक वर्ष भारत में नारियल का वार्षिक उत्पादन और उसका मूल्य क्या था और नारियल की खेती कितने एकड़ में होती थी ?

(ग) विविध राज्यों में किन किन स्थानों में नायिरल उगाया जाता है ?

(घ) सन् १९४७ से १९५१ तक प्रति वर्ष कितना खोपरा और नारियल का तेल आयात किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) लगभग १८ (अठारह) प्रतिशत ।

(ख) से (घ) सदन पटल पर चार विवरण रखे जाते हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४(क)**]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में प्रश्न के भाग (ग) का जो उत्तर दिया गया है उससे पता लगता है कि पश्चिमी बंगाल में तीन गवेषणा केन्द्र हैं–चौबीस परगना, हावड़ा तथा मिदनापुर । मैं मिदनापुर का सदस्य हूं । वहां तो कोई गवेषणा केन्द्र नहीं है : मुझे यह भी पता है

कि हावड़ा में भी कोई गवेषणा केन्द्र नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी ग़लती कैसे हुई है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या कामरूप तथा दारंग में ऐसे केन्द्र हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि कोई त्रुटि रह गई है तो मैं माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करने के लिये तैयार हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : मुझे विवरण से पता लगता है कि १९४७-४८ से १९४९-५० तक इन तीन वर्षों में उत्पादन में केवल ५०,००० नारियलों की ही वृद्धि हुई है। क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के क्षेत्रों को क्यों नहीं लिया गया जहां नारियल की कृषि की बहुत संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र जो कि इस समिति के सदस्य हैं, इसका अधिक अच्छे प्रकार से उत्तर दे सकते हैं।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने गवेषणा केन्द्र हैं और वे कहां स्थित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की सूचना की अपेक्षा होगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में आयात तथा आंतरिक उत्पादन द्वारा प्राप्त नारियल के तेल का प्रतिशत भाग क्या है जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है और उसका प्रतिशत भाग क्या है जो साबुन उद्योग द्वारा प्रयुक्त होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे भय है कि यह जानकारी तो वाणिज्य तथा उद्योग विभाग से प्राप्त करनी होगी।

जंगल काटने के ठेके

*७५१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार के एक विभागीय इंजीनियर ने सन् १९४३ में कुछ ठेकेदारों के प्रति पक्षपात किया था और उनके ठेकों के स्वीकृत होने से पूर्व ही उन्हें ठेके का सारा रुपया दे दिया था ;

(ख) क्या उसने ठेकेदारों की सहायता करने में सभी नियमों और औचित्य की उपेक्षा कर दी और जंगल काटने के कार्य में सरकार को हानि पहुंचाई ; और

(ग) उस विभागीय इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और अब वह किस पद पर आसीन है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सरकार को कुछ भारी अनियमताओं की सूचना मिली थी जो तार के विभागीय इंजीनियर द्वारा की गई बताते हैं। विहित प्रक्रिया के अनुसार समुचित जांच करने के पश्चात्, यह मामला नियमों के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग को पूच्छा किया गया है। आयोग की सिपारिशें प्रतीक्षित हैं।

उपरोक्त पदाधिकारी इस समय तार के निदेशक के रूप में कार्य कर रहा है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि कितनी हानि हुई है ?

श्री राज बहादुर : मैंने पूरी क्षति का तो हिसाब नहीं लगाया है परन्तु उस क्षति का एक भाग उससे वसूल किया जाना है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : वह कितना ?

श्री राज बहादुर : यदि संघ लोक सेवा आयोग सहमत होगा तो उस से १२,००० रुपये वसूल करने का विचार है ।

श्री के० के० बसु : यह देखते हुए कि उसके विरुद्ध प्रबल अभियोग है, क्या उसे अग्रेतर ठेके देने की अनुज्ञा है ?

श्री राज बहादुर : इस समय वह जिस पद पर है उसके सामान्य कार्यों का निर्वहन कर रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अनियमिताओं का पता सरकार को कब लगा था और यह मामला संघ लोक सेवा आयोग को पुच्छा करने में इतना बिलम्ब कैसे हुआ ?

श्री राज बहादुर : यह मामला १९४३ का है । मामला पुलिस को सौंपा गया था जिन्होंने जांच करने में दो वर्ष लगा दिये । इससे १९४५ हो गया । उन्होंने यह सिपारिश की कि विभाग में ही कार्यवाही करना पर्याप्त होगा । फिर एक दोषारोप-पत्र तैयार किया गया । इस बीच वह मामला न्यायालय में भेज दिया गया और वे सभी दस्तावेज़, जिन के आधार पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी, न्यायालय में दाखिल कर दिये गये । हमने उन दस्तावज़ों की प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली हैं और हमने उसके विरुद्ध दोषारोप-पत्र तैयार कर लिया है ।

टिड्डी नाशक कार्य (रासायनिक)

*७५२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा टिड्डी नाशक कार्यवाही में क्या रासायनिक पदार्थ काम में लिये गये हैं ; और

(ख) क्या इनके प्रयोग से पहले कोई गवेषणा की गई थी कि ये पदार्थ जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे वहां बनस्पति को कोई क्षति पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) बेन्जीन हेक्साक्लोराइड २·५–१० प्रतिशत और ऐलड्रीन ।

(ख) हां ; संयुक्त राज्य अमरीका में किये गये प्रयोगों से पता चलता है कि ये कीटाणुनाशक पदार्थ पौदों के लिये हानिप्रद नहीं हैं । भारत में इनके प्रयोग से यह बात पुष्ट हो गई है । उनसे कहीं भी बनस्पति को हानि नहीं पहुंची है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि इन काटाणु-नाशक पदार्थों का प्रयोग करने से पूर्व भारतीय जलवायु में भारत में पौदों पर इन के प्रभाव और संभावित क्षत्ति का पता लगाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । भारत में उन का प्रयोग किया गया है और हम ने उन्हें पौदों के लिये हानिप्रद नहीं पाया ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि इन क्षेत्रों में जहां इन पदार्थों का प्रयोग हुआ है क्या लोगों को इन के प्रयोग के विषय में बता दिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान्, प्रत्येक सावधानी बरती जा रही है । वास्तव में यहां मिश्रण के जिस प्रतिशत भाग का उल्लेख किया गया है उस हद तक अधिक जोखम नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि सरकार ने १९४५ में या १९४६ में कुछ सोवियत विशेषज्ञों को टिड्डी-नाशक कार्यवाही में राय देने के लिये बुलवाया था, और क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार टिड्डी-नाशक कार्य में राय देने के लिये सोवियत वैज्ञानिकों को बुलाने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे तो खेद है कि मेरा तो विशेषज्ञों से सम्पर्क रहा नहीं है और न मुझे ज्ञात ही है कि वे भारत आये थे ।

चीनी निर्यात

*७५३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्ष देश से निर्यात के लिये कितनी चीनी उपलब्ध होगी ?

(ख) सन् १९५२-५३ में हमारी चीनी के लिये विदेशों में कितनी मांग होने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) लग भग दो लाख टन ।

(ख) इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि भारतीय चीनी के लिये विदेशों में कितनी मांग होने की संभावना है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या हम इस समय यह जान सकते हैं कि हम किस समय तक अपनी चीनी की फालतू मात्रा को बेच सकेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो कहना बहुत कठिन है श्रीमान् ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हम ने दो तीन दिन पहले ही हमारे निर्यात के बारे में जो विधि पारित की थी उस का क्या प्रभाव होगा ? क्या उस का हमारे निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो इस समय अपनी अपनी राय का और अनुमान का ही प्रश्न है :

श्री सारंगधर दास : इस समय विश्व में चीनी के चालू भावों और भारतीय भावों म क्या अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे भय है कि भारतीय भाव तुलना में अधिक है ।

श्री झुनझुनवाला : सरकार की इस विषय में क्या नीति है–कि निर्यात के लिये चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जाय या केवल देश में खपत के लिये ही उत्पादन किया जाये ।

डा० पी० एस० देशमुख : सर्वप्रथम यह देखना है कि देश में खपत के लिये मांग पूरी हो जाये और यदि कोई माल फालतू हो तो उसका निर्यात किया जाये ।

श्री झुनझुन वाला : मैं जानना चाहता हूं कि नीति क्या है–चीनी का उत्पादन बढ़ा कर उस का निर्यात करना, या उसे देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये सीमित रखना ।

डा० पी० एस० देशमुख : दोनों, श्रीमान् ।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष गन्ने की कुल कृषि कितनी हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि विश्व मंडी में विपरीत संतुलन को देखते हुए चीनी की उत्पादन लागत को कम किया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : चीनी में कमी नहीं, वरन् गन्ने के एकड़-क्षेत्र में कमी ।

कार्मिक संघ

*७५४. **श्री नम्बियार :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे अपने दौरे के समय देश के विविध कार्मिक संघों की एकता के लिये अनुरोध करते रहे हैं ?

(ख) क्या वे कार्मिक संघों को यह भी राय देते रहे हैं कि वे एकता के प्रयत्नों से अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रस को अपवर्जित रखें ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या माननीय मंत्री ने हाल ही में मद्रास राज्य में दौरा करते समय जो भाषण दिये उन में कुछ संघों को साम्यवादी संचालित बताया और यह अनुरोध किया कि इन साम्यवादी-संचालित संघों के अतिरिक्त शेष सभी एक हो जायें ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं । मैं ने नहीं कहा ।

श्री वेंकटारमन : सरकार की राय में कार्मिक संघों में फूट का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : राय क्या है ?

श्री वेंकटारमन : नहीं, श्रीमान्, सरकार की राय में कारण क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है । वे राय के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं । मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री नम्बियार : क्या अपने किसी भाषण में माननीय मंत्री ने रेल कर्मचारियों की एकता के विषय में ऐसा ही भाषण दिया था जिस में कुछ संघों को नाम ले कर साम्यवादियों द्वारा संचालित बताया था ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे खेद है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार का विचार ऐसे संघों को अपवर्जित करने का है जो सरकार के पदाधिकारियों के अनुसार विध्वंसक कार्यवाहियों में संलग्न बताई जाती हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : मुझे तो इस का ज्ञान नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या माननीय मंत्री के इन कथित भाषणों के जो समाचार कुछ समाचार-पत्रों में छपे थे उन की ओर उन का ध्यान आकृष्ट किया गया और यदि किया गया तो उनहों ने कया कार्यवाही की ?

श्री वी० वी० गिरि : मझे तो ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं दी गई ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या हम यह समझ लें कि श्रम मंत्री की इच्छा यही है कि विविध कार्मिक संघों का एकीकरण हो कर एक केन्द्रीय संघ बन जाये जिस में अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस भी शामिल हो ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसी कार्यवाही करना तो कार्मिक संघों का काम है ।

श्री वेंकटारमन : क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही करने का है कि सब विभिन्न कार्मिक संघों को मिला कर एक केन्द्रीय संस्था बना दी जाये ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने अभी इसी का तो उत्तर दिया है ।

जामनगर में देशी चिकित्सा पद्धतियों की गवेशणा की केन्द्रीय संस्था

*७५५. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या स्वास्थ मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या जामनगर में देशी चिकित्सा पद्धतियों की गवेषणा की केन्द्रीय संस्था की कोई मंत्रणा परिषद् गठित की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो परिषद् के सदस्य कौन हैं ?

(ग) १९५२-५३ के लिये संस्था के पास क्या कार्य-क्रम है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख)। जामनगर में देशी चिकित्सा पद्धतियों की गवेषणा की केन्द्रीय संस्था ने अभी अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है । एक शासी निकाय गठित किया गया है जो संस्था पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा । एक वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् भी गठित की गई है जो गवेषणा का कार्यक्रम सूचित करने में संस्था के शिल्पिक कर्मचारियों की सहायता करेगी । सदन-पटल पर एक

विवरण रखा जाता है जिस में शासी निकाय और वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के नाम दिये हुए हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४ (ख)**]

सौराष्ट्र सरकार ने शीघ्र ही जामनगर में संस्था के लिये भवनों की व्यवस्था करने का वचन दिया है। निदेशक की नियुक्ति विचाराधीन है।

(ग) मैं ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए अब शासी निकाय का कार्य है कि वह अपना कार्यक्रम तैयार करे। भारत सरकार ने आवश्यक धन दे दिया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् का कार्य क्या होगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् का कार्य गवेषणा कार्यक्रम सम्बन्धी होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परिषद् का दिन प्रति दिन के कार्य से कोई सम्बन्ध होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूं, श्रीमान् ? वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् का निर्माण उस समिति की सिपारिश पर हुआ है जो आयुर्वेद की उन्नति के लिये कार्यक्रम बनाने के लिये नियुक्त की गई थी, और परिषद् का प्रधान कृत्य यह होगा कि वह गवेषणा का कार्यक्रम सूचित करने में, प्रारम्भ में तथा अनुवर्ती वर्षों में, संस्था के शिल्पिक कर्मचारी वृन्द की सहायता करे।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुझे दिये गये विवरण में उल्लिखित सदस्यों को सरकार ने मनोनीत किया है, और यदि किया है तो क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि उन्हें भविष्य में विविध श्रेणियों के प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित करवाये ?

राजकुमारी अमृतकौर : श्रीमान्, वास्तव में बात यह है कि चाहे वे सरकार द्वारा मनोनीत हैं परन्तु वे कार्यरूप में तो समिति के सदस्यों द्वारा जिन में से अधिकांश आयुर्वेदिक वृत्ति के लोग थे, निर्वाचित ही हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : गवेषणा संस्था के साथ संलग्न वर्तमान चिकित्सालय में एक आयुर्वेदिक विभाग है। क्या वहां गवेषणा कार्य को सुगम बनाने के लिये शैय्याओं की संख्या बढ़ा दी गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की प्रस्थापना है। परन्तु जैसा कि उत्तर में बताया गया है, भवन भी अभी तक तैयार नहीं है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या मद्रास में प्रचलित सिद्ध वैद्य प्रणाली भी वहां पर पाठ्य विषय है ?

राजकुमारी अमृतकौर : हां।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : आयुर्वेदिक पद्धति में औषधीय तेलों की एक शाखा है जिस का विकास प्रधानतः त्रावनकोर-कोचीन में ही हुआ है अतः क्या समिति का कोई सदस्य त्रावनकोर-कोचीन राज्य से भी लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे तो विस्तार की बातों में जा रहे हैं।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या दक्षिण में भी, विशेषतः पश्चिमी घाट पर ऐसी कोई संस्था खोलने का विचार है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर आयुर्वेद ने बहुत उन्नति की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं।

श्री के० के० बसु : क्या आयुर्वेदिक औषधियों के सस्ते उत्पादन के विषय में राय देना भी उस संस्था के क्षेत्र में आता है ?

राजकुमारी अमृतकौर: वे इन इन औषधियों के विषय में गवेषणा करेंगे और यह भी कि उन का उत्पादन कैसे हो सकता है ।

श्री एस० पी० सामन्त : आयुर्वेदिक विभाग के लिये वर्तमान हस्पताल में लग भग पचास शैय्यायें हैं । क्या उन्हें बढ़ाया गया है और क्या वहां कोई राजयक्ष्मा का चिकित्सालय भी साथ खोलने का विचार है ?

राजकुमारी अमृतकौर : उस के साथ राजयक्ष्मा का चिकित्सालय लगाने का तो विचार नहीं है । शैय्यायें बढ़ाई जायेंगी, परन्तु जैसा कि उत्तर में बता चुकी हूं, भवनों की व्यवस्था सौराष्ट्र सरकार करेगी ।

"अधिक अन्न उगाओ" आन्दोलन

*७५६. **श्री टी० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के परिणाम निर्धारित करने के लिये माप-दंडों में क्या रूपभेद किये गये हैं ?

(ख) इन रूप-भेदों के फलस्वरूप सन् १९५२-५३ के लिये क्रमशः गेहूं तथा चावल के उत्पादन का क्या लक्ष्य है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). अधिक अन्न उगाओ के नमूने द्वारा निर्धारण के परिमापों के फलस्वरूप सरकारी मापदंडों में रूपभेद करने का प्रश्न विचाराधीन है । प्रधान कठिनाई यह है कि अब तक जो परिमाप हुए हैं वे इतने व्यापक नहीं हैं कि सरकारी मापदंडों में निर्णायक रूपभेद किये जा सकें ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि अ० अ० उ० जांच समिति ने विगत कुछ वर्षों के परिणामों का निर्धारण करने के पश्चात् अपने प्रतिवेदन में कहा है कि मापदंडों में रूपभेद की आवश्यकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । यही विचार अभिव्यक्त किया गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : भा० कृषि गवेषणा परिषद् की जांच के पश्चात् भी अब क्या स्थिति है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने बताया है, परिणाम पूर्णतया निर्णायक नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : यह देखते हुए कि कम से कम दो समितियों ने माप-दंडों में रूप भेद करने की सिपारिश की है, क्या सरकार ने विभिन्न अ० अ० उ० कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्यों को दिये जाने वाले अर्थ सहाय्य में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि इस की कोई संभावना है ।

विमान दुर्घटनाएं (प्रतिकर)

*७५७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५०, १९५१ और अब तक १९५२ में क्रमशः विमान दुर्घटनाओं की संख्या;

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक में मृत्युओं की संख्या;

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के आश्रितों को कोई प्रतिकर दिया गया है, यदि दिया गया है तो उस की औसत राशि; और

(घ) उन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के आश्रितों को क्या प्रतिकर दिया गया जो कि सरकारी नौकर थे और सरकारी कार्य से यात्रा कर रहे थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिन में चालकों या यात्रियों को भारी चोट लगी या उन की मृत्यु या विमान को क्षत्ति पहुंची, सन् १९५० में ६२, सन् १९५१ में ३८ और अब तक सन् १९५२ में २७ है।

(ख) सन् १९५० में १२०, सन् १९५१ में २४ और सन् १९५२ में अब तक २५।

(ग) सरकार ने कुछ नहीं दिया और न उसे कुछ देना था।

(घ) केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितनी दुर्घटनायें यात्री विमानों के साथ और कितनी माल विमानों के साथ हुईं ?

श्री राज बहादुर :

यात्री अनुसूचित चर्या

१९५० में	५
१९५१ में	२
१९५२ में	३

माल चर्या

१९५० में	१
१९५१ में	१
१९५२ में	२

श्री के० जी० देशमुख क्या कोई जांच की गई थी और यह पता लगा था कि ये दुर्घटनायें चालकों के दोष के कारण हुई थीं ?

श्री राज बहादुर : सभी मामलों में जांच की गई और पता लगा कि चालक की त्रुटि के कारण।

१९५० में	४०	दुर्घटनायें हुईं
१९५१ में	३०	दुर्घटनायें हुईं
१९५२ में	१८	दुर्घटनायें हुईं

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समवाय कोई प्रतिकर देते हैं ?

श्री राज बहादुर : ऐसा नियम नहीं है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*७५८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को क्या बिहार के कोयला क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है ?

(ख) अभ्रक उद्योग को अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है या नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम कोयला क्षेत्रों में लागू नहीं है।

(ख) यह अधिनियम अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों पर लागू होता है और मद्रास, बिहार, अजमेर तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि जहां तक अभ्रक के कारखानों का सम्बन्ध है, क्या उन सभी राज्यों ने इस अधिनियम को कार्यान्वित किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्हों ने कार्यान्वित किया है, श्रीमान्।

माही का डाकघर

*७५९. **श्री नम्बियार** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माही का डाकघर कहां स्थित है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उस डाकघर के फ्रांसीसी राज्यक्षेत्र में स्थित होने के कारण आस पास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ?

(ग) क्या सरकार को इस विषय पर कोई अभ्यावेदन भेजा गया है और क्या सरकार संघ के राज्य क्षेत्र में डाकघर खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) माही का उप-डाकघर मद्रास राज्य के मलाबार ज़िले में फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र में स्थित है ।

(ख) यह पता लगा है कि भारत संघ के निकटस्थ क्षेत्र की जनता को माही के डाकघर तक जाने में असुविधा होती है ।

(ग) इस विषय में मद्रास के पोस्ट मास्टर जनरल को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । वहां भारतीय संघ के राज्यक्षेत्र में एक उप-डाकघर इस मास की २० तारीख से खोल दिया गया है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि यह उप-डाकघर क्या भारत संघ के लोगों का प्रयोजन पूरा कर सकता है, क्योंकि यह केवल एक उप-डाकघर है जिस में तार या टेलीफोन संचार नहीं है ?

श्री राज बहादुर : इस से भारतीय संघ के लोगों का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है क्योंकि यह निकटस्थ भारतीय संघ राज्यक्षेत्र में है । एक मिला जुला डाकघर स्थापित करने के विषय में, मेरे ख्याल में इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि उस उप-डाकघर में क्या तार या टेलीफोन का सम्बन्ध है ?

श्री राज बहादुर: वह टेलीफोन से जोड़ा हुआ नहीं हैं जिस के कारण स्पष्ट हैं ।

श्री एन० पी० दामोदरन : यह देखते हुए कि महत्वपूर्ण डाकघर माही फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र में स्थित है, क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी प्रस्थापना है कि फ्रांसीसी राज्यक्षेत्र में माही डाकघर को बन्द कर दिया जाये ?

श्री राज बहादुर : वह विदेशी कब्ज़े में है । वह हमारा नहीं .....

श्री एन० पी० दामोदरन: नहीं, श्रीमान् । वह डाकघर हमारा ही है, यद्यपि वह फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र में स्थित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह देखते हुए कि उस का प्रबन्ध संघ सरकार करती है . . .

श्री नम्बियार : मैं मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या . . .

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): इस समय हमारे सामने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

माही के साथ टेलीफून सम्बन्ध

*७६०. **श्री नम्बियार**: क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माही का क्या अन्य केन्द्रों से टेलीफून सम्बन्ध है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है ?

(ख) क्या माही को टेलीफून द्वारा जोड़ने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं । माही में कोई टेलीफून विनिमय-यंत्र नहीं है और उस का अखिल भारतीय प्रधान टेलीफून व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों से क्या टेलीफून सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ?

श्री राज बहादुर : मुझे तो पता नहीं है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि भारतीय संघ के राज्यक्षेत्र में एक नया डाकघर खुल गया है, तो क्या सरकार उस स्थान पर एक टेलीफून करने का कार्यालय भी खोलने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : अभी नहीं श्रीमान् ।

राजपूताना मरुस्थल

*७६१. **श्री एन० पी० सिन्हा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजपूताना के मरुस्थल की फैलने से रोकने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि है, तो वर्तमान कार्यवाही क्या है; और

(ग) क्या राशि व्यय करने की प्रस्थापना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां, एक प्रारम्भिक योजना मंजूर कर दी गई है ।

(ख) जोधपुर में एक मरुस्थल गवेषणा केन्द्र स्थापित किया गया है और रेत के टीलों को हटाने की योजनायें हाथ में हैं ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् १९५२-५३) में ७०,००० रुपये की राशि व्यय होने की संभावना है और अगले वर्ष के लिये ४,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या वह अब भी प्रयोग के प्रक्रम पर है या कुछ कार्य किया जा चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक सुनिश्चित योजना तैयार कर ली गई है और उस पर अमल किया जाने वाला है ।

श्री के० के० बसु : राजपूताना मरुस्थल को फैलने से रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाने की आशा कब है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह तो आरम्भ भी की जा चुकी है ।

तल-इंजीनियरों की फर्म

*७६२. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या हमारे मध्यवर्ती पत्तनों के लाभार्थ तल-इंजीनियरों की एक उपयुक्त फर्म की सेवायें प्राप्त कर ली हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस फर्म का नाम क्या है तथा उस से समझौते की शर्तें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस लाइन में भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का है ?

(घ) यदि ऐसा है तो वह अपने विचार को कैसे और कब पूरा करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख) । भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रीय शिल्पिक सहायता प्रशासन से प्रार्थना की है कि वह प्रसिद्ध तल-इंजीनियरों की किसी फर्म या ऐसी फर्म के एक दो विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करा दे जो कि अधिक महत्वपूर्ण छोटे पत्तनों में तल सम्बन्धी समस्या का अनुसंधान कर सकें । यह प्रार्थना उक्त प्रशासन के विचाराधीन है । तल-इंजीनियरों की किसी फर्म से सीधी प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ग) तथा (घ) । सभी बड़े पत्तनों पर तल सम्बन्धी कार्य की व्यवस्था अधिकांश में भारतीयों के हाथ में है । तल-इंजीनियरी में प्रशिक्षण की आवश्यक व्यवस्था कलकत्ता तथा खड़गपुर में है ।

श्री के० सी० सोधिया : उस संस्था को इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त करने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री अलगेशन : वे उन विशेषज्ञों की सेवा शीघ्र ही प्राप्त करने वाले हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इन कार्यों को संभावित लागत क्या होगी ?

श्री अलगेशन : इस समय तो मुझे कुछ पता नहीं है, श्रीमान् ।

मंत्रालयों की कर्मचारी-कारें

*७६३. **श्री गिडवानी**: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त १९४७ से पूर्व नई दिल्ली तथा दिल्ली में प्रत्येक मन्त्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों के प्रयोगार्थ कितनी कारें थीं ?

(ख) इस समय नई दिल्ली तथा दिल्ली में प्रत्येक मन्त्रालय और उसके सम्बद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों के प्रयोगार्थ कितनी कारें हैं ?

(ग) क्या १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् इन कारों के लिये पेट्रोल की वार्षिक खपत बढ़ गई है ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां' में है तो पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ङ) १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् इन कारों का ऊपर का वार्षिक व्यय कितना बढ़ा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मांगी गई जानकारी दी गई है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्धसंख्या ३५)**

(ग) से (ङ) १५ अगस्त १९४७ से पेट्रोल की खपत में लगभग ११,९१७ गेलन की वार्षिक वृद्धि हुई है। कारों का ऊपर का व्यय भी लगभग ४९,८८३ रुपये प्रतिवर्ष बढ़ गया है। परन्तु इन आंकड़ों में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की कारों का पेट्रोल खर्च तथा टूट फूट का व्यय सम्मिलित नहीं है, क्योंकि तीनों सेवाओं (जल, थल, नभ सेनाओं) की गाड़ियां सैनिक कर्मशाला में सुधारी जाती हैं, और इसलिये कर्मचारियों की कारों को ही अलग करना सम्भव नहीं है।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को ज्ञात है कि इन कारों का किसी मन्त्री ने गत साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन कार्य के लिये उपयोग किया था ?

श्री अलगेशन: हमें ज्ञात नहीं है।

श्री गिडवानी: तो क्या माननीय मन्त्री उस जानकारी को संकलित करके सदन पटल पर रखेंगे ?

श्री अलगेशन: मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न कैसे उठता है।

श्री गिडवानी: प्रश्न तो उठता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हुआ था जिनके लिये वे थीं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह कठिनाई पड़ेगी कि मन्त्री बदलते रहते हैं ।

श्री गिडवानी: यदि मन्त्री चलते रहें, मैं तो उन मन्त्रियों को चाहता हूं, जो भी.....

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य प्रश्न ।

श्री गिडवानी: क्या मैं जान सकता हूं कि इन कारों के अतिरिक्त क्या कोई अन्य गाड़ियां भी किसी मन्त्रालय को दी गई थीं ?

श्री अलगेशन: हमें तो ज्ञात नहीं है ।

श्री गिडवानी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई दैनिक अभिलेख रखा जाता है जिससे यह पता लग सके कि इन कारों का उपयोग किन कार्यों के लिये किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन: हां, श्रीमान् । अब सभी ऐसी कारों को एक प्रबन्ध में लाने की योजना को अन्तिम रूप देकर मंजूर कर दिया गया है। एक सी पंजियां बना दी गई हैं जिनमें समुचित रूप से तथा नियमित रूप से हिसाब रखा जाता है।

श्री गिडवानी : क्या कोई अभिलेख रखा जाता है कि प्रतिदिन नहीं तो प्रति सप्ताह कितना पेट्रोल काम में आया ?

श्री अलगेशन : ये सभी बातें उनमें आ जाती हैं।

श्री गिडवानी : क्या.........

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमें अधिक विस्तार की बातों में नहीं जाना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : क्या सभी कारों की मरम्मत के लिये कोई केन्द्रीय स्थान है अथवा सभी मन्त्रालयों को स्वतन्त्रता है कि वे अपनी कारें ठीक होने के लिये विभिन्न गैर-सरकारी कर्मशालाओं में भेज सकें ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । अब यह प्रस्थापना है कि वर्तमान एक-प्रबन्ध व्यवस्था में सभी कारों की मरम्मत असैनिक उड्डयन विभाग कर्मशाला में करवाई जाये।

श्री नम्बियार : मन्त्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि मन्त्रियों की कारों में पेट्रोल की खपत में इतनी भारी वृद्धि कैसे हो गई है ।

श्री अलगेशन : मन्त्रियों की कारें नहीं, मन्त्रालयों की कारें । क्योंकि कार्य बहुत बढ़ गया है अतः बहुत पेट्रोल की खपत होती है ।

चिकित्सा विभागों को उच्चतर श्रेणी में लाना

*७३४. **डा० रामा राव :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि मद्रास के चिकित्सा महाविद्यालय में "विभागों को उच्चतर श्रेणी में लाने" की जो योजना आरम्भ की गई है वह क्या है ?

(ख) क्या इस योजना का सुझाव केन्द्र ने दिया है अथवा सम्बद्ध राज्य के कहने पर किया गया है ?

(ग) क्या इस कार्य के लिये केन्द्र ने कोई व्यय किया है ?

(घ) क्या केन्द्र का इस योजना को अन्य राज्यों के लिये भी सिफ़ारिश करने का विचार है, और यदि ऐसा है तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): जिस योजना का उल्लेख किया गया है वह योजना यह है कि कुछ वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा गवेषणा के लिये व्यवस्था करने के प्रयोजन से कुछ चुनी हुई शाखाओं में सुधार करना या उन्हें उच्चतर श्रेणी में लाना है। इसके व्यय में केन्द्रीय तथा सम्बद्ध राज्य सरकारें हाथ बटायेंगी । मद्रास के चिकित्सा महाविद्यालय के निम्नोक्त विभागों को इस कार्य के लिये चुना गया है :—

(१) एनाटमी विभाग, स्टेनले चिकित्सा महाविद्यालय ।

(२) गुप्त रोग विभाग, मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय ।

(३) आब्सटेट्रिक्स तथा गायनीकोलोजी विभाग, महिला तथा बालक हस्पताल।

(ख) योजना का सुझाव केन्द्रीय सरकार ने दिया था।

(ग) अभी तक नहीं, परन्तु भारत सरकार ने वचन दिया है कि आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय में से कुछ अंश देगी।

(घ) विभिन्न राज्यों में अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थाओं के कुछ विभागों को भी उच्चतर श्रेणी में लाने की प्रस्थापनायें हैं। जिन विभागों की सिफ़ारिश की गई है उनकी सूची, जो प्राथमिकता के अनुसार बनाई गई है, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६**]

डा० रामा राव : क्या सरकार दिल्ली विश्व विद्यालय या दिल्ली के किसी चिकित्सा महाविद्यालय के विषय में भी कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

राजकुमारी अमृत कौर: जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है हम वहां यक्ष्मा की संस्था के विकास के लिये पहले ही धन दे चुके हैं। इस समय दिल्ली में कोई महाविद्यालय नहीं ह। वह तो अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के साथ ही बनेगा।

डा० रामा राव : क्या यह तथ्य है कि इर्विन हस्पताल के प्राधिकारियों ने अर्थात् दिल्ली राज्य ने उसे सरकार को देने से इंकार कर दिया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा ही है।

श्री सी० के० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि भाग ग के राज्यों में स्वास्थ्य एक हस्तांतरित विषय है या रक्षित विषय है ?

राजकुमारी अमृत कौर: स्वास्थ्य हस्तांतरित विषय है। परन्तु भाग ग के राज्यों में समय समय पर निदेश दिये जा सकते हैं। वहां वैसी स्थिति नहीं है जैसी कि भाग क के राज्यों में है।

श्री वी० पी० नायर: सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों को उच्चतर श्रेणी में लाने में कितना समय लगायेगी जिससे कि हमारे छात्रों को, जो औषधीय तथा शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशों में न जाना पड़े ?

राजकुमारी अमृत कौर: यथा सम्भव शीघ्र। व्यय का अंश केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें देंगी अतः बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारें योजना में अपना अंश कितनी जल्दी और कितना देती हैं।

डा० रामा राव: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के विषय में क्या करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली राज्य सरकार ने इर्विन हस्पताल सौंपने से इंन्कार कर दिया है ? वह संस्था को कहां आरम्भ करना चाहती है ?

राजकुमारी अमृत कौर: दिल्ली में। एक योजना विचाराधीन है। वह अब वित्त मन्त्रालय के पास है। हमने सुझाव दिया है कि सफदर जंग क्षेत्र में १५० एकड़ भूमि ले ली जाये।

अगरतला-कुर्ती सड़क

*७६५. **श्री दशरथ देव**: (क) क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगरतला-कुर्ती (धर्म नगर) सड़क के निर्माण पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(ख) क्या सड़क पूरी हो गई है ?

(ग) क्या इस सड़क के निर्माण में स्थानीय लोगों का सहयोग मांगा गया था, यदि मांगा गया था तो क्या परिणाम हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) अक्तूबर १९५२ के अन्त तक लगभग १९० लाख रुपये।

(ख) सड़क का निर्माण कच्चे पुलों सहित हो चुका है, परन्तु तारकोल करने का काम और पुलों का निर्माण हो रहा है।

(ग) हां; कम ही सहयोग मिला।

श्री दशरथ देव: कितने रुपये की हानि हुई और दोषी को क्या दंड दिया गया, और दोषी कौन था ?

श्री शाहनवाज खां : दोष का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दशरथ देव: क्या कार्य पूरा करने के लिये नई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : नयी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है।

श्री दशरथ देव : क्या वह एक या दो वर्षों में वाणिज्यिक मार्ग बन जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसे वाणिज्यिक मार्ग बनाने का विचार नहीं है । इस मार्ग का महत्व उसके सैनिक मूल्य के कारण है ।

श्री के० के० बसु : क्या हम .....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अब अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

त्रिपुरा के ग्राम्य क्षेत्रों में हस्पताल

*७६६. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री त्रिपुरा के ग्राम्य क्षेत्रों में हस्पतालों की संख्या बताने की कृपा करेंगी ?

(ख) क्या सरकार का इस वर्ष उनकी संख्या बढ़ाने का विचार है ?

(ग) त्रिपुरा में बाल-मृत्युओं की दर क्या है ?

(घ) यदि दर बहुत ज्यादा है तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) त्रिपुरा के ग्राम्य क्षेत्रों में कोई हस्पताल नहीं है । त्रिपुरा के तीन हस्पतालों में से दो अगरतला में हैं और एक कैलाशहर में है ।

(ख) यह प्रस्थापना है कि सामुदायिक योजना के अधीन एक हस्पताल ग्राम्य क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा ।

(ग) विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) देश भर में अधिक बाल-मृत्युओं के कारण हैं--निर्धनता, अज्ञान और समुचित चिकित्सा सहायता का अभाव ।

श्री दशरथ देव : क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा के स्वास्थ्य पदाधिकारी ने एक योजना चलते फिरते मलेरिया विरोधी चिकित्सा एकक के विषय में पेश की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दशरथ देव : क्या मन्त्री जी यह बतायेंगी कि इस योजना के लिये क्या इस वर्ष अनुदान दिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : कौनसी योजना ?

श्री दशरथ देव : वही योजना जिसका अभी मैंने उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कहा है कि उन्ह इसका कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री दशरथ देव: क्या यह तथ्य है कि बाल-मृत्युओं की भारी संख्या को रोकने के लिये, एक महिला संस्था ने, जिसका नाम त्रिपुरा राज्य गणतंत्रिक नारी समिति है, अगरतला में एक प्रशक्षिण केन्द्र खोलने की मांग की है और क्या मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): जब प्रार्थना आये गी तब मैं उस पर निस्सन्देह विचार करूंगी ।

रेलवे कर्मशालाएं

*७६७. **श्री एस० वी० रामास्वामी**: (क) क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वेगन (माल डिब्बे) बनाने के कितने कारखाने हैं ?

(ख) क्या भारत को कोच (सवारी डिब्बे) तथा वेगनों (माल डिब्बों) के उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ?

(ग) भारत के उस अवस्था तक कब तक पहुंचने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री बलेगेशन): (क) चार :

(१) बर्न एवं समवाय, हावड़ा ।

(२) इंडियन स्टेन्डर्ड वेगन समवाय सीमित, बर्नपुर ।

(३) ब्रेथवेटे एवं समवाय (भारत) सीमित, कलकत्ता ।

(४) जेसप एवं समवाय, कलकत्ता ।

(ख) तथा (ग) इस समय भारत में माल तथा सवारी के डिब्बे इतने बनते हैं कि उनसे सामान्यत: पुराने डिब्बों की स्थान पूर्ति हो सकती है। आशा है कि उपरोक्त चार फर्मों के अतिरिक्त नया इंटीग्रल कोच कारखाना, पेरमबूर, रेल कर्मशाला, हिन्दुस्तान विमान सीमित, और कुछ अन्य भारतीय निर्माता जिन्हें नमूने के लिये आर्डर दिये जाते हैं, सभी उत्पादन करके पांच वर्ष में हमारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा कर सकेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी: (क) बड़ी लाइन (ब्रौड गेज) तथा (ख) मीटर गेज पर सवारी तथा माल डिब्बों की कुल कितनी आवश्यकता है ?

श्री अलगेशन: साधारणत: पुराने डिब्बों की स्थानपूर्ति के लिये बड़ी लाइन पर ३५० तथा मीटरगेज पर ३०० डिब्बे चाहियें; माल डिब्बों के लिये अनुपात २:१ का होगा।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं पेरमबूर में वेगन निर्माण कारखाना कब चालू हो जायेगा ?

श्री अलगेशन: कारखाने पर अभी अभी काम शुरू हुआ है, और कुछ वर्षों में वह चालू हो जायेगा।

श्री नम्बियार: कारखाने में कितने सहस्र या सौ कर्मचारी होंगे ?

श्री अलगेशन: अभी तो हमें कुछ अन्दाज़ा नहीं है।

श्री नम्बियार: फिर प्रस्थापना क्या है, यदि उन्हें अन्दाज़ा नहीं है कि कितने कर्मचारी होंगे ?

अध्यक्ष महोदय: प्रस्थापना काम बढ़ाने की और काम बढ़ने पर कर्मचारी रखने की भी हो सकती है।

श्री नम्बियार: उसका क्षेत्र क्या है और कितने कर्मचारी रखे जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह प्रश्न तो उठता नहीं।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि इन ब्रिटिश कारखानों को, जो हमें इस समय माल-डिब्बे देते हैं, क्या विशेष सहायता दी जाती है यथा लोहा देना या वित्तीय सहायता ?

श्री अलगेशन: उनके निर्माण कार्य की आवश्यकताएं पूरा करने में सहायता दी जाती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी: गत जून में, रेल मन्त्री ने हमें बताया था कि ब्रिटेन की एक फर्म ने कुछ अंगभूत पुर्जे नहीं दिये थे जिससे हमें अपने डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य बदलना पड़ा था, क्या ऐसी अड़चन अभी भी जारी है, यदि है तो उसे दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, परन्तु मुझे भय है कि यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री एच० एन० मुखर्जी: श्रीमान्, इसका माल-डिब्बों के उत्पादन से तो सम्बन्ध है ही।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं।

सलेम में रेल की उखाड़ी हुई पटरियों को फिर से लगाना

***७६८. श्री एस० वी० रामस्वामी**: (क) क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विविध संस्थाओं ने और सलेम ज़िले के विधान सभाइयों ने क्या यह अभिवेदन किया है कि सलेम ज़िले में दो उखाड़ी हुई रेल पटरियों

को फ़िर से बिछाने का कार्य दुर्भिक्ष सहायता के लिये आरम्भ किया जाये ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि वे दो रेल की पटरियां लगभग १९०० में दुर्भिक्ष सहायता के लिये ही बिछाई गई थीं।

(ग) (१) मोराप्पुर से होसूर तक तथा (२) तिरुप्पाथुर से कृष्णगिरि तक इन पटरियों को मीटरगेज के रूप में फ़िर बिछाने का अनुमानित व्यय कितना पड़ेगा।

(घ) क्या सरकार इस विषय में किसी निर्णय पर पहुंची है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) हां।

(ग) मोराप्पुर-होसूर नेरो गेज की पटरी के फ़िर से बिछाने पर अनुमानित व्यय १०४ लाख रुपये है। तिरुप्पाथुर से कृष्णगिरि तक पटरी बिछाने की लागत अभी फैलाई नहीं गई है

(घ) नहीं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : जो पटरियां उखाड़ी गई हैं उनकी कुल लम्बाई कितनी है ?

श्री अलगेशन : मोरप्पुर-होसूर लाइन ७३ मील है। वह नेरो-गेज की पटरी है, और तिरुप्पाथुर कृष्णगिरि लाइन २५ मील है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : जब पटरियां उखाड़ी गई थीं तब क्या यह निष्ठापूर्वक वचन दिया गया था कि ज्यों ही युद्ध समाप्त हो जायेगा उन्हें फिर से बिछा दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि ऐसे वचन को 'निष्ठापूर्वक' कैसे कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई वचन दिया गया था, निष्ठापूवक हो या न हो ?

श्री अलगेशन : मुझे भरोसा है, नहीं, श्रीमान्।

श्री सी० आर० नरसिंहन : इन पटरियों की आस्तियों का क्या हुआ और इन आस्तियों को ठीक बनाये रखने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री अलगेशन : आस्तियों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सी० आर० नरसिंहन : उन्हें ठीक बनाये रखने के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : पटरियां हटा दी गई। ठीक क्या बनाये रखना है ?

श्री सी० आर० नरसिंहन : परन्तु भवन तथा अन्य पदार्थ तो हैं ही। क्या उन्हें ठीक रखा जा रहा है या खराब होने दिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मुझे डर है कि मेरे पास इस समय यह जानकारी तैयार नहीं है।

श्री नम्बियार : क्या शोरानूर निलम्बूर रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के प्रश्न पर भी उसके साथ विचार किया गया था ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इससे उत्पन्न होता है।

श्री सी० आर० नरसिंहन : क्या मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि इन दोनों उखाड़ी गई पटरियों का युद्ध काल में उखाड़ी गई सभी पटरियों से क्या अनुपात है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

कोच-निर्माण कारखाना, पेरम्बूर

*७६९. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पेरम्बूर के कोच-निर्माण कारखाने को कब आरम्भ करने का विचार है और उसमें उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) वह प्रतिवर्ष कितनी तैयार कोचें बना सकेगा ?

रले तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पेरम्बूर कोच कारखाने पर काम १९५२ के आरम्भ में शरू किया गया था।

आशा है कि १९५५ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) जब पूरी तरह उत्पादन होने लगेगा तब कारखाने में प्रतिवर्ष बिना फ़र्नीचर वाले ३५० सवारी डिब्बे बन सकेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस कारखाने में जो डिब्बे बनेंगे उनमें प्रत्येक पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ? मैं वह प्रश्न फिर पूछता हूं। वह लागत उस लागत की तुलना में कैसी है जो इस समय हिन्दुस्तान कारखाने में निर्मित डिब्बों पर पड़ती है ?

श्री अलगेशन : हो सकता है कि डिब्बों पर लागत आरंम्भ में अधिक आये और जब पूरा उत्पादन होने लगे तब लागत अवश्य गिरेगी ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मुझे खेद है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस समय हिन्दुस्तान कारखाने में जो डिब्बा बनता है उस पर क्या लागत आती है और पेरम्बूर कारखाने में जो डिब्बा बनेगा उसकी लागत कितनी पड़ेगी ?

श्री अलगेशन : हिन्दुस्तान कारखाने के डिब्बे की लागत १,३०,००० रुपये पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय : और दूसरे डिब्बे की ?

श्री अलगेशन : यह मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री नम्बियार : क्या पेरम्बूर कारखाना टुकड़ों को जोड़ कर डिब्बे बनायेगा या उनका पूरा निर्माण करेगा ? क्या उसमें अन्दर के खोल भी बनेंगे ?

श्री अलगेशन : अन्दर के खोल नहीं हैं। डिब्बा 'सर्व इस्पाती सर्व संयुक्त हलका एकल प्रकार' का होगा। उसमें अन्दरूनी खोल कोई नहीं होगा। उसमें पूरा डिब्बा बनाया जायेगा, टुकड़े जोड़ कर नहीं।

घोड़ों के चलने योग्य मार्ग

*७७०. **श्री रिशिंग किशींग** : क्या **यातायात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **मनीपुर** पहाड़ियों में घोड़ों के चलने योग्य मार्गों की कुल लम्बाई कितनी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उन मार्गों के पास रहने वाले पहाड़ियों को वे मार्ग वर्ष में दो बार साफ़ करने पड़ते हैं जिसके लिये उन्हें केवल २० रुपये प्रति मील मिलते हैं और यदि वे साफ़ करने से इंकार करते हैं तो भारी दंड के योग्य होते हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि पर्वतीय लोग सरकार के इस कार्य को बेगार लेना समझते हैं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ११०० मील।

(ख) ये घोड़ों के मार्ग वैसे ही हैं जैसे कि भारत के अन्य भागों की ग्राम सड़कें, जिनकी देख-भाल ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय करते हैं। मनीपुर में कोई ग्राम-पंचायतें या स्थानीय निकाय नहीं हैं। अतः उस मार्ग के भागों को ठीक रखने तथा मरम्मत करने का कार्य आदिम जातीय ग्रामों को उन ग्रामों के परिमाण के हिसाब से सौंप दिया जाता है । कार्य प्रधानतः यह होता है : जंगलों को साफ़ करना, बेकार घास फूस को हटाना और वर्षा में कोई पहाड़ी भाग मार्ग में गिर पड़े तो उसे दूर करना और कभी कभी छोटे लकड़ी के पुलों को बनाना या उनकी मरम्मत करना इरा

कार्य के लिये ७ रूपये से २५ रुपये प्रति मील के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है जो वास्तव में किये गये कार्य पर निर्भर होता है। क्योंकि मार्ग को ठीक करना उन ग्रामीणों के ही लाभार्थ है अतः उनसे उस कार्य के करने की आशा की जाती है। अभी तक किसी ग्रामीण को कार्य न करने पर दंड नहीं दिया गया। कभी कभी उन्हें चेतावनी दी गई कि उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।

(ग) जहां तक सरकार को पता है ऐसा नहीं है, यद्यपि उपरोक्त प्रबन्ध के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं।

श्री रिशंग किशांग : इन मार्गों को ठीक रखने पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होती है ?

श्री अलगेशन : मुझे डर है कि मुझे सूचना की अपेक्षा होगी।

श्री रिशिंग किशांग : यह देखते हुए कि आदिम जातीय लोगों को घाट काटने और मिट्टी पत्थर हटाने के लिये १॥) रुपये प्रति फ़रलांग से कम ही मिलता है, और दंड के भय से ही कार्य करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि यह वस्तुस्थिति कब तक चलती रहेगी और क्या सरकार का विचार उनकी शिकायतें दूर करने का है।

श्री अलगेशन : सरकार इस पर विचार करने के लिये और यदि सम्भव हो तो दरें बढ़ाने के लिये तैयार है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह तथ्य नहीं है कि ग्रामवासियों ने प्राधिकारियों को कई बार शिकायत की है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में उसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि कोई शिकायतें हैं या नहीं।

श्री अलगेशन : नहीं।

गन्तूर-रिपल्ल शाखा लाइन

*७७१. **श्री रघरामय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास राज्य में गुन्तूर-रिपल्ले शाखा लाइन पर बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उस लाइन पर चलने वाली गाड़ियां टाइम-टेबल के समयों के अनसार नहीं चलतीं; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर 'हां' में हैं तो सरकार बिना टिकिट यात्रा को रोकने के लिये और उस लाइन पर गाड़ियों का समुचित रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे की गुन्तूर-रिपल्ले लाइन पर बिना टिकट यात्रा अब तो घट रही है।

(ख) वे समय की इतनी पाबन्द नहीं हैं जैसी कि होनी चाहिये।

(ग) इस शाखा पर चलने वाली सभी गाड़ियों पर टी० टी० ई० होते हैं।

गाड़ियों के समय पर चलने के विषय में, तब सुधार हो जायगा जब कि कोलुख सड़क को एक क्रासिंग स्टेशन बना दिया जायेगा, जो काम कि अब हाथ में है, और नये इंजिन प्रयोग में आ जायेंगे जिसकी कि १९५३ के आरम्भ में आशा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आसाम रेल सम्बन्ध

*७७२. **श्री अमजद अली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ के

जून-जुलाई की बाढ़ में रेल-सड़क तथा पुलों के टूट जाने पर आसाम रेल-सम्बन्ध के मार्ग पर गाड़ियां चलाने के लिये जो अस्थायी व्यवस्था की गई उस पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : इस शाखा पर अस्थायी मरम्मत तथा अन्य प्रबन्ध करने पर लगभग १२ लाख रुपये खर्च हुए ।

आसाम-रेल-सम्बन्ध

*७७३. **श्री अमजद अली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम रेल सम्बन्ध के बनने के समय से ही हिमालय के प्रदेश से आने वाले जल के प्रवाह से पुलों तथा रेल-सड़कों को बचाने के लिये जो तथाकथित "अदृश्य रचनाएं" बनाई गई हैं उनके निर्माण पर तथा उन्हें ठीक रखने पर क्या व्यय आयेगा; और

(ख) उस लाइन पर इससे किस हद तक अच्छा बचाव हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दो अदृश्य रचनाओं पर लगभग २०,००० रुपये और उन्हें ठीक रखने पर लगभग २००० रुपये ।

(ख) वे रचनाएं बहुत प्रभावी सिद्ध हुई हैं ।

चाय बागों में महिला श्रमिक

*७७४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **श्रम** मंत्री चाय बागों में काम करने वाली महिला श्रमिकों सम्बन्धी, २४ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० २०९६ पर दिये गये उनके उत्तर के निर्देश से, यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने जो वचन दिया था उसके अनुसार जानकारी संकलित की है, यदि की है, तो क्या;

(ख) क्या सरकार ने समूची स्थिति पर पुनः विचार किया है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि न्यायाधिकरण के विनिश्चय के पश्चात बहुत सी महिला श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया; और

(घ) क्या सरकार वहां संकट को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है, यदि हां, तो क्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) आसाम में ११,२२३ महिलाएं ९८ चाय बागों में अपने पतियों के साथ काम कर रही हैं, जो भारतीय चाय संघ की सदस्यता के अतिरिक्त हैं । पश्चिमी बंगाल में, ४१ चाय बागों में ऐसी महिला श्रमिकों की संख्या १०,५९० है जो जलपेगुरी में भारतीय चाय उत्पादक संघ के अन्तर्गत है । अग्रेतर जानकारी राज्य सरकार संकलित कर रही है ।

(ग) न्यायाधिकरण के विनिश्चय के पश्चात् जो महिला श्रमिक नौकरी से निकाली गईं उनके विषय में जानकारी सुलभ नहीं है, और राज्य सरकारों के द्वारा संकलित की जा रही है ।

(ख) तथा (घ) । सरकार इस मामले पर विचार करती रही है परन्तु यह समझ में नहीं आता कि प्रश्न २०९६ के भाग (क) के उत्तर में जो कारण दिये गये हैं उनके होते हुए सरकार प्रबन्धकों के स्वविवेक में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है ।

चाय श्रमिक

*७७५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय चाय संघ ने इस आशय की एक सूचना निकाली है कि चाय उद्योग शीत ऋतु में श्रमिकों को बिना वेतन अलग कर देगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे रोकने के लिये या उस कालावधि में उन्हें बुभुक्षा से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इसमें कितने श्रमिक अंतर्ग्रस्त होंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । आसाम के विषय में यह पता लगा है कि भारतीय चाय संघ की आसाम शाखा ने एक गश्ती पत्र भेजा है जिसमें इस बात की संभावना की ओर संकेत किया गया है कि शीतकाल में कुछ श्रमिकों को हटाया जा सकता है जिनके लिये कि पर्याप्त कार्य न हो । राज्य सरकार ने, जो चाय बाग उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों के लिये उत्तरदायी है, एक निदेश निकाला है कि जो श्रमिक बेकार हो जायें उन्हें यथासंभव सार्वजनिक निर्माण विभाग के योजना-कार्यों में लगाया जाये, और राज्य सरकार स्थानीय निकायों, ठेकेदारों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी समझा रही है कि वे यथासंभव उन श्रमिकों को कार्य दें । अभी यह पता नहीं लगाया जा सकता कि. कितने श्रमिक बेकार हो जायेंगे, क्योंकि वह तो इस बात पर निर्भर है कि नियोजक कितना कार्य दे सकेंगे ।

हिन्दी तार व्यवस्था

*७७६. **श्री तेलकीकर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देवनागरी में हिन्दी तार व्यवस्था को हैदराबाद में भी कुछ स्टेशनों पर लागू किया जायेगा ; और

(ख) क्या भारत की सभी या अन्य किसी भारतीय भाषा के लिये देवनागरी लिपि में तार व्यवस्था स्थापित होने की कोई संभावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां । पहला पग यह है कि सिकन्दराबाद में देवनागरी की तार व्यवस्था आरंभ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रबन्ध तो पहले ही है कि जिन स्टेशनों पर हिन्दी तार व्यवस्था है उन के बीच देवनागरी लिपि में लिखे हुए किसी भारतीय भाषा के तार भेजे जा सकते हैं ।

नौकरी के दफ्तर

*७७७. **श्री तेलकीकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गैर-सरकारी नियोजकों तथा नौकरों ने नौकरी के दफ्तरों का उपयोग किया ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो क्या इन दफ्तरों ने भारत के सब भागों से गैर-सरकारी नियोजकों से आवश्यक आंकड़े संकलित किये हैं ; और

(ग) क्या विभाग की कोई पत्रिका है जिस में इस विषय की पूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) हां, हमारे पास जानकारी के दो स्रोत हैं । एक तो भारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विषय में कारखाना निरीक्षकों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है और नौकरी के दफ्तर अपने क्षेत्राधिकार में स्थित गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के विषय में एक विहित विवरण भेजते हैं ।

(ग) नौकरी के दफ्तर सम्बन्धी आंकड़े 'पुनर्वास तथा नियोजन के महा निदेशक' द्वारा किये गये कार्य के मासिक सिंहावलोकन म, नियोजन समाचार में और 'भारतीय श्रम सूचना-पत्र' में प्रकाशित होते हैं ।

विजयनगरम-रायपुर रेलवे लाइन

*७७८. **श्री संगण्णा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे की विजयनगरम–रायपुर रेलवे लाइन पर ऐसे कितने स्टेशन हैं जिन पर यात्रियों के विश्राम के लिये कमरे नहीं हैं ?

(ख) क्या सरकार का विचार उन सभी स्टेशनों पर विश्राम-कमरे बनाने का है, यदि है तो कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रायपुर-विजयनगरम शाखा पर केवल दो स्टेशनों पर प्रथम, द्वितीय तथा ड्योढ़े दर्जे के लोगों के लिये विश्राम-कमरे हैं। परन्तु तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये इस शाखा पर ३२ में से ३१ स्टेशनों पर विश्राम-स्थान हैं। शेष स्टेशन दोइकालू पर भी विश्राम-स्थान बनना अरम्भ हो चुका है।

(ख) चालू और अगले वित्तीय वर्षों में निम्नोक्त अतिरिक्त विश्राम स्थान बनाने की प्रस्थापना है :

टिटीलागढ़, पार्वतीपुरम	ड्योढ़े दर्जे के विश्राम कमरे
नवा परा रोड, केसिंगा	उच्च श्रेणी के विश्राम कमरे जिनमें वर्तमान कमरों में सुधार भी शामिल हैं।

चित्तोड़-कोटा रेलवे लाईन

*७७९. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक नई लाइन बना कर चित्तौड़ को कोटा से मिलाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या इस लाइन का प्रारम्भिक परिमाप बहुत समय पूर्व किया गया था ; और

(ग) लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं।

(ख) चित्तौड़ और कोटा के बीच मीटर गेज लाइन का प्रारंभिक परिमाप १९४५-४६ और १९४६-४७ में किया गया था।

(ग) मीटर गेज से मिलाने पर लगभग चार करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है, बड़ी लाइन (ब्रौड गेज) पर ६ करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

नदी घाटी योजनायें

*७८०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या श्रम मंत्री नदी घाटी योजनाओं सम्बन्धी श्रम विधियों के विषय में २१ जुलाई, १९५२ को तारांकित प्रश्न सं० १९०१ पर दिये गये उत्तर के निर्देश से यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह जानकारी अब संकलित कर ली गई है और यदि ऐसा है तो वह सदन को कब दी जायेगी ?

(ख) क्या उस प्रश्न के भाग (ग) में निर्दिष्ट मामले पर कोई कार्यवाही की गई, और यदि की गई तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी का विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]

नीलगिरि के लिए विमान क्षेत्र

*७८१. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नीलगिरि में कोई असैनिक विमान-क्षेत्र बनाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस समय उस प्रस्थापना की क्या अवस्था है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनाज का आयात

*७८२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने १९५३ में कितना अनाज आयात करना है, इस विषय में कोई विनिश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो कितना कितना गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज आयात किये जायेंगे और किन किन देशों से ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) निर्णायक विनिश्चय अभी नहीं किया गया है परन्तु अनुमानतः यह आशा है कि हम लगभग २६ लाख टन अनाज आयात करेंगे।

(ख) लगभग १८.५ लाख टन तो संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अरजेन्टाइना से गेहूं आने की आशा है, और लगभग ७.५ लाख टन चावल प्रधानतः बर्मा, चीन तथा स्याम से आने की आशा है।

केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि

२६०. **श्री दाभी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में बंबई सरकार को केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि में से कोई अनुदान दिया है या देने वाली है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो उस अनुदान की कुल राशि और उन सड़कों की श्रेणियां जिनके पीछे वह व्यय होनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) कुल ३० लाख रुपये के अनुदानों की पेशकश की गई है और उन में से इसी वर्ष लगभग ११ लाख रुपये कुछ पुलों, ग्राम सड़कों और अंतर्राज्यिक या राष्ट्रीय महत्व की सड़कों पर व्यय होने की संभावना है। अभी तक केवल ३०,००० रुपये की राशि राज्य की सड़क योजनाओं में से एक पर चालू वर्ष में व्यय करने के लिये रखी गई है।

चारे की कमी

२६२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में वे क्षेत्र जहां गत छः मासों में चारे की कमी रही है ;

(ख) सरकार ने उस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की ;

(ग) क्या इन में से किसी क्षेत्र में भूख के कारण ढोरों की कोई मृत्युएं हुईं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां' में है तो चारे की कमी से कितनी मृत्युएं हो चुकी हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चारे की कमी इस वर्ष की ग्रीष्म कालीन वर्षा से पूर्व निम्न राज्यों में थी : अजमेर, बम्बई (गुजरात क्षेत्र), दिल्ली, कच्छ, मद्रास (रायलसीमा-क्षेत्र), मैसूर, पेप्सू (मोहिन्दरगढ़ जिला), पंजाब (हरियाना प्रदेश), राजस्थान, सौराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश (पूर्वी जिले)।

(ख) सरकार ने जो उपाय *किये* उनका विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है।

(ग) हां।

(घ) भूख के कारण ढोरों की मृत्युएं पेप्सू के मोहिन्दरगढ़ जिले में और पंजाब के हिसार जिले में हुईं, उनकी संख्या क्रमशः १,२०० तथा २९,०५६ थी। राजस्थान में भी कुछ ऐसे मामले हुए पर उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में भी कुछ मृत्युएं हुईं, परन्तु वे प्रत्यक्षतः भूख के कारण नहीं हुईं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ३८**].

चलती गाड़ियों से माल की चोरी

२६३. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न रेलवेज के पास १९५१-५२ में चलती गाड़ियों में से माल और पारसलों के उड़ाये जाने के कितने मामले आये ;

(ख) कितने मामलों में रेलवे पुलिस या किसी अन्य पुलिस ने माल या पारसल बरामद कर लिये;

(ग) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये और सजायें हुईं ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में रेलवे के लोग भी अंतर्ग्रस्त पाये थे, यदि हां, तो कितने मामलों में ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५४०० ।

(ख) ५७५ ।

(ग) ४०१ ।

(घ) हां, १५० मामलों में ।

रेलों द्वारा अनाज का परिवहन

२६४. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० और १९५१ में विभिन्न रेलवेज ने कुल कितने टन अनाज का परिवहन किया ?

(ख) रेल द्वारा अनाज को ले जाते समय कितने तोल का अनाज खोया गया था या खराब हो गया जिसके लिये इन वर्षों में दावे प्राप्त हुए ?

(ग) इन वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि के दावे किये ?

(घ) इस कालावधि में रेलवे ने अंततः कितनी राशि दी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९५० तथा १९५१ में विविध रेलवेज द्वारा ले जाये गये अनाज का तोल क्रमशः ६८,७७,१७८ टन तथा ७५,२०,८८४ टन है ।

(ख) मार्ग में जो अनाज खोया गया अथवा खराब हो गया और जिसके विषय में सन् १९५० तथा १९५१ में दावे प्राप्त हुए उसका तोल क्रमशः ६,५०८ टन तथा ७,१६० टन था ।

(ग) सन् १९५० तथा १९५१ में विविध राज्य सरकारों द्वारा जो दावे भेजे गये उनकी राशि क्रमशः २१,०२,७१८ तथा २३,४५,९५४ रुपये है ।

(घ) रेलवेज द्वारा सन् १९५० तथा १९५१ में अन्ततः भुगताये गये दावों की राशि क्रमशः ८,२४,८५७ रुपये तथा ७,८९,४२८ रुपये है ।

गोदाम

२६५. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत स्टोरों में समुचित प्रकार से रखने की व्यवस्था न होने के कारण अनाज की अनुमानित क्षति; और

(ख) रखने की व्यवस्था के सुधारने के लिये की गई कार्यवाही ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९४९ में ८१७ टन, १९५० में ४०५ टन, १९५१ में ३६९ टन ।

(ख) अनाज को उपयुक्त गोदामों में रखा जाता है और कीटाणु-नाशक उपाय तथा कीटाणु-ग्रस्त अनाज का फ्यमीगेशन प्रणाली-बद्ध तरीके से किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित रहे कि अनाज अधिक खराब न हो। प्रत्येक केन्द्र पर शिल्पिक कर्मचारी रखे गये हैं।

कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना

२६६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जिन्हें लाभ होगा उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और वे किन किन उद्योगों के हैं ?

(ख) इस योजना को कारखानों में लागू करने के लिये क्या शर्तें हैं और उसमें कर्मचारियों तथा नियोजकों का अंश कितना कितना होगा ?

(ग) निधियों का प्रशासन केन्द्र तथा राज्यों में कैसे होगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) वे छः उद्योग जिन पर यह अधिनियम इस समय लागू हैं ये हैं: सीमेंट, सिगरेट, बिजली, यांत्रिक या सामान्य इंजीनियरी के उत्पाद, लोहा तथा इस्पात, कागज और वस्त्र। इस अधिनियम के अधीन कुल कितने कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं इस विषय पर ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह अनुमान किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या १३ से १६ लाख तक होगी।

(ख) यह योजना उन सभी उद्योगों पर लागू है जो प्रश्न (क) के उत्तर में उल्लिखित है, जिनमें पचास या अधिक व्यक्ति काम करते हों, सिवाय ऐसे कारखाने के (१) जो सरकार या स्थानीय निकाय का हो, और (२) जो तीन वर्ष पुराना न हो।

नियोजन इस योजना के अधीन कर्मचारी के वेतन तथा महंगाई भत्ते का एक आना रुपया देता है और कर्मचारी भी इतना ही देता है।

(ग) इस निधि का प्रबंध केन्द्र में न्यासधारी मंडली करेगी और राज्यों में भी ऐसी ही मंडलियां होंगी। परन्तु प्रथम वर्ष में केन्द्रीय सरकार उसे चलायेगी, बाद में अधिनियम की धारा १९ के अधीन राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान कर दी जायेंगी।

चीन तथा रूस से अन्न के उपहार

२६७. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन तथा रूस की कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने क्या मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन के पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिय अनाज तथा धन के उपहार भेजे हैं ?

(ख) यदि हां तो ये उपहार कैसे वितरित किये गये ?

(ग) अब तक धन तथा वस्तु रूप में जो उपहार प्राप्त हुए हैं उनकी कुल राशि क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां। कुछ उपहार पीड़ित क्षेत्रों में सहयता कार्य के लिये रूस तथा चीन की गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९**]

कलकत्ता पत्तन (भीड़ भाड़)

२६८. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून तथा जुलाई १९५२ के मासों में कलकत्ता पत्तन पर सब वस्तुओं के आयात का परिमाण कितना था ?

(ख) इसी कालावधि में निर्यात का परिमाण कितना था (मास तथा वस्तुओं के अनुसार) ?

(ग) कलकत्ता के पत्तन पर जो जलयान प्रतिदिन आयात तथा निर्यात दोनों के लिये आते थे उनकी औसत संख्या क्या थी ?

(घ) पत्तन पर जहाजों की भीड़ का प्रबन्ध करने के लिये क्या अन्य कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सदन-पटल पर दो विवरण रखे हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी

दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(घ) कलकत्ता के पत्तन में हाल के मासों में जो भीड़ हुई थी वह सर्वथा कोयले के लिये जहाजों के आने के कारण थी । पत्तन द्वारा जो कोयला भेजा जाता है वह रेल के माल-डिब्बों के संभरण की स्थिति पर निर्भर होता है । स्थिति को सुधारने के लिये जो कार्यवाही की गई है वह डा० राम सुभग सिंह के प्रश्न सं० ५३४ के भाग (ख) के उत्तर में उत्पादन मंत्री ने २१ नवम्बर १९५२ को बताई थी, अतः उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

गोदाम

२६९. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में अनाज के रखने के कितने गोदाम हैं जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं, उन में कितना माल आ सकता है और उनके निर्माण पर कितनी लागत आई है;

(ख) क्या उन सब में जल तथा कीड़ों का प्रवेश नहीं हो सकता;

(ग) प्रत्येक राज्य में किराये के गोदामों की संख्या और उनका मासिक किराया;

(घ) क्या भाग (ग) में निर्दिष्ट सभी गोदामों में जल तथा कीड़ों का प्रवेश नहीं हो सकता; और

(ङ) सन् १९५२ में इन गोदामों में रखे अनाज में से यदि कुछ खराब हुआ, तो कितना ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ग). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१**].

(ख) तथा (घ). उनमें जल का प्रवेश तो नहीं, कीड़ों का हो सकता है । बोरियां रखने के गोदामों में कीड़ों का प्रवेश रोका नहीं जा सकता ।

(ङ) ४४८ टन ।

अनावृष्टि

२७०. **श्री टी० एन० सिंह** : क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें वे क्षेत्र दिखाये गये हों जहां सन् १९५२ में वर्षा न हुई हो और वे क्षेत्र भी दिखाये गये हों जहां अतिवृष्टि के कारण सन् १९५२ में फसल को क्षति पहुंची हो ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**]

डाकघर राजस्व तथा व्यय

२७१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' राज्यों में से प्रत्येक में ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में कितने नये डाक घर या डाक तथा तार घर खोले गये और कितने बंद किये गये, और प्रत्येक डाक घर में कितना विविध प्रकार का डाक-कार्य हुआ; और

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में इन में से प्रत्येक डाक घर या डाक तार घर का राजस्व तथा व्यय ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक में जितने डाक घर और डाक तार घर खोले गये और बंद किये गये उनका एक विवरण नत्थी किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक डाक घर या डाक तार घर

में किये गये विविध प्रकार के डाक कार्य और उसके राजस्व तथा व्यय का जहां तक सम्बन्ध है, इस कालावधि में १६,००० से अधिक डाक घर खोले गये, और इतनी व्यापक जानकारी एकत्र करने में जो समय तथा धन खर्च होगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

रेलवे स्टोर जांच समिति का प्रतिवदन

२७२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक में रेलों के स्टोरों का मूल्य और ३१ मार्च १९३९ को रेलों के स्टोरों का मूल्य ; और

(ख) सरकार ने अनेक रेलों के स्टोरों के क्रय, रखने, ठीक बनाये रखने और बंटन के विषय में श्रौफ समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के अंत में जो स्टोर स्टाक में थे उनका मूल्य यह था :

	रुपये	
३१.३.१९४८ को	२८.४०	करोड़
३१.३.१९४९ को	३६.४४	,,
३१.३.१९५० को	४६.६५	,,
३१.३.१९५१ को	५८.१३	,,
३१.३.१९५२ को	६३.३२	,,
	(अनुमानित)	

३१.३.१९३९ को उनका मूल्य १०.०८ करोड़ रुपये था ।

(ख) एक विवरण इसके साथ संलग्न है जिसमें श्रौफ समिति की संगत सिफारिशों और उन पर की गयी कार्यवाही दिखाई गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

पटरी से उतरे हुए माल के डिब्बे

२७३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पटरी से उतरे हुए या दूर गिरे हुए माल-डिब्बों को कितने समय के पश्चात् हटाया जाता है; और

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे पटरियों से उतरे हुए माल-डिब्बे नयागांव और शीतल-पुर रेलवे-स्टेशनों के बीच उत्तर-पूर्व रेलवे पर खाई में अनेक मासों से पड़े हुए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई निश्चित समय-सीमा विहित नहीं है क्योंकि कितनी द्रुतगति से डिब्बे हटाये जा सकते हैं यह तो परिस्थितियों पर निर्भर होता है । परन्तु उन्हें यथाशीघ्र हटा दिया जाता है ।

(ख) तीन मार्च सन् १९५२ को पटरी से उतरने के पश्चात् कुछ डिब्बे नयागांव तथा शीतलपुर स्टेशनों के बीच रेलमार्ग के पास पड़े रहने दिये गये और वे ४ सितम्बर १९५२ को हटाये गये । इस विषय में विलम्ब पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है ।

आसाम को जाने वाला माल

२७४. **श्री बेली राम दास** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आसाम जाने वाला बहुत सा माल कलकत्ता पत्तन पर स्टीमर द्वारा आता है ?

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि आसाम से कलकत्ता को माल स्टीमर से जाता है और रेल से नहीं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि स्टीमर का भाड़ा रेल भाड़े से अधिक है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : : (क) तथा (ख). हां । १९५०-५१ में पूर्णतः रेल के यातायात में आसाम को

आयातित माल का ३१ प्रतिशत भाग था और आसाम से निर्यातित माल ४० प्रतिशत था। शेष माल या तो रेल-नदी मार्ग से गया या केवल नदी मार्ग से गया ।

(ग) हां; कुछ मामलों में ।

टेलीफून सम्बन्ध

२७५. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में वे स्थान जहां निकट भविष्य में टेलीफून सम्बन्ध लगाये जाने हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में की गई प्रगति ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डालटनगंज में टेलीफून एक्सचेन्ज और सीतामढ़ी, मधुबनी, जैनगर, सहर्ष, तथा जरमं ोह में सार्वजनिक प्रयोग के टेलीफून ।

(ख) डाल्टन गंज तथा जरमुंदीह } कार्य जारी है ।

सीतामढी, मधुबनी, ीताम ी, मधुबनी, सहर्ष, जैनगर } काय आरम्भ करने के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

इन सभी कार्यों के चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है ।

शिल्पिक सहायता योजना (छात्रवृतियां)

२७६. **श्री बंसल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक भारत को अन्त ष्ट्रीय श्रम संघ की शिल्पिक सहायता ोजना तथा किसी अन्य योजना के अधीन कितनी छात्रवृत्ति ों तथा फेलोशिप की पेशकश की गई है;

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और वास्तव में कितने व्यक्ति चुने गये :

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से कर्मचारी; और

(२) ग़ैर-सरकारी संस्थाएं और व्यक्ति; और

(ग) आवेदन-पत्रों को छाटने तथा अभ्यर्थियों को छांटने की व्यवस्था क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अब तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आठ फेलोशिप दिये गये हैं ।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कर्मचारियों से बत्तीस आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, और ६० आवेदन-पत्र विविध व्यक्तियों से तथा नियोजकों एवं कर्मचारियों की संस्थाओं के मारफत प्राप्त हुए थे । दो सरकारी नौकर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दो कर्मचारी और श्रमिकों तथा नियोजकों की संस्थाओं के चार नाम निर्देशित व्यक्ति चुने गये ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा अपने शिल्पिक साहाय्य के नियमित कार्यक्रम के अधीन दिये गये फेलोशिप के लिए संवरण एक संवरण समिति करती है जिसमें सरकार, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं । शिल्पिक सहायता के विस्तृत कार्यक्रम के फेलोशिपों के लिए, जो विशिष्ट योजनाओं से सम्बद्ध होते हैं, आवेदन-पत्रों के छांटने के लिए कोई विशेष व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है । इनके छांटने का कार्य श्रम मंत्रालय में निम्न आधारों पर किया जाता है—

(१) प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने की तुलनात्मक आवश्यकता और लाभ जो उस प्रशिक्षण से प्रोद्भूत हो सकते हैं ।

(२) विदेश में प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने की उस अभ्यर्थी की तुलनात्मक आवश्यकता ।

(३) अभ्यर्थी के विद्यमान कार्य का प्रशिक्षण से सम्बन्ध ।

(४) अभ्यर्थी द्वारा उस प्रशिक्षण का देशहित में उपयोग करने की संभावना ।

श्रम मंत्रालय आवेदन-पत्रों पर सरकार और नियोजकों तथा कर्मचारियों के संगठनों की सिफारिश पर ही विचार करता है, और अभ्यर्थियों का संवरण श्रम मंत्री के लिखित अनुमोदन से होता है ।

उर्वरक (वितरण)

२७७. **श्री जसानी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे सिंदरी कारखाने द्वारा बनाये गये उर्वरक किस दर पर कृषकों को दिये जाते हैं ?

(ख) क्या कृषकों को 'अधिक अन्न उगाओ योजना' के अधीन कोई रियायत दी जाती है, और यदि ऐसा है तो किस दर पर और कितनी शर्तों पर ?

(ग) उर्वरकों के प्रयोग से अन्न उत्पादन में वृद्धि का अनुपात क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है जिसमें वे दरें दी हुई हैं जिन पर विविध राज्यों में कृषकों को सिंदरी कारखाने का खाद दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) सल्फेट आफ अमोनिया जैसे नाइट्रोजन-वाले उर्वरक कृषकों में बहुत लोकप्रिय हैं अतः उन पर सहायता नहीं दी जाती । परन्तु अन्य उर्वरकों के वितरण के लिए २५ प्रतिशत से अनधिक सहायता दी जाती है । उर्वरकों के क्रय में सहायता देने के लिए लगभग ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष के अल्प-अवधि ऋण भी दिये जाते हैं ।

(ग) एक टन अमोनिया सल्फेट के प्रयोग से प्रायः डेढ़ दो टन अतिरिक्त अनाज की उत्पादन-वृद्धि होती है ।

परिवार आयोजन आयोग

२७८. **श्री बालकृष्णन :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने क्या परिवार आयोजन की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) तथा (ख): सरकार ने एक चलचित्र, 'आयोजित परिवार' नामक, अंग्रेजी तथा छः अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार किया है । तीन केन्द्र खोले गये हैं जहां परिवार आयोजन की 'रिदम' प्रणाली के प्रारम्भिक अध्ययन का संचालन किया जा रहा है । परिवार आयोजन केन्द्रों और मांगने वाले व्यक्तियों को इस विषय पर एक पुस्तिका भी भेजी गयी है । यह भी विचार है कि केन्द्रों की कार्य-व्यवस्था का चल-चित्र बनाया जाये, रेडियो द्वारा प्रचार किया जाये और प्रदर्शन के लिए पोस्टर छपवाये जायें । दिल्ली तथा रामनगरम के परिवार आयोजन केन्द्र में विवाहित लोगों को 'रिदम' प्रणाली पर परामर्श दिया जाता है ।

पटसन

२७१. **श्री के०सी० सोधिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में पटसन के उत्पादन को बढ़वाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि मंजूर की ?

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ८.४७ लाख रुपये ।

(ख) पश्चिमी बंगाल	३,९०,८०० रुपये	
आसाम	८५,५४०	,,
बिहार	७३,५७०	,,
उड़ीसा	१,०७,५७५	,,
उत्तर प्रदेश	१,८९,७२५	,,

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर

२८०. **श्री अच्युतन** : (क) क्या **सचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या उनकी नियुक्ति के लिए कोई अर्हताएं नियत हैं और क्या उनकी नियुक्ति से पूर्व स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से परामर्श किया जाता है ?

(ग) उनसे प्रति दिन कितने घंटे दफ्तर में आने की आशा की जाती है और क्या उनका नियमित सेवा के संवरण में, अन्यथा अर्ह होने पर, कोई प्राथमिक दावा है ?

(घ) उनके द्वारा पेश किये गये नवीनतम स्मृतिपत्र में प्रधानतः क्या क्या लिखा है और उन पर क्या विनिश्चय किये गए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) ३० अप्रैल १९५२ को ३३,४६०

(ख) कोई निम्नतम शैक्षणिक अर्हतायें विहित नहीं है, प्रधान कसौटी यही है कि उस व्यक्ति की अपनी आय या व्यापार हो, वह अपने नियोजन के स्थान पर रहे तथा अन्यथा उपयुक्त हो। नियुक्ति करने से पूर्व प्रायः स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों से परामर्श किया जाता है।

(ग) पांच घंटे प्रति दिन तक। यदि वे ४० वर्ष के अन्दर अन्दर हों तो डाकियों के लिए जो परीक्षा होती है उसमें विभागीय कर्मचारी के रूप में बैठ सकते हैं। क्लर्क की परीक्षा में वे वाह्य अभ्यर्थी के समान ३० वर्ष की आयु तक मैट्रिक ोने पर बैठ सकते हैं।

(घ) नवीनतम पत्र १९ नवम्बर १९५१ का है जो अखिल भारतीय डाक तथा आर० एम० एस० संघ की ओर से मंत्री जी को आया है जिसमें उनके भत्ते बढ़ाने के लिए प्रार्थना है। इस प्रश्न पर विचार करके जून १९५२ में यह निश्चय किया गया था कि सर्कलों के प्रधान अपने स्वविवेक से १०) रुपये मासिक अतिरिक्त भत्ता मंजूर कर सकते हैं जबकि उन्हे अपने प्रायिक कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य करना पड़े यथा अतिरिक्त-विभागीय पोस्टमास्टरों द्वारा डाक को ले जाना तथा/अथवा बांटना।

ाकतार कमचारियों में राजयक्ष्मा

२८१. **डा० रामा राव** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तार विभाग में कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं ?

(ख) भारत सरकार के राज्यक्ष्मा मंत्रणाकार के अनुसार इन कर्मचारियों में तथा उनके परिवारों में राजयक्ष्मा से कितने लोग रुग्ण होते हैं ?

(ग) उसी प्राधिकारी के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी शैय्याएं आवश्यक समझी जाती हैं ?

(घ) सरकार ने कितनी शैय्याओं की व्यवस्था की है ?

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए नये सेनेटोरिया बनाने का है ?

(च) यदि ऐसा है तो कब और कहां, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :
(क) ३१ मार्च १९५२ को २,१३,५४५

(ख) राजयक्ष्मा मंत्रणाकार इस विषय पर विशेषतः परामर्श नहीं किया गया। परन्तु सर्कलों के प्रधानों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। ०.५ प्रतिशत की मान्य दर के अनुसार यह संख्या ४,००० के लगभग बैठेगी।

(ग) विभागीय अनुमान के अनुसार लगभग ८००।

(घ) विविध सेनेटोरिया में डाकतार कर्मचारियों के लिए लगभग ८०० शैय्याएं रक्षित हैं।

(ङ) तथा (च). सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि निकट भविष्य में मदनपल्ली, मिराज, पेन्द्रा रोड, कसौली, इटकी और मदार (अजमेर) के छः छांटे हुए सेनेटोरिया में विशेष डाकतार वार्ड बना दिये जायें, जिनमें कुल मिलाकर १२० शैय्याओं की व्यवस्था हो।

उत्तर-पश्चिमी रेलवें (ठेकें)

२८२. **श्री सी० आर० चौधरी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने पुरानी उत्तर पश्चिमी रेलवे के ठेके के दावों का प्रारम्भिक दायित्व स्वीकार कर लिया, जो अब उत्तर रेलवे पर प्रवर्तित है ?

(ख) उन्होने यह दायित्व क्यों स्वीकार किया ?

(ग) अभी तक ऐसे कितने दावे किये गये हैं और कितनी राशि के दावे हैं ?

(घ) अब तक कितने दावे स्वीकार किये गये तथा भुगताये गये हैं ?

(ङ) कितने दावे अब तक विचाराधीन हैं ?

(च) अब तक कितने दावे रद्द किये गये हैं ?

कितने रद्द दावे न्यायालय में ले जाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). भारत सरकार भारतीय, स्वतन्त्रता (अधिकार, संपत्ति तथा दायित्व) आदेश, १९४७ के अनुच्छेद ८ के अनुसार जितने दावे के लिए विधि रूप में उत्तरदायी हैं उनके अतिरिक्त भी भारत ने पुरानी उत्तर पश्चिमी रेलवे पर के ठेके के दावों का आरम्भिक दायित्व मुफ्त में ले लिया जो पाकिस्तान सरकार का विधिरूप उत्तरदायित्व है, जैसा कि भारत सरकार की २३ मई १९४८ की विज्ञप्ति में लिखा है।

(ग) २,३७,६६,०४४ रुपये के ४,३९६ दावे

(घ) ८०३ दावे।

(ङ) १९८७ दावे।

(च) १६०६ दावे।

(छ) १ दावा।

दुगध-चूर्ण

२८३. **श्री नटेशन** : क्या **सस्वास्थ्य** भंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) विदेशों से जनवरी से अक्तूबर १९५२ के अंत तक कितना दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ है; और

(ख) इसमें से कितनी मात्रा मद्रास राज्य को दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार को उपहार-रूप में जो दुग्ध-चूर्ण प्राप्त हुआ है उसी के प्रति निर्देश किया गया है। इस कालावधि में प्राप्त हुए दुग्ध चूर्ण की कुल मात्रा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त दुग्ध-चूर्ण भी सम्मिलित है, १०,३४,६०० पाउन्ड है। इसी कालावधि में २,३०,१७२ पाउन्ड जमाया हुआ दूध भी

(ख) ५,००,००० पाउन्ड दुग्ध चूर्ण और ५०,००० पाउन्ड जमाया हुआ दूध। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष आये हुए माल में से मद्रास को इस कालावधि में २०,००० पाउंड दूग्ध-चूर्ण तथा १०,००० पाउंड जमाया हुआ दूध भेजा गया ।

मद्रास को अनाज का संभरण

२८४. **श्री वीर स्वामी :** क्या खाद्य **तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में प्रतिवर्ष खपत के लिए अपेक्षित अनाज की मात्रा;

(ख) मद्रास राज्य द्वारा केन्द्र से मांगी गई अनाज की मात्रा, टनों में;

(ग) अनाज की मात्रा, टनों में, जिसके देने का वचन दिया गया और जिसका उसे बंटन किया गया; और

(घ) अभी तक कितने टन अनाज भेजा जा चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमूख) : (क) ऐसे राज्य की आवश्यकताओं के सुनिश्चित आंकड़े देना कठिन है जहां कि जनता के बहुत बड़े भाग पर राशन लागू नहीं है। आवश्यकता भी भावों पर निर्भर होगी। साधारण वर्ष में मद्रास को १५ से १८ लाख टन की आवश्यकता होती थी।

(ख) से (घ). अनाज के वितरण की मूल योजना केलेन्डर वर्ष के अनुसार कार्यान्वित की जाती। १९५२ में माटै ने वर्ष के आरम्भ में ९·५ लाख टन के घाटे का अनुमान लगाया था, और उसे अधिकतम ६·८ लाख टन के आयात कोटे का वचन दिया गया था। बंटन में उसके नाम ४·३४ लाख टन आया, जिसमें से ४·०६ लाख टन ७-११-५२ तक भेजा जा चुका था, उस तारीख के पश्चात् की जानाकरी प्राप्य नहीं है।

हैदराबाद को चावल का संभरण

२८५. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत को चीन तथा जापान से आगामी कुछ मासों में जो चावल प्राप्त होने वाला है उसमें से हैदराबाद राज्य के नाम कितना चावल बंटन किया गया है; और

(ख) हैदराबाद ने आगामी छः मासों के लिए केन्द्र से कुल कितने चावल की मांग की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चीन से जो क्रय किये गये हैं उन के अनुसार कुल चावल दिसम्बर १९५२ से पूर्व पहुंच चुकेगा और इसमें से हैदराबाद को दिसम्बर में कोई भी चावल देने का विचार नहीं है।

जापान से कोई चावल नहीं खरीदा गया है ?

(ख) अनाज के वितरण की मूल योजना केलेन्डर वर्ष के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। १९५२ के लिए, हैदराबाद २४ ००० टन चावल चाहता था, जो उसके नाम बंटन किया जा चुका है। १९५३ के लिये, केन्द्र से उनकी अनुमानित मांग ३७,००० टन है, और कोटा वर्ष के आरम्भ में, चावल की कुछ प्राप्यता, और उस राज्य की तथा अन्य घाटे वाले राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करके नियत किया जायेगा।

बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ी व्यवस्था

२८६. **श्री के० जी० देशमुख :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि जनवरी १९५३ से बम्बई में मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की उपनगरीय रेल-व्यवस्था पर एक गाड़ी प्रत्यक पांच मिनट पर चलाने की नई व्यवस्था की गई है ?

(ख) इस समय उपरोक्त क्षेत्र मे कितनी स्थानीय गाड़ियां चल रही हैं ?

(ग) नई योजना के आरम्भ होने से कितनी नई गाड़ियां बढ़ जायेंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां, १ जनवरी १९५३ से यह व्यवस्था की गई है कि प्रातः तथा सायंकाल के भीड़ वाले समयों पर बम्बई को आने-जाने वाली ५-मिनट वाली सर्विस रखी जाये।

(ख) ६२९ गाड़ियां।

(ग) १०८ गाड़ियां।

माल-डिब्बे (सामर्थ्य)

२८७. **श्री अच्युतन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मीटर-गेज तथा ब्रौड-गेज के माल डिब्बों का माल ढोने का तुलनात्मक सामर्थ्य और दोनों प्रकार की गाड़ियों के चलाने का प्रति मील व्यय; और

(ख) यदि मीटरगेज के स्थान पर ब्रौड-गज पटरी बनानी हो तो प्रति मील कितना अतिरिक्त पूंजी-व्यय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ब्रौडगेज वैगन का औसत सामर्थ्य २१·८ टन होता है और मीटर-गेज का १३·६ टन होता है प्रति गाड़ी-मील कार्य-व्यय १३ रुपये ब्रौडगेज का और १०·१ रुपये मीटर गेज का है।

(ख) ब्रौड गेज और मीटर गेज के पूंजी-व्यय में अन्तर तो इस बात पर निर्भर है कि प्रदेश कैसा है और किस मान की पटरी बननी है, परन्तु औसत से यह अन्तर लगभग दो लाख रुपये प्रति मील लगाया जा सकता है।

बालामऊ और सीतापुर के बीच रेलगाड़ियों का चलना

२८८. **श्री बी० आर० वर्मा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि बालामऊ तथा सीतापुर और बालामऊ तथा कानपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां हरदोई से चलें इस मांग के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की जनता द्वारा एक स्मृतिपत्र भेजा गया था ?

(ख) यदि पता है तो इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) सुझाव पर विचार किया गया है। हरदोई को तथा वहां से रेल व्यवस्था चलाने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

उज्जैन-इंदोर रेल लाइन

२८१. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उज्जैन तथा इन्दौर के बीच ब्रौड गेज लाइन का परिमाप-कार्य पूरा हो गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उज्जैन तथा इन्दौर के बीच ब्रौड-गेज लाइन बनाने के लिए अभी तक कोई परिमाप नहीं किया गया, परन्तु इन्दौर को ब्रौड-गेज द्वारा मकसी या तराना से मिलाने की एक योजना विचाराधीन है।

छोटी सिंचन योजनाएं

२९०. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १० करोड़ रुपये की राशि जो १९५२-५३ के आय-व्ययक में छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए पृथक् रखी गई थी, विभिन्न राज्यों के बीच वितरित कर दी गई है; और

(ख) यदि ऐसा है तो कब और किस अनुपात से ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). अधिक अन्न उगाओ नियमों के अधीन ये निधियां विभिन्न राज्यों में किसी अनुपात से नहीं बांटी जाती, अपितु प्रत्येक राज्य को विशिष्ट अनुमोदित योजनाओं के आधार पर दी जाती हैं । छोटी सिंचाई योजनाओं की उपयुक्ता को देखने के लिए जो मूलतत्व हैं वे ये हैं कि योजनाएं लाभ-प्रद हों तथा स्थायी उत्पादन वाली हों, तत्काल कार्यान्वित किये जाने के योग्य हों और आगामी दो तीन वर्षों में ही उनका कुछ परिणाम निकल सकता हो । कई राज्यों से प्रस्थापनायें आई हैं और विचाराधीन हैं । अभी तक इस निधि में से २,१३,१०,००० रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से ३४ लाख रुपये बम्बई को दिये गये हैं, ९४,१०,००० उत्तर प्रदेश को, २० लाख रूपये हैदराबाद को ६५ लाख रुपये मैसूर को दिये गए ।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२७ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

वृहस्पतिवार २७ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसर) : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कल जो मामला सदन के सम्मुख आया था उसके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं तो उस समय सदन में मौजूद नहीं था किन्तु मेरे साथियों ने मुझे इसकी सूचना दी। जबकि सदन औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहा था उस समय यह मामला सामने आया। मुझे बतलाया गया कि सदन के कुछ सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि इस निगम ने जिन जिन औद्योगिक निकायों को ऋण दिया है उनके नाम सदन को बतलाये जायें और मेरे साथी को जो कि इस

विधेयक के चार्ज में थे, इस बारे में अब तक अपनाई गई नीति के कारण ऐसा करने में कठिनाई प्रतीत हुई। वास्तव में कुछ दिन हुए, मेरा ख्याल है कि शायद ७ नवम्बर को, मेरे साथी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर में कि अमुक फ़र्म को ऋण दिया गया है अथवा नहीं, यह कहा था :

"उधार लेने वाली समवायों को वैसी ही गोपनीयता का अधिकार है जो कि बैंकर तथा ग्राहक में बैंकिंग सम्बन्धी सौदों के बारे में प्रचलित है, और इस लिये यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।"

मैं बैंकिंग के मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं। इस लिये मैं ने एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टि-कोण से इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न किया है। पहली चीज़ जो मेरे मस्तिष्क में आई, यह थी। जब कि हम ने एक नीति का अनुसरण किया है और उसके आधार पर आगे बढ़े हैं तथा पक्षों को कुछ आश्वासन दिये हैं, तो हमारे लिये यह अच्छी बात नहीं होगी कि हम उन वादों की उपेक्षा करें जो हम सम्बन्धित पक्षों को दे चुके हैं।

दूसरे, अपने माननीय साथी वित्त मंत्री जी से जो कि इस मामले से बिलकुल प्रारम्भ से ही सम्बन्धित हैं तथा इस नीति का अनुसरण करते रहे हैं, परामर्श किये बिना मैं इस मामले में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। फिर भी, मैं पूर्णरूप से यह बात अनुभव करता हूं कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ने जो यह कहा कि बाद को, जब वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हों, इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जाये उसमें कुछ बल है। यह स्मरण रखना चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम एक स्वायत्तशासी निगम है जो सरकार के प्रति ज़िम्मेदार है। सामान्यतया, एक स्वायत्तशासी संगठन के सम्बन्ध में संसद् उस के दिन प्रति दिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। निश्चय ही, आवश्यक होने पर वह उसे समाप्त कर सकती है अथवा उसकी किसी गम्भीर अनुचित कार्यवाही की जांच कर सकती है। यह बिलकुल दूसरी बात है, किन्तु एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना के पीछे भावना यह होती है कि सरकार अथवा संसद् की नीति या नियंत्रण के अधीन उसे अपना कारबार चलाने की स्वतंत्रता हो। दूसरे, उन फ़र्मों के सम्बन्ध में जिन्हें कि रुपया उधार दिया गया है, मैं समझता हूं कि वे लोक सीमित समवाय हैं। यह सम्बन्ध उस सम्बन्ध से भिन्न है जो कि एक ओर सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के मध्य है--दामोदर घाटी निगम पूर्णतया सरकारी संगठन है--और दूसरी ओर, औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध की तुलना जिस ने कि इन्ह रुपया उधार दिया, रुपया उधार देने वाले प्राइवेट बकर से नहीं की जा सकती। इस लिये इसकी एक तीसरी ही श्रेणी है और चूंकि यह बीच की श्रेणी है इस लिये दूसरी ओर से भी तर्क दिये जा सकते हैं। और मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहना चाहता कि इस मामले में भविष्य में क्या निश्चित नीति होनी चाहिये, किन्तु इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई वादे कर दिये गये हों, आश्वासन दे दिये गये हों, तो हम सम्बन्धित पक्षों से विशेषकर माननीय वित्त मंत्री से जब कि वे वापस आयें परामर्श किये बिना उन पर पीछे नहीं हटना चाहेंगे और उन के आने पर भविष्य की नीति पर भी विचार किया जा सकता तथा उसे सदन के सम्मुख पेश किया जा सकता है।

यह महज़ उन के नाम भर बतलाने का प्रश्न नहीं है जिनको कि रुपया उधार दिया गया है किन्तु उन फ़र्मों के नाम पेश करने का भी प्रश्न आ सकता है जिन को कि रुपया नहीं दिया गया है और जिनके आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं। यदि हम यह बात प्रकाश में लायें कि हम ने किसी फ़र्म विशेष को रुपया नहीं दिया है तो इसके कारण हो सकते हैं और इससे उनके व्यापार को धक्का पहुंच सकता है।

पुनः यदि हम ऐसी लोक सीमित समवाय के आंतरिक मामलों पर विचार करें जिसको कि हमने रुपया दिया हो तो, मेरा निवेदन है यह सदन की सामान्य प्रथा के अनुकूल नहीं होगा कि हम इस प्रकार के ब्यौरे में जायें, तथा विभिन्न कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी।

मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जब कि ये प्रश्न उठाय गये हैं तो हम उन्हें लेंगे और उन पर विचार करेंगे, जब कि माननीय वित्त मंत्री जी वापस आ जायें, और उस समय हम सदन के प्रतिनिधियों से भी मंत्रणा करेंगे तथा उनका मत मालूम करेंगे और तब सदन को भी इस मामले के बारे में सूचित करेंगे।

दूसरे, यदि कोई सदस्य कहता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे कि उसे यह संदेह होता है कि कोई अनुचित बात की गई है तो हम बड़ी प्रसन्नता से मामले की जांच करेंगे यदि वह उस जानकारी को हमारे सामने रक्खें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस मामले के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण को देखते हुए इस विधेयक पर चर्चा को तब तक रोक दिया जाये जब तक कि माननीय वित्त मंत्री जी वापस लौट आयें।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, विधेयक अब सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उस दशा में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एक-आध दिन औद्योगिक नीति पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की वाञ्छनीयता पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने एक दिन के लिये कहा । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सदन किसी भी विषय पर चर्चा करे, किन्तु वर्ष के या महीने के दिनों की संख्या बढ़ा देना मेरी शक्ति के बाहर है, और हमारे पास अधिक दिन शेष नहीं बचे हैं और उन सब में व्यस्त कार्यक्रम है ।

यह विशिष्ट विषय , जिसका मैं ने अपने वक्तव्य में निर्देश किया, प्रस्तुत विषय से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं है । यह एक अलग मामला है जिस पर चर्चा करके निर्णय किया जा सकता है । इस प्रश्न का कि कुछ नाम विशेष दिये जायें अथवा नहीं, विधेयक की वृहत्तर नीति से, अथवा हमारी औद्योगिक नीति से, कोई सम्बन्ध नहीं है !

खाद्य मिलावट विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन राजकुमारी अमृत कौर द्वारा खाद्य मिलावट के सम्बन्ध में कल प्रस्तुत किये गये विधेयक पर विचार करेगा ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : भारत जैसे देश को जोकि कुपोषण का शिकार है इस प्रकार के विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता है । देश में कुपोषण किस सीमा तक बढ़ा हुआ है यह वैसे तो स्वीकार किया ही जाता है परन्तु विशेषकर योजना आयोग ने इस विषय में जो लिखा है वह उल्लेखनीय है । योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुपोषण देश की शिशु मृत्यु, प्रसूता मृत्यु तथा सामान्य मृत्यु की अतिशय दर के लिये ज़िम्मेदार है तथा हमारे भोजन की कमियां लोक स्वास्थ्य के लिये गंभीर समस्या हैं ।

कुपोषण के कारण क्या हैं ? सब से बड़ा कारण खाद्य की कमी है, फिर असंतुलित भोजन और तीसरे खाद्यों में मिलावट । खाद्यान्नों की कमी एक वृहद् समस्या है और सरकार इसे दूर करने का प्रयत्न कर रही है । संतुलित भोजन के सम्बन्ध में हमें लोगों को शिक्षित करना है कि किस प्रकार उपलब्ध भोजन को संतुलित रूप से संयोजित किया जाय । तीसरी चीज़ मिलावट की समस्या है जो कि अधिक आसानी से सुलझाई जा सकती है । देश में जो भी भोजन उपलब्ध है वह यदि लोगों को बिना मिलावट के मिल सके तो कुपोषण की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है । इस लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । कुरुक्षेत्र शिविर में जहां कि तीन लाख व्यक्ति जमा थे, मैं ने स्वयं देखा कि उचित भोजन न मिलने के कारण रतौंध और खुजली बड़े व्यापक रूप से फैल गये ।

भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में दौरे के समय मैंने कुपोषण की भीषणता देखी है । जब मैं दक्षिणी भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में गई तो मैं ने वहां बच्चों को देखा जिनके ओठ पर सफ़ेद निशान थे । मैं ने समझा कि ये कुष्ठ के निशान हैं किन्तु डाक्टरों ने मुझे बतलाया कि यह कुपोषण के कारण है । इसी प्रकार के मामले मैं ने बंगाल और बिहार में देखे । इस लिये देश की जो बहुत सी समस्यायें हैं उन में से कुछ का हल कुपोषण को दूर करके हो सकता है ।

यह बड़े दुख का विषय है कि सभ्यता के साथ-साथ मिलावट में भी वृद्धि आ गई है, कम से कम इस देश में तो अवश्य । अब उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य का अन्तर

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

इतना बढ़ गया है तथा दोनों के बीच इतने मध्यवर्ती लोग काम करते हैं कि यह मालूम करना कठिन हो गया है कि किसने मिलावट की। वैज्ञानिक ज्ञान ने मिलावट के मामले में और मदद की है। यह सर्वविदित है कि सरसों के तेल में 'आर्जीमीन' की मिलावट कर दी जाती है और इस मिलावट के कारण बैरी-बैरी ने बड़े घातक रूप से फैल कर लोगों की एक बड़ी संख्या का जीवन ले लिया है।

इस प्रकार मिलावट बड़ा गम्भीर रूप धारण कर सकती है। दूध में मिलावट आम बात है। कुछ समय हुए राजाजी ने बतलाया था कि गुड़ में गोबर मिला दिया जाता है। चीनी में हम ने शीशा मिलाने की बात भी सुनी है, और अन्त में, मैं घी की बात कहना चाहती हूं। बनस्पति तथा घी के सम्बन्ध में काफ़ी विवाद चल रहा है। सरकार ऐसे उपाय अपनाना चाहती है जिस से कि जनता को शुद्ध घी उपलब्ध हो सके। यह बड़ी दिलचस्प बात है। एक ओर तो सरकार मिलावट रोकने के लिये यह विधेयक लाई है और दूसरी ओर देशपर्यंत बड़े पैमाने पर घी में मिलावट चल रही है। जब भी हम सरकार से बनस्पति तेल में रंग मिलाने को कहते हैं तो एक न एक बहाना करके इसे टाल दिया जाता है।

इस बात को हम मानते हैं कि देश में घी का प्रदाय बहुत कम है और इसके स्थानापन्न के रूप में किसी प्रकार के वनस्पति तेलों को प्रयोग करना पड़ेगा। किन्तु हमारा विरोध वनस्पति से नहीं है वरन् हमारा विरोध इस बात से है कि घी में, जो भारतीय भोजन का एक आवश्यक अंग है, वनस्पति की मिलावट न हो सके। घी के साथ धार्मिक भावना भी बंधी हुई है। इस लिये लोग अपने भोजन में शुद्ध घी चाहते हैं। 'जरनल ऑफ़ साइंटीफ़िक एण्ड इंण्डस्ट्रियल रिसर्च' में, जो एक सरकारी प्रकाशन है, यह मंजूर किया गया है कि घी में मिलावट के लिये उद्जनित तेलों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त पत्रिका में ही आगे दिया गया है कि कलकत्ते के बाज़ार में ख़रीदे गये घी के कुछ सैंपिलों की जांच करने पर उनमें उद्जनित घी की मिलावट पाई गई। मैसूर के ३३ प्रतिशत सैंपिलों में बिलकुल भी घी नहीं पाया गया। बंगलौर के सैंपिलों में से २५ प्रतिशत में ५० प्रतिशत की मिलावट पाई गई जब कि ३३ प्रतिशत में नाममात्र को घी था।

घी में मिलावट सब से अधिक वनस्पति तेल की रहती है। इस लिये या तो वनस्पति तेल को जमाया जाना बन्द कर देना चाहिये अथवा इस में रंग डालने की कोई पद्धति अपनानी चाहिये।

यूरोप में भी, जब कि 'मारगरीन' निकली थी तो कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था। वहां यह किया गया कि मारगरीन में विटामिन मिलाकर उसकी पौष्टिकता बढ़ा दी गई। मारगरीन को मक्खन में मिलाने नहीं दिया गया और दोनों चीज़ें पृथक-पृथक पौष्टिक पदार्थों के रूप में बाज़ार में मिलने लगीं। यहां भी हम यही चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि वनस्पति घी बाज़ार में इस रूप में न मिले कि उसे शुद्ध घी में मिलाया जा सके। किन्तु हमें दुख है कि सरकार इस पर अभी तक राज़ी नहीं हो सकी है।

सरकार ने मिलावट रोकने के लिये अब तक क्या क़दम उठाये हैं? 'शुद्ध खाद्य क़ानूनों' का प्रशासन अब तक स्थानीय निगमों जैसे ज़िला बोर्डों, नगरपालिकाओं, कॉरपोरेशनों के हाथ में था। इस कार्य को वे हैल्थ आफ़िसर्स तथा सेनीटरी इन्स्पेक्टरों

द्वारा कराते हैं। सर्व प्रथम, इन पदाधिकारियों को यह समस्या व्यवहृत करने के लिये पर्याप्त ज्ञान नहीं होता था। सैंपिलों का विश्लेषण करने के लिये प्रयोगशालाओं में आवश्यक सामान की कमी थी जिस से जिनका ठीक प्रकार से विश्लेषण नहीं हो पाता था। इसके अतिरिक्त मामले को भलीभांति व्यवहृत करने के लिये उनके पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। जैसा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कल कहा, यह क़ानून ग़रीब हॉकरों पर, दूध वालों पर तथा अन्य छोटे लोगों पर लागू किया जाता है जब कि बड़े लोग जो इस से खूब रुपया कमाते हैं और वास्तविक हानि पहुंचाते हैं साफ़ बच जाते हैं। यही कारण है कि इस क़ानून को लोकप्रिय समर्थन नहीं प्राप्त है। मिलावट रोकने के किसी भी क़ानून को लोकप्रिय समर्थन प्राप्त होने की आवश्यकता है। इस लिये इस क़ानून को इस प्रकार लागू करना चाहिये जिस से कि बड़े अपराधी जो यह कार्यवाही सब से अधिक करते हैं और रुपया बनाते हैं, सब से पहले पकड़े जायें जिस से कि क़ानून के पक्ष में जनमत तैयार हो सके। गत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में मिलावट रोकने सम्बन्धी अनेक अधिनियमों के बनने के बावजूद भी, इस अपराध में क्यों वृद्धि हो रही है? यह बढ़ते हुए मूल्यों के कारण तथा कन्ट्रोल के कारण है। सरकार राशन के दूकानदारों को जो चावल देती है वह तो चोर बाज़ार में चला जाता है और मिलावट का चावल दूकानों पर बेचा जाता है। इन कुछ वर्षों से चोर बाज़ार के साथ-साथ मिलावट भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। अतएव केवल विधान निर्माण ही इसका निदान नहीं है। किन्तु वर्तमान विधान में सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर, है। राज्यों के अधिनियम एक दूसरे से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश का एगमार्क घी बंगाल में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बंगाल ने दूसरे ही प्रमाप निर्धारित किये हैं। इसी प्रकार सौराष्ट्र का एगमार्क घी पंजाब में स्वीकार्य नहीं है। इन सब बातों के कारण एक अखिल भारतीय अधिनियम की आवश्यकता है।

अब हमें यह देखना है कि क्या इस क़ानून द्वारा हमारा वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा किसी क़ानून की मुख्य कठिनाई उसका बनाना नहीं वरन् उसका प्रशासन होता है। इस के लिये हमें ईमानदार प्रशासन की तथा ऐसे दण्ड की आवश्यकता है जिससे वह अपराध फिर से न दोहराया जाये। प्रस्तुत विधेयक में तीन मास के कारावास और कुछ जुर्माने का यद्यपि जुर्माने की राशि नहीं दी गई है, उपबन्ध किया गया है। मैंने अमरीकी अधिनियम भी देखा। उस में उपबन्ध है कि क़ानून भंग करने वाले पर एक वर्ष तक की सज़ा अथवा एक हज़ार डालर तक का जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं और यदि वह दुबारा इस अपराध को करे तो उस पर तीन वर्ष तक का कारावास अथवा दस हज़ार डालर तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरीकी क़ानून में कितनें कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। हमारे विधेयक में इतना कम दण्ड रखा गया है कि धोखेबाज़ लोग लाखों कमा सकते हैं और मामूली सा जुर्माना अदा कर सकते हैं। अतएव मुझे आशा है कि दण्ड के मामले पर प्रवर समिति अवश्य विचार करेगी।

दूसरी बात यह है कि किसी क़ानून को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिये उसे शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाये। इस विधेयक के खंड २० के अनुसार यदि कोई इंस्पेक्टर इस प्रकार का कोई मामला पकड़ेती उसे उस पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार से लिखित इजाज़त लेनी होगी। मुझे मालूम है कि भूतकाल में जब भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग ने इस प्रकार की इजाज़त

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

मांगी थी तो नहीं दी गई थी क्योंकि बड़े-बड़े प्रभाव डाले गये थे। अतएव प्रवर समिति को इस बुराई के दूर करने की बात पर भी विचार करना होगा।

फिर तीसरी बात है मामलों के निर्णयन की। मामले चलाये जाते हैं किन्तु लम्बी अवधि तक उनका निर्णय नहीं किया जाता है। मुझे दिल्ली का एक मामला मालूम है जिसे चलाये गये दो वर्ष हो गये किन्तु अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ है। इस लिये इस क़ानून की सफलता मेरी समझ में इस बात पर निर्भर रहेगी कि शीघ्रता से कार्यवाही की जाये और जल्दी ही मामले का निर्णय हो।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात पर ज़ोर दिया जाये कि मिलावट को स्रोत पर पकड़ा जाए न कि फुटकर बिक्री के प्रक्रम पर, क्योंकि यदि आप इसे फुटकर बिक्री के प्रक्रम पर पकड़ेंगे तो आपको इस बात का सुराग़ लगाते-लगाते बड़ा समय लगेगा और कठिनाई पड़ेगी कि मिलावट कहां की गई।

एक अन्य प्रश्न और भी है। केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि सरकार यह क़ानून बना दे कि खाद्यों में मिलावट करने वाले को सज़ा मिलेगी। उसे लोगों को शुद्ध खाद्य उपलब्ध भी कराना चाहिये। उसे देखना चाहिये कि उत्पादन में वृद्धि हो और वितरण के सस्ते तरीके निकाले जायें। भोर समिति के प्रतिवेदन में भी इस पहलू पर ज़ोर दिया गया है। इस लिये मिलावट रोकने और देश के लोगों के कुपोषण को दूर करने के लिये केवल क़ानून बनाना ही नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि क़ानून को कार्यान्वित करने के लिये ईमानदार कर्मचारी, रखे जायें; शुद्ध खाद्य उपलब्ध कराए जायें तथा मामलों में तुरन्त कार्यवाही एवम् शीघ्र निर्णय किया जाये।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण): सदन में इस बात को तो प्रत्येक ही स्वीकार करता है कि इस प्रकार के क़ानून की अत्यधिक आवश्यकता थी और जितनी भी जल्दी बन कर यह तैयार हो उतना ही अच्छा। किन्तु यह बिलकुल सत्य है कि इस क़ानून को कार्यान्वित करने के पश्चात् भी खाद्यों में मिलावट रोकना बड़ा कठिन कार्य होगा। और कहीं नहीं, यदि पुरानी दिल्ली की ही सेंकरी गलियों में आप निकल जायें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थान पर गंदी जगह खाद्य-पदार्थ खुले रक्खे रहते हैं। और यदि इन लोगों को दण्ड दिया जाये तो माननीय मंत्री जी को क़रीब क़रीब सभी होटल और जलपान-गृह बन्द करने पड़ेंगे तथा राजधानी के हज़ारों व्यक्तियों को फ़ाका करना पड़ेगा। स्पष्टतः इस विधेयक की कार्यान्विति बहुत कठिन है।

सरकार दो चीज़ों पर ज़ोर देना चाहती है: एक तो दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ और दूसरे वनस्पति तथा खाने के तेल। सरकार का लक्ष्य अधिक आसानी से प्राप्त हो जायेगा चाहे वह लोगों को अच्छा दूध और घी मुहय्या करे। मैं समझती हूं कि इस सूत्री में एक चीज़ और जोड़ दी जाये अर्थात् आटा, क्योंकि आटा ग़रीब और अमीर दोनों के भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है।

मेरी माननीया मित्र श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पूछा कि गंदगी को हम किस प्रकार रोकें? किन्तु वास्तविकता यह है कि जो लोग चीज़ ख़रीदने जाते हैं उन्हें भी स्वच्छता और गंदगी का बोध नहीं होता। रेल सफ़र में मैं ने देखा है कि चीज़ें बेचने वाले लड़के अपने पैकिटों को डिब्बे के फ़र्श पर गिरा देते हैं और उन्हें गिन कर फिर थैले में डाल लेते हैं किन्तु कोई मुसाफ़िर आपत्ति नहीं उठाता और लोग

वह चीज़ उससे ख़रीदते हैं। इसी प्रकार मैं ने अक्सर औरतों को अपने बच्चों को फ़र्श से चीज़ें उठा कर देते हुए देखा है। अतएव यह महज़ आर्थिक प्रश्न ही नहीं है जो इस अस्वच्छता के लिये ज़िम्मेदार है वरन् लोगों की अस्वच्छ आदतें भी। हमें उनकी इन आदतों को दूर करने का प्रयत्न भी करना होगा, उन में स्वच्छता की आदत डालनी होगी।

यह विधेयक सदन के सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा और मुझे आशा है कि प्रवर समिति में इस में और भी सुधार होगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मैं समझता हूं कि कई सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचारित किया जाये। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत जल्दी पास होना चाहिये। मिलावट ने राष्ट्र-पर्यंत इतना भयानक रूप धारण कर लिया है कि यह बात राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये घातक बन गई है।

किन्तु मेरा ख़्याल है कि इस विधेयक के उपबन्ध अत्यन्त अस्पष्ट तथा अत्यधिक आदर्शवादी हैं। यदि इसे मृत्यप्राय नहीं होने देना है तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और इसे एक व्यवहारिक एवं वास्तविक आधार देना होगा। इस समय कुछ उपबन्ध इसमें ऐसे हैं जिनका न तो कोई वास्तविक प्रयोजन है और न कोई लक्ष्य। खंड २ के उपखंड (१) में कहा गया है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट समझी जायेगी यदि .... (ङ) वह पदार्थ अस्वस्थकारी दशाओं में तैयार किया गया, पैक किया गया व रक्खा गया है। मैं समझता हूं कि ये शब्द इतने अवास्तविक हैं कि देश की वास्तविक रहने की दशा का उन में कोई ध्यान नहीं रक्खा गया है क्योंकि कौनसा ऐसा पदार्थ भारत में है जो अस्वस्थ दशाओं में नहीं तैयार किया गया, पैक किया गया अथवा रक्खा गया है? इस प्रकार तो दिल्ली की सभी दूकानें बन्द कर देनी पड़ेंगी या कम से कम दिल्ली के प्रत्येक मिठाई के खोमचे वाले को तो बेरोज़गार कर ही देना पड़ेगा।

फिर खंड २ (१) (छ) में कहा गया है: "यदि कोई पदार्थ रोगग्रस्त पशु से प्राप्त किया गया हो . . ." कहा जाता है कि हमारे ९० प्रतिशत पशु रोकग्रस्त हैं। तब फिर आप क्या करेंगे? आप गोश्त और दूध के बारे में क्या करेंगे? इस बात का निर्णय कौन करेगा कि जो दूध हमें मिलता है वह ९० प्रतिशत बीमार पशुओं का है? इसी प्रकार यह कहा गया है: "अथवा अपौष्टिक भोजन पर पाला गया।" इस आधार पर तो हमें समस्त पोल्ट्री को निकाल देना होगा। मुर्ग़ियां और बत्तकें जो गांवों से आती हैं गंदी-गंदी चीज़ें खाती फिरती हैं। और सुअर का तो सामान्य भोजन ही मल-विष्ट है। इस तरह तो हमारे भोजन से बत्तक, मुर्ग़ियां और सुअर सब निकल जायेंगे।

तो मेरा कहना है कि हमें कुछ अधिक व्यावहारिक होना चाहिए। यह हम खंड २ (५) में पविरर्तन करके कर सकते हैं। इस खंड में कहा गया है कि 'खाद्यपदार्थ' का अर्थ है मनुष्य के खाने या पीने के किसी भी पदार्थ से। यह तो बहुत ही अस्पष्ट परिभाषा है। हमें उन विशिष्ट पदार्थों के नाम देने चाहियें जिनमें कि मिलावट की जाती है और उन्हें क्रमानुसार रखना चाहिए। ग़रीब खोमचे वालों को न पकड़ कर हमें इसी क्रम के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये जिस से कि ये लोग गिरफ्त में आयें जो मोटी मोटी रक़में बनाते हैं। मैं समझता हूं कि क्रम में सर्वोपरिता पकाने के माध्यम को दी जानी चाहिये। आजकल इसमें मिलावट बहुत अधिक बढ़ गई है जिस से देश के ९० प्रतिशत

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

मैं इस विधेयक के खंड २० से सहमत नहीं हूं । जिस में कहा गया है कि ऐसे मामले द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवहृत किये जायेंगे । मेरा कहना है कि अधिक गम्भीर मामलों पर कम से कम प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाये । दूसरे, हमें अनिवार्य न्यूनतम कारावास का एक उपबन्ध और जोड़ देना चाहिये, जिससे यह अपराध निरुत्साहित हो । यदि केवल ५० या १०० रुपये का जुर्माना भर रख दिया गया तब तो कुछ लोगों को यह काम करने में और भी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा जुर्माना देकर वे पदार्थों में मिलावट करके बड़ी-बड़ी राशियां कमा सकते हैं ।

पकाने के माध्यम के पश्चात् क्रम सूची में दूसरे नम्बर पर मैं अनाजों को रक्खूंगा जैसे चवाल, गेहूं, आटा इत्यादि । आटे में मिट्टी मिलाने की शिकायत बहुधा सुनी जाती है । तीसरे नम्बर पर मैं दूध को रक्खूंगा । मैंने प्रातः तड़के शिकार को जाते समय दूध वालों को नहर पर लाइन लागये खड़े देखा है । मैं नहीं कह सकता कि आपने उस पानी की जांच की है या नहीं कि कैसा है । अगली वस्तु सूची पर मैं रक्खूंगा डब्बे में बन्द पदार्थों को, विशेषकर चूर्ण-दूध तथा बच्चों के खाद्यों को । उसी प्रकार के डब्बे बना कर उनमें नकली सामान भरकर असली के नाम से बेचने का धंधा बहुत लोग कर रहे हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख तीन सुझाव और रखना चाहूंगा । सार्वजनिक विश्लेषक का निर्देश किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस खंड में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाये कि क्रेता द्वारा जो खाद्य विश्लेषण के लिये भेजा गया है उसका शीघ्र ही विश्लेषण किया जाये । दूसरे, खाद्य इंस्पेक्टरों के सम्बन्ध में जो खंड है उससे इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता कि ये इंस्पेक्टर पूर्णकालीन होंगे अथवा किसी भी ग़ैर-पदाधिकारी से कुछ समय के लिये खाद्य-इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने को कहा जा सकता है । मैं नहीं समझ सका कि वास्तविक आशय क्या है क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक इंस्पेक्टर को सार्वजनिक सेवक समझा जायेगा । और जो प्रक्रिया बरती जायेगी वह बड़ी विचित्र है । एक तिहाई चीज़ अभियुक्त को दी जायेगी और एक तिहाई इंस्पेक्टर अपने पास रक्खेगा । दूध को लीजिये । अभियुक्त के आने से पहले तो वह जम कर दही बन जायेगा । कोई साक्ष्य उसके विरुद्ध फिर नहीं दिया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो उपबन्ध हैं उन्हें उपेक्षित नहीं करना चाहिये । उक्त संहिता के अन्तर्गत, यदि कोई मामला पकड़ा जाये तो दो सम्मानित तथा निर्लिप्त गवाहों को इसका साक्षी होना पड़ता है । इस से इंस्पेक्टर तथा अभियुक्त दोनों को संरक्षण मिलता है । यदि हम इसी प्रक्रिया का अनुसरण करें तो समस्त कार्यवाही शीघ्रता से हो सकती है । न तो इंस्पेक्टर के लिये यह इस बात की गुंजायश रक्खेगा कि वह किसी को बिना अपराध के ही फंसा दे और न अभियुक्त के लिये यह कहने का मौका रहेगा कि उसको कुभावना लेकर झूठमूठ फंसाया गया है ।

मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि खाद्य क्रेता को इस बात का पूरा मौका दिया जाए कि वह चाहे तो ख़रीदे जाने वाले खाद्य का विश्लेषण करा सकता है । किन्तु यह भी ज़रूरी है कि विश्लेषण कराने के लिये कोई शुल्क रख दिया जाये जिससे कि यह न हो कि सब कोई ज़रा-ज़रा सी शिकायत लेकर चला आया करे । परन्तु शुल्क इतना अधिक भी

न हो कि लोग चीज़ का विश्लेषण ही न करा सकें।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): मुझे अधिक और कुछ नहीं कहना है। विभिन्न सदस्यों ने अपने भाषणों में जो सुझाव दिये उन्हें मैं ने ध्यानपूर्वक सुना है और नोट कर लिया है। मुझे इस पर भी बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपना संतोष ज़ाहिर किया। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि प्रवर समिति में उनके समस्त सुझावों पर विचार किया जायेगा। उन्हीं की तरह मैं स्वयं भी चिन्तित हूं कि यह विधान मृत्यप्राय न हो जाये, इसका कठोरता से पालन किया जाये और हम इस बढ़ती हुई शरारत को रोक सकें। इस लिये मुझे आशा है कि इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा और हम शीघ्रता से इस पर कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "खाद्यों में मिलावट रोकने सम्बन्धी उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नोक्त की एक प्रवर समिति को इस आदेश के साथ सौंप दिया जाये कि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक वह इस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे: श्री संतोष कुमार दत्ता, श्री लोक नाथ मिश्र, डा० राम सुभग सिंह, श्री कैलाश पति सिंह, श्री हरी सिंह चिनारिया, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री भीखा भाई, सरदार राज भानु सिंह तिवारी, श्री के० जी० देशमुख, श्री वैजनाथ महोध्या, श्री टी० मादिया गोडा, श्री हलहर्वी सीताराम रैड्डी, श्री के० परिआस्वामी गाउन्डर, श्री मानकलाल मगनलाल गांधी, श्री राजाराम गिरिधारीलाल दुबे, श्री होतीलाल अग्रवाल, श्री विश्वनाथ रॉय, श्रीमती उमा नेहरू, श्री नारायण सदोवा कजरोल्कर, श्री सी० आर० नरसिंहम, श्री आर० बी० धुलेकर, डा० इन्दुभाई बी० अमीन, सरदार लाल सिंह, श्री के० केलप्पन, डा० चौधरी वी० रामा राव, श्री त्रिदीप कुमार चौधरी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इन्दिरा ए० मिदेव, श्री हरेन्द्र नाथ मुखर्जी, श्री शंकर शान्ताराम मोर, डा० पंजाब राव देशमुख, श्रीमती एम० चन्द्रशेखर तथा प्रस्तावक।
>
> प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं राजकुमारी अमृत कौर को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

सदन अब स्थगित होगा और २-३० म० प० फिर समवेत होगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

सदन की बैठक मध्याह्न भोजनोपरान्त ढाई बजे पनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "त्रिपुरा में लागू किये गये पच्छिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बहुत साधारण तथा विवाद-रहित विधेयक है। इसका इतिहास भी बहुत छोटा है। ८ अप्रैल, १९५० को भारत तथा पाकि-

[श्री दातार]

स्तान के प्रधान मंत्रियों में एक समझौता हुआ तथा कुछ बातें तय हो गईं जिन के अनुसार पूर्वी बंगाल, पच्छिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा में निष्क्रान्त सम्पत्तियों की रक्षा के लिये कुछ कार्यवाही आवश्यक समझी गई। तदनुसार पच्छिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम, १९५१ तथा उसके संशोधन पास किये गये जो एक अधिसूचना द्वारा त्रिपुरा पर भी लागू कर दिये गये।

जहां तक अधिसूचना का प्रश्न है, यह ९-५-५१ को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई थी। तब प्रश्न यह उठा कि क्या अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को त्रिपुरा पर लागू किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय ऐसे थे कि केन्द्रीय सरकार या कोई सरकार अधिनियमों को महज़ अधिसूचनायें जारी करके अन्य स्थानों पर लागू नहीं कर सकती। जब यह निर्णय दिया गया था उस समय सदन की बैठक नहीं हो रही थी इसलिये राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और अब सत्र प्रारम्भ हो जाने पर एक नियमित अधिनियम बनाने का इरादा है। अधिनियम का नाम पच्छिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक होगा। केवल दो बातों के अतिरिक्त इस में और सब बातें क़रीब-क़रीब वही हैं।

यह तय हुआ कि एक विशिष्ट तारीख़ नियत कर दी जाये जो "निर्धारित दिन" कहलाये। समझौता यह था कि वे व्यक्ति अथवा निष्क्रान्त-जन जो निर्धारित दिन से पूर्व भारत अथवा पाकिस्तान लौट आये उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कर दी जायें। इस लिये, विभिन्न अधिनियमों में एक प्रक्रिया सम्मिलित की गई। तदनुसार बंगाल में एक अवधि निश्चित कर दी गई। तत्पश्चात् भारत तथा पाकिस्तान के इन राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पच्छिमी बंगाल अधिनियम त्रिपुरा पर भी लागू किया जाये तथा निर्धारित दिन दो मास और आगे बढ़ा दिया जाये। तो यह समझौता था जिसे अंततोगत्वा कार्यान्वित किया गया। मूलतः जो दिन निर्धारित किया गया था वह ९-५-५१ था। तब, त्रिपुरा की विशिष्ट परिस्थितियों की दृष्टि में यह तय हुआ कि यह तारीख़ दो मास और आगे बढ़ा दी जाये अर्थात् ९-७-१९५१ कर दी जाये। अतएव इस समय स्थिति यह है कि वे निष्क्रान्त व्यक्ति जो कि ९-७-१९५१ से पूर्व त्रिपुरा लौट आये उन्हें उनकी सम्पत्ति वापस कर दी जाये, बशर्ते कि, जैसा खंड ३ में निर्धारित कर दिया गया है, वे ६ नवम्बर १९५२ से पूर्व इसके लिये आवेदन-पत्र भेजें। यह पहली बात है।

दूसरे, विभिन्न मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि यह अधिनियम अथवा ये उपबन्ध विशिष्ट रूप से कृषकों की उस श्रेणी पर लागू किये जायें जो कि देश के उस भाग में बर्गदार कहलाते हैं। इस प्रक्रम पर इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं है कि बर्गदार आसामी है अथवा कृषक। लक्ष्य यह है कि इस अधिनियम को बर्गदारों पर लागू किया जाये जिससे कि यदि वे धारा ५ (क) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दें तो कलक्टर जांच करे और जांच के पश्चात् यदि वह इस निदान पर पहुंचे कि वे बर्गदार थे तो वह आदेश दे कि वह सम्पत्ति उन्हें वापस कर दी जाये।

इस प्रकार इन दो बातों में परिवर्तन किया गया है—एक "निर्धारित दिन" को बढ़ाने में और दूसरे इस अधिनियम को विशिष्ट रूप से बर्गदारों पर लागू करने में। अन्य बातों के मामले में उपबन्ध वे ही हैं। अतएव, मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : मुझे माननीय मंत्री जी के मुख से यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बहुत साधारण तथा विवाद-रहित विधेयक है । तथा ८ अप्रैल १६५० को भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में हुए समझौते को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न मात्र है । वह समझौता तो अब मृतप्राय हो चुका है तथा इस प्रकार की बातें कहना अपनी तथा सदन की सुबुद्धि का अपमान करना है ।

उस समझौते का आधार यह था कि पूर्वी अथवा पच्छिमी बंगाल से गये हुए जो लोग वापस लौट आये उनकी सम्पत्तियां उन्हें वापस कर दी जायें । किन्तु प्रधान मंत्री सहित अनेक मंत्रियों ने बारबार यह वक्तव्य दिया है कि पाकिस्तान की ओर से मुख्य समझौता-भंगी कार्रवाई सम्पत्ति को लौटाने के मामले में की गई है । उस दिन पूर्वी बंगाल पर बहस के दौरान में सभी सदस्य ने यह कहा था कि वहां हिन्दुओं में असुरक्षितता की फैली हुई भावना का मुख्य कारण पूर्वी बंगाल को वापस पहुंचे लोगों को उनकी सम्पत्ति वापस न करना ही है । उस दिन मैं ने एक गोपनीय परिपत्र पढ़ कर सदन को सुनाया था, जो कि पाकिस्तान सरकार द्वारा ज़िला अधिकारियों के नाम जारी किया गया था जिसमें उन से कहा गया था कि वापस आने वाले निष्क्रान्तों की सम्पत्तियां उन्हें नहीं लौटाई जायें । और आज हमारी सरकार बड़ी गम्भीरतापूर्वक इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करके अपने कर्तव्य-पालन का जोश दिखाती है जब कि पाकिस्तान में इसे खुल्लमखुल्ला भंग किया जा रहा है ।

उस दिन पुनर्वास मंत्री श्री ए० पी० जैन ने बतलाया कि अभी हाल में ७०,००० हिन्दू पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा आये हैं और भारतीय भूखंड के उस छोटे से भाग के लिये एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है । उन्होंने शायद अब उन में से कुछ ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर लिया है जिन्हें कि मुसलमान छोड़ गये हैं । और सरकार इस विधान द्वारा शक्ति-प्रयोग कर उन्हें उन ज़मीनों से हटाना चाहती है । क्या यही इस विधेयक का तात्पर्य है ?

खंड ३ में कहा गया है कि वापस आने वाला जो निष्क्रान्त व्यक्ति ६ नवम्बर, १६५२ से पूर्व इस बात का आवेदन-पत्र भेजेगा कि वह बर्गदार था, उसे उसकी सम्पत्ति वापस कर दी जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ६ नवम्बर, तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । यदि उनकी संख्या बहुत काफ़ी हो तब हम इस पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं किन्तु यदि आवेदन पत्रों की संख्या बहुत थोड़ी है, तब इस प्रकार का विधान लाने की क्या आवश्यकता थी ?

मैं आपका ध्यान नवीन खंड ५ (क) के उप-खंड २ की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि कलक्टर अथवा पदाधिकारी, जो भी सम्बन्धित हो, आवश्यक होने पर शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है । इसका अर्थ यह होता है कि बसे हुए लोगों को उजाड़ कर उन लोगों को ज़मीन वापस दे देना जिनकी कि देश भक्ति संदेहयुक्त है और जो काफ़ी शरारत कर चुके हैं ।

नेहरू-लियाक़त अली समझौते की एक मुख्य बात यह थी कि कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिये तथा आवागमन की छट होनी चाहिये । और मुक्त आवागमन होने के कारण हिन्दुओं अथवा मुसलमानों की सम्पत्तियों के लौटाये जाने की विशिष्ट महत्ता थी । किन्तु अब जब कि पासपोर्ट प्रथा लागू कर दी गई है तब इस प्रकार का विधान बनाने का कोई कारण नहीं है । मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि इसके लिये कोई विशेष जल्दी नहीं है तथा पासपोर्ट जारी होने से जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है उस पर हमें अपना मस्तिष्क लगाना चाहिये । इसके पश्चात् विरोधी दल के सदस्य से मशविरा करके सरकार जैसा

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

चाहे वैसा विधान ला सकती है। यदि हमें बाद को बहुत अधिक संख्या में त्रिपुरा के मुख्यआयुक्त से असली का प्रमाण-पत्र प्राप्त बहुतसी अर्जियां मिलें तो इस मामले पर विचार करने के लिये हमारे पास काफ़ी समय है। किन्तु उस समझौते को अब कार्यान्वित करना जब कि पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में उसे पूरी तरह भंग किया है अत्यन्त हास्यास्पद और उन्मादपूर्ण है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस विधेयक के खंड ६ में कहा गया है कि यदि कोई प्रव्रजक वापस न लौटने का निर्णय करे, तो उसकी अचल संपत्ति का स्वामित्व उसी में रहेगा उसको उस संपत्ति के बेचने अथवा दूसरे देश के निष्क्रांत के साथ बदलने या अन्य प्रकार से व्यवहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा; अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी जिसका सभापतित्व एक सरकारी प्रतिनिधि करेगा और यह समिति संपत्ति के मालिक के प्रन्यासी के रूप में कार्य करेगी ; समिति को, विधि के अनुसार , इस प्रकार की अचल संपत्ति का किराया वसूल करने का अधिकार होगा। दिल्ली अधिनियम में यह उपबन्ध भी किया गया है कि यह समिति किराया तथा अन्य प्राप्तियां वसूल करके उस निष्क्रांत को भेजेगी जिसकी कि यह संपत्ति है। किंतु हम इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं प्राप्त कर सके हैं कि पूर्वी बंगाल में जो संपत्ति अधियाचित की गई है उससे आय का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है कोई भी अपनी छोड़ी हुई शहरी अचल संपत्ति का किराया नहीं पा रहा है। पूर्वी बंगाल सरकार द्वारा निष्क्रांत संपत्ति संबंधी उपबन्ध का पालन नहीं किया गया है।

फिर, दोनों ओर से अल्पसंख्यक मंत्रियों द्वारा यह घोषित किया गया था कि अधियाचित मकानों को अन-अधियाचित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जायगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने मकान इस प्रकार अन-अधियाचित करके पूर्वी बंगाल सरकार ने मालिकों को वापस लौटाये हैं ? मैं समझता हूं कि एक भी नहीं। पूर्वी बंगाल सरकार द्वारा दिल्ली समझौते के कम से कम निष्क्रांत संपत्ति संबंधी उपबन्ध को ठीक से लागू नहीं किया है तथा उसकी अवहेलना की है।

दोनों मंत्रियों के वक्तव्य में देहाती अचल संपत्ति के विषय में भी यह घोषणा की गई थी कि यथा संभव शीघ्र ही इसे प्रव्रजक को वापस कर दिया जायेगा। यहां भी मैं यही पूछता हूं कि कितने हिंदू प्रव्रजकों को जो कि पूर्वी बंगाल वापस लौट गए हैं उनकी देहाती अचल संपत्ति वापस कर दी गई है ? मैं बारीसाल नगर से एक मील दूर के काशीपुर गांव के विषय में जानता हूं जो कि मुख्यतया एक हिंदू गांव था। सन् १६५० के बाद वहां ६५ प्रतिशत मुसलमान हैं तथा बड़े-बड़े पक्के मकानों पर उन्होंने कब्ज़ा कर रक्खा है और जो हिंदू पूर्वी बंगाल वापस लौट गए हैं या लौटना चाहते हैं उन्हें अपनी वह संपत्ति नहीं मिल सकी है।

फिर, मैं नहीं समझता कि वर्गदारों के लिए यह विशेष उपबन्ध क्यों रखा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि सदन में कई बार एक प्रकार के आसामियों—जिराती आसामियों—के बारे में प्रश्न उठाया गया था। इनके पास त्रिपुरा के सीमान्त के पास की कुछ ज़मीनें हैं। किंतु इन में से अधिकतर का निवास पूर्वी बंगाल है। वे आते हैं तथा त्रिपुरा के उन क्षेत्रों को जोतते हैं और धान तथा फसल को पूर्वी बंगाल ले जाते हैं। यह केवल ज़मीन वापस देने का

ही प्रश्न नहीं है । यह देश की अनाज की स्थिति का भी प्रश्न है । कई लाख मन चावल और धान इस प्रकार पूर्वी बंगाल को ले जाया जाता है । इसलिए मैं नहीं समझता कि वर्गदारों के संबंध में यह विशिष्ट उपबन्ध क्यों रक्खा गया है और क्यों उन्हें यह विशेष सहूलियत दी गई है ।

इसके पश्चात् मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वी बंगाल के आर्थिक ढांचे में हुए कुछ परिवर्त्तनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । मैं समझता हूं कि उन्हें विदित है कि पूर्वी बंगाल में ज़मीदारी समाप्त कर दी गई है । इसका प्रभाव व्यवहार में हिंदुओं पर ही पड़ा है । मैं ज़मीदारी प्रथा का कोई पक्षपोषक नहीं हूं ; किंतु जब कोई विशिष्ट आर्थिक कानून किसी संप्रदाय विशेष के विरुद्ध लागू किया जाता है तो सरकार को उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । जब वहां पर ज़मीदारी प्रथा समाप्त की जा रही है तो आप इन वर्गदारों को विशेष अधिकार क्यों दे रहे हैं ? उस ओर हिंदू बर्गदारों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ? सरकार को यह विधान पास करने से पूर्व इन सब बातों पर विचार करना चाहिए ।

अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि सीमान्त क्षेत्र में वर्गदार जो फ़सल बोयेंगे उसका क्या होगा ? वह कहां जाएगी ? वह पूर्वी बंगाल में जाएगी अथवा यहीं रहेगी ? गत् चार वर्षों में तो सरकार इस फ़सल को अपने यहां रख नहीं सकी है । वह अधिकतर पूर्वी बंगाल चली गई है । यह बात भी सरकार के लिए विचारणीय है ।

इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा कि दोनों देशों के बीच हाल के संचरण संबंधी तथा आर्थिक परिवर्त्तनों की तथा दिल्ली समझौते का जो बना है उसको दृष्टि में इस प्रकार का विधान लाने की क्या आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त, मैं यह भी समझता हूं कि सदन को दोनों ओर की प्रबन्धक समितियों के कार्य जानने का भी अधिकार है कि किस ओर क्या-क्या किया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : दिल्ली समझौते के पश्चात् जो कुछ हुआ है उसके सन्दर्भ में उस समझौते को आगे कार्यान्वित करना अत्यन्त विचित्र प्रतीत होता है । समझौते की शर्तों का प्रारम्भिक खंड ही यह था कि भारत तथा पाकिस्तान सरकारें "अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को, धर्म के निरपेक्ष, नागरिकता की पूर्ण समानता, जीवन, संस्कृति, संपत्ति तथा सम्मान की सुरक्षा और अपने-अपने राज्य-क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता तथा, विधि और नैतिकता के अधीन, व्यापार, भाषण तथा उपासना की स्वतंत्रता आश्वस्त करेंगी"। किंतु जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस समझौते के पश्चात् से क्या हुआ है तो ये सारी बातें बिलकुल थोथी प्रतीत होती हैं । पाकिस्तान ने बराबर इस समझौते को भंग किया है । दोनों देशों के बीच आवागमन की स्वतंत्रता होते हुए भी जो कि समझौते का आधारभूत सिद्धांत था, पासपोर्ट प्रणाली पाकिस्तान ने, हमारे विरोध करने पर भी, जारी की ।

इस विधेयक के अनुसार आप समझौते का खंड ५ क्रियान्वित कर रहे हैं जो वर्गदारों के संबंध में है । खंड ५ के वास्तविक शब्द ये हैं :

"जहां कि प्रव्रजक कृषिकार्य में रत ज़मीन का मालिक अथवा आसामी था, वह ज़मीन उसको वापस कर दी जाएगी बशर्तेकि वह ३१ दिसम्बर, १६५० से पूर्व वापस लौट आए ।"

तो यह बर्गदार क्या है? पश्चिमी बंगाल बर्गदार अधिनियम, १६५० के खंड २० (ख)

[श्री एन० सी० चटर्जी]

में बर्गदार की परिभाषा यह दी गई है कि बर्गदार वह व्यक्ति है जो कि 'आधी', 'वर्ग' या 'भाग' कहलाने वाली प्रथा के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर इस शर्त पर खेती करता है कि उस ज़मीन से होने वाली उपज का एक भाग वह उस व्यक्ति को दे। तो ज़मीन पर उसका कोई स्वामित्वाधिकार नहीं है। वह तो एक ऐसा आसामी है जिसे ज़मीन का मालिक जब चाहे हटा सकता है। इसलिए आप तो इस विधेयक में इतना आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कि इस खंड ५ में अपेक्षा भी नहीं की गई है। स्वयं इस खंड में कहा गया है कि कुछ अपवादस्वरूप मामलों में यदि उसकी संपत्ति वापस न की जा सके तो आप अल्पसंख्यक आयोग के पास जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान सरकार ने इस खंड को कार्यान्वित किया है ? श्री गुहा ने ऐसी अनेक मिसालें दीं जहां कि पाकिस्तान सरकार ने यह नहीं किया है। तब आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है ? और कम से कम बर्गदारों के मामले में तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बतलाता हूं कि क्यों ? सन् १६४० में ढाका में दंगे हुए। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरबार छोड़कर त्रिपुरा आए और वहां शरण ली और वे उस भूमि पर खेती करते रहे हैं जोकि वहां छोड़ दी गई थी। उन ज़मीनों को कभी तो वे वर्गदारों के रूप में जोतते रहे और कभी हिंदू जोकि उनमें स्वयं खेती नहीं कर रहे थे और पूर्वी बंगाल में रहते थे उन ज़मीनों को गैर-हिंदुओं को उठा देते थे जो कि सीज़न में उन पर काम करते थे। अब इन लोगों को निकाल दिया गया है। उन्हें पूर्वी बंगाल में अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है और वे अपनी ज़मीनों पर त्रिपुरा में या तो खुद खेती कर रहे हैं अथवा मज़दूरों द्वारा कर रहे हैं। तब आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान बर्गदार जो कि पाकिस्तान की स्थापना से पूर्व वहां वर्गदार था अब यदि वापस आ जाए तो वह ज़मीन उसे लौटा दी जाएगी यह अत्यन्त अनुचित बात होगी।

दूसरी बात खंड ६ के बारे में है। नेहरू-लियाकत अली समझौते के खंड ६ में कहा गया है कि यदि कोई प्रव्रजक वापस न लौटने का निर्णय करे तो उसकी समस्त अचल संपत्ति का स्वामित्व उस राज्य में निहित होगा तथा उसको इस संपत्ति को बेचने अथवा दूसरे देश के निष्क्रांत के साथ बदलने अथवा अन्यथा व्यवहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार द्वारा जान बूझकर इस उपबन्ध को भंग किया गया है। कलकत्ते के एक कांग्रेसी अखबार ने ही अपने सम्पादकीय में लिखा है कि जहां तक पाकिस्तान के निष्क्रांतों का संबंध है, उनकी संपत्ति के संबंध में तरह-तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। कुछ मामलों में तो बिक्री अथवा विनिमय की आज्ञा ही नहीं दी जाती और यदि कोई सौदा पक्का भी हो गया तो विक्रय-राशि का एक भाग ही उसे मिल पाता है। पाकिस्तान सरकार आय-कर के रूप में कुछ कटौती और कर लेती है। इस प्रकार की बातों का परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान में छट गई संपत्ति पर वास्तविकता में या तो पाकिस्तान सरकार का अधिकार हो गया है अथवा यह मुसलमान शरणार्थियों के हाथ में आ गई है।

मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान कभी अपनी आदत से बाज़ नहीं आएगा चाहे उसे संतुष्ट करने के लिए आप कुछ भी क्यों न कर लें। परिणाम केवल यह होगा कि पूर्वी बंगाल से आए हुए हज़ारों शरणार्थी जो कि इन ज़मीनों पर रह रहे हैं और जिनकी जीविका का ये ज़मीन ही एक मात्र साधन है, फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे।

डा० एन० बी० खरे : महोदय, मैं भी इस विधेयक के विषय में.....

कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेज़ी में ।

डाक्टर एन० बी० खरे : नहीं, नेशनल लैंग्वज में । महोदय, मैं भी इस विधेयक के विषय में अपने विचार थोड़े से शब्दों में प्रकट करना चाहता हूं । हुज़ूर, आपको मालूम है कि ८ अप्रैल सन् १६५० के शुभ मुहूर्त पर इस इंडिया की राजधानी में इंडो-पाकिस्तान का निकाह हो गया है जिसको बोला जाता है नेहरू-लियाक़त पैक्ट और इंडो-पाकिस्तान पैक्ट । उस निकाह की जो शर्तें हैं वह बहुत सी हैं । उन शर्तों को अभी हमारे माननीय मित्र श्रीयुत चटर्जी ने हाउस के सामने पढ़कर सुनाई हैं और आपने उन को सुना है । उनको सुनकर हमें ऐसा मालूम होता है कि वह शर्तें ऐसी ही हैं जैसी कि हमारे हिंदुओं के वैदिक विवाह में हैं :

"धर्मेच अर्थेच कामेच नाति चरामि, नाति चरामि, नाति चरामि ।"

तो ऐसी यह हमारी सरकार है । सब दुनिया जानती है कि यह जो निकाह है यह टूट गया है । पाकिस्तान ने निकाह की शर्तें तोड़कर, ठुकरा कर हिंदुस्तान यानी भारत को तलाक़ दे दिया है, यह दुनिया जानती है । मगर इस हालत में भी हमारी सरकार ऐसी उत्सुक है कि उस निकाह की जो शर्तें हैं उनको पूरी करने के वास्ते वह इस विधेयक को हाउस के सामने लाने के लिये तैयार हुई है । हमको इसमें ताज्जुब मालूम होता है । हमारी इस सरकार में बड़े बड़े देश भक्त हैं, इसमें जगत्मान्य व्यक्ति हैं, सब तरह के होशियार व्यक्ति हैं । यह होते हुए मैं इसको कैसे कहूं कि यह सरकार की नालायकी है, नादानी है या नामर्दगी ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : नामर्दगी तो ज़रूर है ।

डाक्टर एन० बी० खरे : अजी, ज़रा सुनिए तो क्या है, सुनकर आपकी तबियत खुश हो जायेगी । मैं यह कहूंगा कि इस में इस सरकार ने अपनी हिन्दू भावना का पूरा परिचय दिया है । आप जानते हैं कि हिन्दुओं में नारियों के पतिव्रता धर्म का बड़ा महत्व है । पति कुछ भी करे, चाहे लात मारे, फटकारे, खाने को न दे, छल करे, कपट करे, सब कुछ करे तो भी पतिव्रता नारी ऐसी होती है कि वह उस पति की सेवा ही करती जाती है । पति लात मारता है तो वह उसका पांव दबाती है । वह मुक्का मारता है तो भी लजीज़ अच्छे अच्छे खाने बना कर वह उसको खिलाती है, न जाने वह क्या क्या करती है । तो हिंदू समाज में पतिव्रता नारी जैसा काम करती है उसी तरह इस सरकार ने और सब बातों में हिंदुत्व का त्याग करते हुए भी उस हिन्दुत्व को नहीं त्यागा है, इसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं ।

फिर इसके आगे चलिये । नारी क्या करती है कि वह चाहती है कि ऐसा ही पति आगे के सात जन्म में मिल जाय । इसके लिये पतिव्रता नारी व्रत भी करती है, सावित्री व्रत वगैरह करती है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को वह व्रत होता है । तो मेरे ख्याल में आज ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के व्रत का ही यह सरकार पालन कर रही है, इस लिये मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : जहां तक बर्गदारों का प्रश्न है, हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं । इस विधेयक से यह मालूम होता है कि हम बर्गदारों को बहुत कुछ दे रहे हैं । किंतु उन बर्गदारों के लिए हमने क्या किया है जो कि पूर्वी बंगाल से आए हैं ? गत कुछ मासों में आने वाले शरणार्थियों में बर्गदारों की

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

संख्या बहुत अधिक है और हमें ऐसे भी मामले मालूम हैं जिनमें उन्हें किसी प्रकार की ज़मीन दे दी गई है। उनमें से कुछ ज़मीनें ऐसी थीं जो कि खेती के अयोग्य हैं और उन्हें छोड़ देना पड़ा। ऐसी ज़मीनों पर वे लोग कोई फ़सल नहीं उगा सके और सरकार ने उन्हें बेकार आदमी समझा और उनसे कह दिया गया कि उन्हें आगे कोई और मदद नहीं दी जाएगी। अब यह विधेयक उन बर्गदारों को बेदखल करना चाहता है जिन्होंने कि अपने आप को बसा लिया है। इस विधेयक को पास करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह बात स्पष्ट की जाए कि इन बर्गदारों को निकाल बाहर नहीं किया जाएगा। हिन्दू तथा मुस्लिम बर्गदार दोनों को ही बसाना है। हमें इस प्रकार का उपबन्ध करना चाहिए कि जिन बर्गदारों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, सरकार एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें दूसरी कृष्य भूमि दिलवाएगी।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर): मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से विशिष्ट कारण थे जिनके वशीभूत होकर केवल त्रिपुरा के निष्क्रांत बर्गदारों को ही ये सुविधायें दी जा रही हैं जब कि इसी प्रकार की सुविधायें पच्छिमी बंगाल और आसाम से प्रव्रजन किए हुए बर्गदारों को, जो बाद में वापस लौट आए, ये सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। जब आप इन लोगो को निकाल देंगे तो वे कहां जायेंगे? पच्छिमी बंगाल निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम के अन्तर्गत निष्क्रांतों को थोड़ा संरक्षण है। जब कि दूसरा व्यक्ति ज़मीन पर खेती कर रहा है तो उससे वह ज़मीन लेकर निष्क्रांत को वापस करना संभव नहीं है। उस मामले को अल्पसंख्यक समिति को निर्दिष्ट करना पड़ता है। किन्तु जब यह अधिनियम त्रिपुरा पर लागू किया जाता है तो उन्हें कोई संरक्षण नहीं रहता तथा उन्हें निकाल कर उन ज़मीनों को बर्गदारों को दे दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस परिस्थिति को स्पष्ट कर दें अन्यथा यह विधेयक हिन्दुओं पर तबाही लाएगा। इस मामले पर भारत बनाम पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अथवा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है। इस पर माननीय दृष्टिकोण से विचार करना है और उस छोटे से राज्य की अर्थ-व्यवस्था के पहलू से विचार करना है। ये लोग कहां जायेंगे और उन क्षेत्रों में, जहां से उन्हें निकाल कर आप मुसलमान बर्गदारों को बसाना चाहते हैं, खेती की क्या दशा होगी? इस विधेयक के सदन द्वारा पास किये जाने से पूर्व इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री मेघनाद साहा: मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इस विधेयक का लाया जाना बहुत जल्द बाज़ी का काम करना है। सन् १६४० के दंगों में हज़ारों हिंदुओं को अपने घरों से निकाल दिया गया था और उन्होंने त्रिपुरा में आकर शरण ली थी। उसके पश्चात् से पूर्वी बंगाल से हिंदुओं का प्रव्रजन बराबर चलता रहा है। उनमें से अधिकतर ने खेती-बारी का काम अपना लिया है और उनके पास जीविकोपार्जन का सिवा इसके और कोई साधन नहीं है। ऐसी दशा में इस विधेयक का लाना जो कि उनसे उनकी जीविका का केवलमात्र साधन छीन लेता है अत्याचार है।

बर्गदार का नाम सुनकर हृदय में एक प्रकार की सहानुभूति का संचार होता है। उसके किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते। वह जब चाहे निकाला जा सकता है। हम अब उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं।

किंतु अधिकार क्या हैं ? उसके कोई अधिकार नहीं हैं । पाकिस्तान सरकार ने बर्गदारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए कुछ नहीं किया है। बर्गदार जो कि कोमिल्ला के ज़िले से आया करते थे अधिकतर मुसलमान हैं तथा उन्हें मजदूरी पर रक्खा जाया करता था । अब वे अधिकार किस बात का मांग रहे हैं ? आप वहां से उन हिंदुओं को उजाड़ना चाहते हैं जो गत तीन-चार वर्षों से वहां खेती कर रहे हैं और उनकी एकमात्र जीविका छीनकर उनके लिए अन्य कोई प्रबन्ध भी नहीं कर रहे हैं।

नेहरू-लियाकत अली समझौता एक ही दिशा में कार्य कर रहा है । ढाका की आबादी २ लाख थी जिसमें से ७० प्रतिशत अर्थात् १,४०,००० व्यक्ति हिंदू थे । वे वहां के ८० प्रतिशत मकानों के मालिक थे । अब वहां केवल ५,००० हिंदू बचे हैं और उन्हें अपने घरबार से बिलकुल निकाल दिया गया है । यदि आप कलकत्ते की सड़कों से होकर गुज़रें तो हज़ारों हिंदू आपको सड़क के दोनों ओर दूकानें लगाये पड़े मिलेंगे । ये वही लोग हैं जिन्हें ढाका से खदेड़ दिया गया है । इसलिए केवल एक ही दिशा में उदारता मत दिखाइए । पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना चाहिए । अन्यथा यदि आप ऐसा करते रहे तो कुछ समय पश्चात एक क्रांति पैदा हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब काफ़ी चर्चा हो चुकी है । डा० काटजू ।

डा० काटजू : मैं पूर्वी बंगाल से आए लोगों की मुसीबत देख चुका हूं और मेरे लिए यह कहना गलत होगा कि मुझे उनसे सहानुभूति है : मैं उनके सुख-दुख की अनुभूति करता हूं । उनके दुख अधिक हैं । और यह सहानुभूति की कमी का प्रश्न नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की भावात्मक सहानुभूति में हम विधेयक के अत्यन्त साधारण उपबन्धों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं । आप कृपया याद रक्खें कि सन् १९५० में यह समझौता हुआ था ।

यह उस समय कार्यान्वित किया जाना था । पर उसके बाद सरकारी स्तर पर सम्मेलन हुए--मुख्य सचिवों के । एक सम्मेलन २ और ३ दिसम्बर, १९५० को हुआ । एक मार्च, १९५१ में हुआ और तीसरा दिसम्बर, १९५१ में । मार्च, १९५१ के सम्मेलन में यह तय हुआ कि पूर्वी बंगाल, पच्छिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के संबंध में विधान बनाया जाए और पूर्वी बंगाल तथा आसाम के संबंध में विधान अधिनियमित कर दिया गया । त्रिपुरा में, जो कि उस समय एक मुख्य आयुक्त के अन्तर्गत था, अधिनियम नहीं बनाया जा सका और यह काम अधिसूचना द्वारा किया गया । बंगाल और आसाम अधिनियम में एक "निर्धारित दिन" नियत किया गया था जिससे पूर्व कि निष्क्रांत व्यक्ति लौट आए और तब वह आवेदन-पत्र देने का अधिकारी हो सकता था । यह "निर्धारित दिन" पहले १५ जून, १९५१ नियत किया गया था । अब यह ९ जुलाई, १९५१ कर दिया गया है । ये तीन सप्ताह मुख्य आयुक्त के कहने से बढ़ाए गए क्योंकि अन्यथा कुछ प्रशासनात्मक कठिनाई उत्पन्न होती थी । अतः जो भी ९ जुलाई, १९५१ से पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में त्रिपुरा वापस लौट आया वह इस विधेयक का लाभ उठा सकता था । ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी किसी भी समय लौट आए और आवेदन-पत्र दे दे । उसे आकर वहां बसना पड़ता है । फिर दूसरी तिथि आवेदन-पत्र भेजने की तिथि है । यह तिथि समय समय पर बढ़ाई गई है । अध्यादेश में यह तिथि ६ अगस्त रक्खी गई थी और अब इस विधेयक के कारण, ६ नवम्बर रक्खी गई है। मेरा निवेदन है कि वास्तव में इससे

[डा० काटजू]

कोई अन्तर नहीं पड़ता । प्रारम्भिक दिनों में, १९५० के उन भयानक दिनों में, मैं ने शरणार्थियों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था । पूर्वी और पच्छिमी बंगाल में ऐसी ऐसी भयानक और शर्मनाक घटनाऐं हुई कि सर शर्म से झुक जाता है । हज़ारों लोग भाग गए । वे जो ९ जुलाई, १९५१ तक वापस आ गए कहते हैं कि हम अपनी संपत्ति वापस चाहते हैं । तो आपके पास क्या उत्तर है ? जिस व्यक्ति ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है वह अवैध है । आपको मालूम होगा कि व्यवहार विधि के अन्तर्गत १२ वर्ष तक कब्ज़ा की हुई संपत्ति वापस ली जा सकती है । इसी प्रकार, कृपया याद रखिये, इस समझौते के पश्चात्, जहां तक कि इस मद विशेष का संबंध है, केवलमात्र तथ्य यह है कि संपत्ति वापस कर दी जानी चाहिए ।

कृपया एक बात और याद रखिये । मूल अधिनियम बहुत बड़ा है । इसमें एक धारा २४ है जिसमें तीन बातें हैं । आप निष्क्रांत हैं । आप वापस आ जाते हैं; यदि आप आवेदन-पत्र दें तो अधिकारीगण आपकी सहायता करेंगे । किंतु मान लीजिये कि आप उस समय तक आवेदन-पत्र नहीं देते । तब इसकी अवधि, मैं समझता हूं, जून १९५३ के मध्य तक दी हुई है । तब तक आवेदन-पत्र भेजा जा सकता है । यह ध्यान देने योग्य बात है ।

दूसरी बात यह है कि या तो उसको ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया जाएगा अथवा क्षतिपूर्ति की जाएगी अथवा उस संपत्ति से जो किराया वसूल हुआ है वह उसे दे दिया जायगा । मेरा निवेदन यह है——ऐसा कहने के लिए मुझे क्षमा करें—कि सदस्यों द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, बदले की भावना से कहा गया है । कलकत्ते और दूसरे स्थानों पर उन्होंने शरणार्थियों की जो दशा देखी है उससे इस प्रकार की भावनाऐं जाग्रित होना कुछ स्वाभाविक सा ही है । किंतु जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इसका संबंध बहुत छोटी सी बात से है । विधान पहिले से मौजूद है; यह पच्छिमी बंगाल में कार्य कर रहा है, आसाम में कार्य कर रहा है । जहां तक त्रिपुरा का सम्बंध है, पहले हमने पच्छिमी बंगाल का अधिनियम ही वहां लागू कर दिया था तब यह कहा गया कि यह नियमित नहीं है । इस पर केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी की ।

उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों में यह कहा गया कि त्रिपुरा के संबंध में कार्य-पालिका द्वारा अधिसूचना जारी न करके संसदीय विधान होना चाहिए । मुख्य आयुक्त के परामर्श से हमने अध्यादेश जारी कर दिया । अब संविधान के अन्तर्गत हमें यह करना पड़ रहा है । मैं फिर दोहरा दूं कि यह केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो ९ जुलाई से पूर्व वापस लौट आए थे । ये सब बातें तो हो चुकी हैं जिन पर ये उपबन्ध लागू भी हो चुके हैं । उनके बाद की घटनाओं के आधार पर दिए जाने वाले तर्क यहां लागू नहीं हो सकते । सारभूत तिथि ९ जुलाई है । यह १८ मास पूर्व समाप्त हो चुकी है ।

इसके पश्चात् बर्गदारी का प्रश्न आता है । यदि कोई व्यक्ति दंगों के कारण जनवरी या फरवरी १९५० में चला गया हो तो अपने पट्टे की अवधि के अनुसार त्रिपुरा में रहते हुए भी यदि उसका उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता, तो उसे वह ज़मीन यह विधेयक नहीं दिलाएगा । सब कुछ उसके अधिकार पर निर्भर है । यह विधेयक उसे कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहा ।

तीसरे, सदन के दूसरी ओर से चाहे जो भी भावना व्यक्त की गई हो, यह मेरी ज़ोरदार अपील है—कम से कम हमें इस ओर यही सिखाया गया है—कि जो भी वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। वादा यह था कि इस प्रकार का विधान आधीनियमित किया जाना चाहिए, केवल समझौते में ही नहीं—वरन् यह वादा बार-बार किया गया था, जैसा मैंने बतलाया, दिसम्बर १९५०, मार्च १९५१, और दिसम्बर, १९५१ में। विधान बनाया जा चुका है। लोग इससे आसाम में लाभ या हानि उठा चुके हैं; लोग इससे समस्त पच्छिमी बंगाल में लाभ या हानि उठा चुके हैं। यहां एक छोटी सी जगह है, त्रिपुरा। टेकनीकल कठिनाइयों के कारण, हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा था और अब हमें यह विधेयक भी प्रस्तुत करना ही पड़ता। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सितम्बर -अक्टूबर, १९५२ में हुए दंगों के कारण जो पासपोर्ट के झगड़े के परिणामस्वरूप हुए, हम उन वादों को पूरा न करें जो बार-बार सन् १९५० और १९५१ में किए गए थे। मेरा निवेदन है कि यह उचित बात नहीं होगी। ऐसे करने से हम स्वयं अपनी निगाह में नहीं उठ पाऐंगे। यह तो हमें करना ही था।

जहां तक श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस बात का संबंध है विस्थापित हुए व्यक्ति जो एक बार बस गए थे उनकी एकमात्र रोज़ी छीन कर उन्हें फिर से न उजाड़ा जाए और बदले में उन्हें दूसरी ज़मीनें दी जाएं, मुझे यह कहना है कि और ज़मीनें उपलब्ध हैं और मैं देखूंगा कि ये उन्हें दी जाएं।

कागजों से मैंने देखा कि हटाए जाने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। दूसरे, यह पहिले ही क्रियान्वित किया जा चुका है आवेदन-पत्र आचुके होंगे। कृपया याद रखिये कि अध्यादेश अगस्त या सितम्बर में पास हुआ था। तब तक आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके होंगे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस मामले को बदले की भावना से प्रेरित होकर व्यवहृत न किया जाए। कलकत्ता और अन्य स्थानों में लोग कष्ट उठा रहे हैं। किंतु यह तो उसका इलाज नहीं है। क़ानूनन वह अपनी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। न्यायालयों के द्वारा वह उसे प्राप्त कर सकता है। किंतु न्यायालयों की लम्बी प्रक्रिया का सहारा न लेकर अब वह कलक्टर के पास जाता है और कलक्टर उस मामले में देखता है तथा कार्यवाही करता है। अतः जो आलोचना की गई उसका वास्तव में कोई आधार नहीं है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहां कि जो कुछ किया जा रहा है वह केवल यह है कि वापस आने वाले निष्क्रांतों को वे अधिकार दिए जा रहे हैं जो कि उनके कानूनन हैं। किंतु यहां शब्द ये हैं कि बर्गदार को अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा, "अनपेक्ष इसके कि उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में क्या है अथवा इसके विरुद्ध कोई संविदा मौजूद है" जिसका अर्थ होता है कि यदि अधिकार समाप्त हो गया हो तो भी। अब प्रयत्न यह किया जा रहा है कि किसी भी ऐसी प्रचलित विधि को निरसित किया जा रहा है। यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सन् १९५० के नेहरू-लियाकत अली समझौते के खंड ६ में बर्गदार नहीं आते हैं। वास्तव में उन्हें पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन के बाद उन्हें सम्मिलित किया जा रहा है। मैं यह पूछ रहा हूं। क्या इस प्रकार का विधान पच्छिमी बंगाल सरकार द्वारा भी पास किया गया है?

डा० काटजू : इसका उत्तर यह है। मैं मुख्य सचिव के सम्मेलन की कार्यवाही से पढ़ता हूं :

"जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, यह तय किया गया था (सब सचिवों द्वारा) कि पच्छिमी बंगाल में वहां का विधेयक लागू करते समय वर्गदारों को संपत्ति की वापसी के संबंध में विशिष्ट उपबन्ध सम्मिलित किए जाएंगे जिनके अनुसार कि उन्हें संपत्ति के वापसी के लिए वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि आसाम की विधि में उपबन्धित थे....."

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी बंगाल ने ऐसा कानून पास किया है ? यह एक महत्वपूर्ण बात है। किसी द्विपक्षीय समझौते पर कार्यवाही करने से पूर्व हमें जानना चाहिये कि वहां की सरकार ने क्या किया है।

डा० काटजू : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि पूर्वी बंगाल ने पास किया है या नहीं, किंतु मैं कल इसका निश्चित उत्तर दे सकता हूं। किंतु मान लीजिये कि उसने न पास किया हो, तो आपने तो आसाम में यह किया है। हमें एक दृष्टांत कायम करना चाहिए कि हम अपने वादों पर दृढ़ हैं।

श्री ए० सी० गुहा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि निष्क्रांत संपत्ति प्रबन्धक समितियां पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम में कैसा कार्य कर रही हैं और क्या उन्होंने संपत्ति से कोई किराया प्राप्त करके दिया है ?

डा० काटजू : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि ये प्रबन्धक समितियां प्रश्न को सुलझाने में कहां तक सफल हुई हैं। मेरे माननीय मित्र को विदित है कि कलकत्ते में विभिन्न स्थानों पर बस गए शरणार्थियों से किराया वसूल करना अत्यन्त कठिन है। कदाचित् यही बात ढाका के विषय में है।

श्री ए० सी० गुहा : अनेक बार यह प्रश्न उठाया गया और हर बार सरकार का यही उत्तर था कि उसे सूचना नहीं है। हम एक कानून पास कर रहे हैं और समितियों की स्थापना कर रहे हैं। यदि हमें यह न ज्ञात हो कि य समितियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं तथा निष्क्रांतों की संपत्ति के अधिकारों का किस प्रकार रक्षण किया गया है तो इस विधेयक को पास करने का हमारा प्रयोजन क्या है ?

डा० काटजू : यदि आप "निर्धारित तिथि" तक आवेदन-पत्र दे दें तो आपकी संपत्ति आपको वापस मिलज जाती है। उस तिथि के बीत जाने पर, प्रबन्धक समिति है। प्रबन्धक समितियां कलकत्ता और ढाका --पच्छिमी तथा पूर्वी बंगाल--में हैं। मेरे माननीय मित्र जानते ही हैं कि उनकी क्या दशा है। किंतु यह एक भिन्न प्रश्न है। इन संपत्तियों से कोई किराया नहीं ले रहा है क्योंकि यह अधिनियम लागू हो गया है। इसलिए इस विधेयक के मामले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इस मामले में देखेंगे कि जब तक इन शरणार्थियों को दूसरी ज़मीनें नहीं दिला दी जायें उन्हें वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। हम इस संबंध में उनसे आश्वासन चाहते हैं।

डा० काटजू : मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री जी ने कहा यह पच्छिमी बंगाल में लागू हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है। जो वर्गदार विस्थापित कर दिये गए हैं क्या उन्हें दूसरी ज़मीनें दी गई हैं?

डा० **काटजू** : मैं इस बात का ख्याल रक्खूंगा और इसकी विशिष्ट रूप से जांच कराऊंगा ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वास्तव में पच्छिमी बंगाल में प्रथा यह रही है कि कोई भी बिना दूसरी ज़मीन दिए हटाया नहीं गया है ।

डा० काटजू : यही चीज़ त्रिपुरा में होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किंतु एक समयावधि निश्चित होनी चाहिये, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार का काम किस प्रकार चलता है । वर्ष पर वर्ष बीतते जा रहे हैं और आप कहते रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन : समयावधि तो है । उस व्यक्ति को ९ जुलाई, १९५१ से पूर्व आना चाहिए और ६ नवम्बर, १९५२ से पूर्व आवेदन-पत्र भेजना चाहिए । इसलिए कोई और अवधि नियत करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न दूसरा है । क्या इस बात की भी कोई निश्चित अवधि है कि अमुक काल में विस्थापित किए व्यक्ति को दूसरी ज़मीन दे दी जायगी ।

सभापति महोदय : इस बात का तो माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं कि ऐ मामलों को वे देखेंगे और पूरा प्रयत्न करें गे।

खंड २ से ४ तक विधेयक का अंग बना लिए गए ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस विधेयक को पास किया जाए ।"

सदन में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में १४९ मत आए ; विपक्ष में ४१ ।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

पाकिस्तान से अत्यागमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पाकिस्तान से अत्यागमन (नियन्त्रण) अधिनियम, १९४९ के निरसित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जैसा कि सदन को विदित है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य गमनागमन परमिटों द्वारा विनियमित किया जाता था । परमिट प्रथा को विनियमित करने वाले भारतीय कानून का नाम था पाकिस्तान से अत्यागमन (नियन्त्रण) अधिनियम, १९४९ (१९४९ का २३वां)। पूर्वी भाग में गमनागमन की सुगमता के हेतु अपवाद किए गए थे। पश्चिमी बंगाल के उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो पूर्वी बंगाल हो कर आने की इजाज़त चाहते थे, पूर्वी बंगाल से आने वालों को परमिट के बारे में छूट थी। इस वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को पहली बार सूचित किया कि उसका इरादा परमिट के स्थान पर पासपोर्ट प्रथा जारी करने का है । इस प्रस्ताव पर इस के गुणावगुणों के अनुसार विचार किया गया और, जैसा कि सदन को विदित है, हम एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोगों की कठिनाइयों में वृद्धि नहीं करना चाहते थे । हम पूर्वी बंगाल तथा उस की सीमा के भारतीय राज्यों के मध्य पहली बार यातायात के इन नियन्त्रणों के लगाए जाने के विपक्ष में थे । उस समय तक यातायात की छूट थी और इन लोगों को १९५० के समझौते के अन्तर्गत गमनागमन की दी गई स्वतन्त्रता का यह नकार था कि पासपोर्ट प्रथा जारी की जाए ।

[श्री जे० के० भौंसले]

पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से सहमत नहीं हो सकी । ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार यही कर सकती थी कि यह प्रयत्न करे कि जहां तक हो सके वहां तक लोगों पर पड़न वाली विपदाओं को कम किया जाए । पाकिस्तान सरकार से यह तय हुआ कि १५ अक्टूबर, १९५२ से पासपोर्ट प्रथा परमिट प्रथा के स्थान पर लागू की जाए । पासपोर्ट प्रणाली लागू हो जाने के बाद परमिट प्रथा के कानून का निरसन आवश्यक ही था । अतः सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर के उस अधिनियम को निरसित कर दिया । इस समय जो विधेयक सदन के सम्मुख है उस का प्रयोजन उक्त अध्यादेश को अधिनियम में परिणित करना है । स्वयं विधेयक अत्यन्त साधारण है जिसमें कि सामान्य निरसन खंड है । एकमात्र पहलू जिस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है 'अपवाद' खंड है । इस का प्रयोजन इस दण्ड को कायम रखना है जो पाकिस्तान के अत्यागमन (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उन लोगों के लिए है जो १५ अक्टूबर १९५२ से पूर्व भारत में परमिट प्रथा के अन्तर्गत आए थे तथा भारत में रुके रहे तथा परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर): यह विधेयक बहुत छोटा सा तथा साधारण है किन्तु व्यवहार में यह पासपोर्ट प्रथा के लिए संसद् की मान्यता की अपेक्षा करता है । इसे दिल्ली समझौते का सरकारी रूप से दफनाया जाना भी कहा जा सकता है । सम्पूर्ण दिल्ली समझौता कुछ खंडों पर आधारित है जिस का मुख्य खंड यह है कि आवागमन की स्वतन्त्रता होगी तथा मार्ग में रक्षण किया जाएगा । पासपोर्ट प्रथा जारी करने से दिल्ली समझौता भंग हो जाता है ।

मैं दिल्ली समझौते या किसी और समझौते के लिए बहुत चिन्तित नहीं हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में समझौते होते और भंग रहते हैं । किन्तु सदन से मेरा निवेदन इस विधेयक से जन-सामान्य पर पड़ने वाली विपत्तियों की ओर ध्यान देने का है ।

१४ अक्टूबर तक, प्रत्येक दिन हज़ारों लोग आरहे थे और, अब भी, मैं कह सकता हूं कि आर्थिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रों में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ है । पूर्वी बंगाल से सहस्रों विद्यार्थी पश्चिमी बंगाल में पढ़ रहे हैं और मैं पश्चिमी बंगाल में भी कुछ विद्यार्थियों को जानता हूं जो कि पूर्वी बंगाल में पढ़ रहे हैं । पूर्वी बंगाल के सहस्रों व्यक्ति पश्चिमी बंगाल और आसाम में अपनी रोज़ी कमाते हैं तथा अनेक भारतीय अपनी जीविका पूर्वी बंगाल में अर्जित करते हैं । कुछ समय पूर्व इस सदन में प्रश्न किया गया था कि क्या पूर्वी बंगाल के चाय बागान तथा कुछ अन्य औद्योगिक समवाय अपना कार्य इसलिए प्रारम्भ नहीं कर पा रहे कि पासपोर्ट प्रथा के लागू हो जाने कारण मज़दूर वहां कार्य करने के लिए नहीं जा सक रहे हैं । मुझे मालूम है कि हज़ारों लोग पासपोर्ट पाने के लिए लाइन में इन्तजार करते रहते हैं और पासपोर्ट देने के मामले में खूब खूब भ्रष्टाचार चल रहा है । सामान्य-जन इस से होने वाली हानि उठा रहा है । केवल दो दिन पूर्व पाकिस्तान की संविधान सभा ने इसी प्रकार का एक अधिनियम पास किया था तथा उस पर यह आवाज उठी थी कि पासपोर्ट प्रथा समाप्त कर दी जाए । यहां भी मैं यह आवाज उठाना चाहूंगा कि पासपोर्ट प्रथा समाप्त कर दी जाए, प्रशासनात्मक कठिनाई उत्पन्न होने के कारण नहीं, वरन् सामान्य व्यक्ति पर पड़ने वाली विपत्तियों के कारण ।

दोनों बंगालों को अलग करने वाली कोई भी प्राकृतिक सीमा नहीं है । क्या आप पासपोर्ट जारी कर के दोनों बंगालों को स्थायी रूप से अलग कर सकते हैं ? मुझे

विश्वास है कि बंगाल का और भारत का सामान्य व्यक्ति इस सरकारी हुक्म को नहीं सुनेगा और एकीकृत होने के अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा । दोनों बंगालों को सदा के लिए अलग कर देना असम्भव है । कोई भी पासपोर्ट प्रथा उन्हें अलग नहीं कर सकती । लोगों की रोज़ी के लिए यह ज़रूरी है कि उन के आने-जाने में कोई प्रतिबन्ध न हो । पूर्वी बंगाल के मुसलमान इस ओर आकर अंडे, मछली, तरकारियों, जूट इत्यादि बेचते हैं तथा इस ओर के व्यक्ति पूर्वी बंगाल में जा कर अपनी चीज़ें बेचते हैं । अतएव आर्थिक एवं सांस्कृतिक बन्धनों को देखते हुए हमारी सरकार को पाकिस्तान सरकार को इस प्रथा को बन्द कर देने को तैयार कर लेना चाहिये ।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल बहुत छोटा सा है और इस पर कुछ ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं ह । लेकिन एक आध बात जो मेरे दिल में आई, मैं समझता हूं कि वह ज़रा साफ़ कर दूं तो अच्छा हो । इस बिल का इतिहास तो आप को पता ही है कि सन् १९४९ में पहले एक ऐक्ट बना, उस के बाद १५ अक्तूबर, १९५२ को यह आर्डिनेंस हुआ और अब यह ऐक्ट बनने जा रहा है । जो रेफ़्यूजीज़ के इनफ़लक्स को कंट्रोल करने का आर्डिनेंस था, अब उसकी जगह यह मौजूदा ऐक्ट, जो पेश किया गया है, लेने जा रहा है । इस का इतिहास तो आप जानते ही हैं और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि उन्होंने इस बात की बहुत कोशिश की कि पासपोर्ट सिस्टम जारी न हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर इसरार किया कि पासपोर्ट सिस्टम जारी करना है । बाद में उस ने यह भी कहा कि पन्द्रह दिन और मुल्तवी कर दें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस से वहां पर जो हिन्दू हैं उन के दिल में एक मसमसा और घबराहट रहेगी, इसलिये जितनी जल्दी यह पासपोर्ट सिस्टम जारी हो जाये, उतना अच्छा होगा । वहां से लोग नहीं आयेंगे । और तसकीन से रहेंगे । मतलब इसका यह है कि हम नहीं चाहते थे कि यह पासपोर्ट सिस्टम जारी हो ।

अगर ऐसा हुआ तो यह हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ हुआ और बेहतर होता कि यह जारी न होता और सारा काम ऐसे ही चलता । हमारे दिल में यह सवाल पैदा होता है कि आख़िर कौन सी वजह हुई कि ऐसा हुआ ? यह बात क्यों हुई कि इन्फ़लक्स पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आये या वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल को जाय । यह हमारी पालिसी नहीं है । हम अपनी तरफ़ से हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, जैसी कि हमारी गवर्नमेंट की पालिसी है, मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूं कि एक्सचेंज आफ़ पापुलेशन हो । मैं इस के ख़िलाफ़ हूं कि हिन्दू यहां आयें और मुसलमान यहां से पाकिस्तान जायें । लेकिन बाज़ बातें हमारी कोशिशों के बावजूद भी हो जाती हैं । तो फिर हम क्यों करें ? मैं पूछता हूं कि अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी इन्फ़लक्स हमारे यहां आ जाता है तो हम क्या करेंगे । क्या हम इस बात को बुरा समझेंगे और कहेंगे कि आप लोगों ने कानून तोड़ा है, हम आप को सज़ा देंगे ? मैं समझता हूं कि हमारी गवनमेंट का ऐसा रवैया नहीं होगा कि वह उन से कहे कि तुम मुजरिम हो, तुम ने ऐक्ट को तोड़ा है, तुम को सज़ा होगी या कैद होगी या जुर्माना होगा । मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट का यह मतलब नहीं है और न हमारी गवर्नमेंट का यह मतलब हो सकता है । अगर ऐक्ट के ख़िलाफ़ भी यह बात जाती हो तो भी परवाह नहीं । हम ऐसे वक्त में यह कभी नहीं सोचेंगे कि उन्होंने ग़लत काम किया है । मैं तो कहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट अब तक करती रही है उन के बसाने

[लाला अचिन्त राम]

का इन्तज़ाम करेगी, उनके खाने का इन्तज़ाम करेगी, उन के गुनाहों को नहीं देखेगी । अगर इस वास्ते कोई यह सोचे कि यह अच्छा नहीं हुआ तो भी मैं कहता हूं कि हम इन्फ़लक्स नहीं चाहते, लेकिन जब वह आ गये तो उन का इन्तज़ाम तो हमें करना ही है । हमें उन के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करनी है, इसलिये इन्फ़लक्स को कंट्रोल करने की बात करने से तो वह ऐक्ट चलेगा ही नहीं । हमारा इंटर-प्रेटेशन दूसरा होगा । इसलिये इस बारे में वहां से आने वालों के रास्ते में कोई मजबूरियां न हों । ऐसी हालत में तो उन आदमियों की मुसीबतों को देख कर हमें उन के साथ हमदर्दी होगी । हम कोशिश करेंगे कि यह इन्फ़लक्स न हो और हमारी गवर्नमेंट, हमें उम्मीद है, इस में अवश्य कामयाब होगी कि हिन्दू हों या मुसलमान किसी को तंग या ज्यादती करने का मक़सद हमारी गवर्नमेंट का नहीं होगा ।

इतनी बात वाजेह कर के मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपसभापति महोदय, इस प्रस्ताव का विरोध हमारे सम्माननीय मित्र श्री गुहा ने किया है, इस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं । मुझे इस का पता नहीं कि समर्थन किया या विरोध किया परन्तु जो उन्होंने अखंड भारत की जयजयकार की उस के लिये मैं उन को हार्दिक बधाई देता हूं और यदि इस प्रस्ताव के साथ ही साथ सरकार की तरफ़ से नेहरू-लियाक़त पैक्ट की समाधि बनाने का प्रस्ताव भी आता तो अच्छा होता, ऐसा उन्हों ने कहा । मेरी समझ में इस बात में एक ही बात बुरी है और वह यह कि उन्होंने दफ़नाने की बात कही है । यह जो प्रथा है वह पाकिस्तान की और ईसाइयों की है, हिन्दुस्तान में तो चिता में जलाया जाता है । अगर इस पैक्ट को श्मशान में जलाया जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा मैं समझता हूं ।

उपसभापति महोदय, जब मैं इस प्रस्ताव को देखता हूं तो जिस प्रकार की भावनायें मेरे सम्माननीय मित्र श्री गुहा जी के हृदय में आईं, इसी प्रकार की भावनायें मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों के हृदयों में आई हैं चाहे वह किसी पक्ष का सदस्य हो । इस देश के टुकड़े होने के पश्चात् जैसी भावनायें आईं उसे देखते हुए तो मैं समझता हूं कि देश का विभाजन भी देश का द्रोह था । लेकिन उस समय मैं आशा करता था कि शायद उन विपत्तिग्रस्त लोगों को बचाया जायेगा । मुझे स्मरण है कि पंजाब में जब हत्याकांड हो रहा था, दिल्ली में जब हत्याकांड हो रहा था, तब हमारे प्रधान मन्त्री यहां चांदनी चौक में खड़े हो कर यह कहने लगे कि यदि दिल्ली और पंजाब में अत्याचार न होता तो मैं पश्चिमी पंजाब में फौजों को ले कर चला जाता और वहां के हिन्दुओं को बचाता । मैं कहना चाहता हूं कि उन के विचार को बंगाल के हिन्दुओं ने माना, उस सलाह के एक एक अक्षर का वह पालन कर रहे हैं जो कि नेहरू-लियाक़त पैक्ट में दी गई थीं । पाकिस्तान की तरफ़ से यह पैक्ट तोड़े जाने के पश्चात् भी जब इस सभा में हमारे मन्त्रिगण आते तो हम देखते हैं कि बंगाल के हिन्दुओं के साथ इतने अत्याचार किये जाने के बावजूद भी उन की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं करते । हम ने इन अत्याचारों के पश्चात् नेहरू-लियाक़त अली पैक्ट किया । और उस पैक्ट करने में कहा गया कि भारत में जो सम्प्रदाय-वाद है उस के कारण पाकिस्तान में इस प्रकार की बातें हुईं । इसलिये इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार तो हमारे खिलाफ़ है ही, हमारी सरकार भी हमारे खिलाफ़ है । पाकिस्तान में लियाक़त अली खां ने

कभी नहीं कहा कि मुसलिम लीग के कारण यह सब हो रहा है, नाजिम-उद्दीन भी ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन पंडित नेहरू को जो भ्रम सेकुलरिज्म का है, जो उन के दिल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का भ्रम है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि बंगाल में जो ७० लाख हिन्दू जनता है उस को बचाने के लिये कहना उस से सहानुभूति प्रकट करना यह भी उन को साम्प्रदायिकतावाद की बात मालूम होती है ।

हम समझते हैं कि यह धर्मान्धता है, साम्प्रदायिकता है, फ़िरक़ापरस्ती है । इस का विवेचन करने के लिये मैं यहां नहीं आया हूं । मैं सोचता हूं कि आज पूर्वी बंगाल के ५० या ६० लाख हिन्दुओं के जीवन की कोई सुरक्षितता नहीं है, उन की सम्पत्ति की सुरक्षितता नहीं है । हमारी देवियों के सम्मान और सतीत्व की सुरक्षितता नहीं है । उन को बचाने के लिये हम क्या कर सकते हैं यही हमारा सवाल है । अभी तक कम से कम एक सुविधा थी कि वहां से जो भाग कर यहां आना चाहता था वह आ सकता था लेकिन अब वह भी नहीं रही । पाकिस्तान ने मांग की कि परमिट सिस्टम हटा कर पासपोर्ट सिस्टम जारी कीजिये और हमारी सरकार ने इस को स्वीकार किया, और आज हमारी सरकार इस सदन में यह घोषित करने आई है कि इस के पश्चात् पाकिस्तान से आने के लिये पासपोर्ट लेना होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि इस के पश्चात् पाकिस्तान में जो हिन्दू जनता रहती है उस का बचाव हम नहीं कर सकेंगे । हमारे मित्र अचिन्तराम जी का हृदय बहुत कोमल है । उन्होंने बतलाया कि सेविंग क्लाज के अन्तर्गत जो लोग यहां आयेंगे उन को सजा नहीं दी जायेगी । लेकिन हम को पता नहीं कि सरकार के हृदय में क्या है । पाकिस्तान के साथ तो हमारी सरकार दुःखहारक, सुख कारक कोमल स्पर्श करने के लिये उत्सुक है, लेकिन जो हमारे हिन्दू शरणार्थी यहां आयेंगे उन को उसी प्रकार से सरकार का कोमल स्पर्श मिलेगा या नहीं इस का हम को पता नहीं है । चूंकि मैं सम्प्रदायवादी हूं इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि कम से कम जो हिन्दू यहां आयें उन को सजा न दी जाय । मुसलमानों के लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद में यह बात गलत हो सकती है । मैं सिर्फ़ यह कहूंगा कि सेविंग क्लाज़ के अन्तर्गत हिन्दुओं को सजा न दी जाय । मैंने देखा कि पंडित नेहरू ने उच्च स्वर से यह घोषणा की कि चाहे कोई भी मुझे दोष दे लेकिन मैं ऐपीजमेंट करूंगा, मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाता रहूंगा । पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे लेकिन मैंने जो वचन दिया है उस का प्रतिपालन करूंगा, रामचन्द्र और सत्य हरिश्चन्द्र के अनुसार जिस ने स्वप्न में भी दिया हुआ अपना वचन पूरा किया था, जो जो वचन मैं ने दिये हैं उन का पालन करूंगा । कहा जाता है कि अब पाकिस्तान से हिन्दुओं का आना बन्द हो गया है । पर मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ है । पाकिस्तान ने बीट आफ़ ड्रम से यह प्रचार किया था कि जो लोग हिन्दुस्तान में जायेंगे वह क़ैद कर लिये जायेंगे इसी कारण वह लोग यहां अब नहीं आ रहे हैं । हमारे यहां के प्रधान मन्त्री और कांग्रेस के सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि वहां पर हिन्दुओं का जीवन, उन की सम्पत्ति और सम्मान सुरक्षित नहीं है । इसलिये मैं अपनी सरकार से यह चाहता हूं कि वह केवल यही घोषित न करे कि जो हिन्दू पाकिस्तान से यहां आयेंगे उन को सजा नहीं दी जायेगी, बल्कि यह भी घोषित करें जो जो हिन्दू यहां आयेंगे उन को आने का खर्चा दिया जायेगा और उस के पश्चात् उन को बसाने की सारी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं । सरकार को यह घोषित करना चाहिये । पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई शर्त ऐसा करने में आप के रास्ते

[श्री वी० जी० देशपांडे]

में नहीं आ सकती । उपसभापति महोदय, हमारे विरोधी पूछेंगे कि इतने आदमियों को आप कैसे बसा सकेंगे, इस काम के लिये पैसे कहां से आयेंगे ? पर यह पैसे का सवाल मेरे सामने नहीं है । मैं तो सम्प्रदायवादी हूं । मैं तो उन मरने वालों को बचाना चाहता हूं । यह कहना मेरे लिये पाप समझा जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि वहां उन का जीवन, सम्पत्ति और सम्मान असुरक्षित है तो उन को बचाने के लिये आपको करोड़ों रुपया खर्च करना चाहिये । खादी के लिये आप एक-एक गज कपड़े पर तीन तीन पैसा कर लगाने को तैयार हैं लेकिन उन लोगों का जीवन बचाने के लिये आप टैक्स लगाने को तैयार नहीं हैं । चूंकि आपकी देशभक्ति दिखाई दे और देश पर खादी का राज्य रहे इसलिये आप गरीब आदमी पर एक गज कपड़े पर तीन पैसे कर लगाने को तैयार हैं परन्तु इन लोगों का जीवन बचाने के लिये कोई खर्च न पड़े ऐसा आप चाहते हैं । लेकिन इस के लिये मेरे पास एक रास्ता है और वह रास्ता बहुत साफ़ है । लोग पूछेंगे कि इतना पैसा कहां से आयेगा ? मेरा रास्ता तो यह है कि अगर वहां से ७० लाख हिन्दू आते हैं तो ७० लाख मुसलमान यहां से पाकिस्तान भेज दिये जायें और जो उन के मकान, दुकानें, और सम्पत्ति पर उन हिन्दुओं को बसाया जाय । यह रास्ता साफ़ है और मैं इसलिये इस को आप के सामने रखना चाहता हूं कि यही शान्ति का रास्ता है । पंडित नेहरू का और पाकिस्तान वालों का जो रास्ता है उस से खून की नदियां बह जायेंगी । इतिहास हम को इशारा दे रहा है । हम ने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है । जब पंजाब का विभाजन हुआ था तो डाक्टर अम्बेडकर और दूसरे लोग भी महात्मा गांधी जी के पास गये और बताया कि जब तक जनसंख्या का विनिमय न हो जाय और सम्पत्ति का विनिमय न हो जाय आप पाकिस्तान को स्वीकार न कीजिये । महात्मा जी ने और पंडित नेहरू ने कहा कि यह तो हम सोच भी नहीं सकते, इस का तो हम विचार भी नहीं कर सकते । उन्होंने इस पर विचार नहीं किया । उन के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की विजय हुई, लेकिन इतिहास ने बदला ले लिया और हमने देखा कि पंजाब में क्या हुआ और महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी जनसंख्या का विनिमय हो गया । आज भी मैं इतिहास का वही इशारा पंडित नेहरू को और कांग्रेस को देना चाहता हूं । पंजाब का इतिहास आप ने देख लिया । आप यह क्यों समझ रहे हैं कि जो पंजाब में हुआ था वह बंगाल में नहीं होगा । यह आप के मस्तिष्क में क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं । इतिहास ने आप को सन् ४७ में चेतावनी दी । सन् १९५० में दूसरा इशारा आप को दिया गया, सन् ५२ में तीसरा इशारा आप को मिला । लेकिन बुरवान के बारे में जैसा कहा जाता था "They have learnt nothing and they have forgotten nothing" न उन्होंने कुछ सीखा है न उन्हों ने कुछ भूला है । पंजाब के इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली है यह हम देख रहे हैं । हम जानते हैं कि यहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है । पंडित नेहरू इस देश में शान्ति रखेंगे और मैं भी चाहता हूं कि शान्ति रहे । आपने शान्ति रखने का व्रत तो ले लिया है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान यह व्रत न ले तो आप कब तक शान्ति रख सकेंगे । आपने देखा है कि पाकिस्तान में एक योजना के अनुसार हिन्दुओं का दमन हो रहा है । उस के फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक बार २७ लाख हिन्दू यहां आये, फिर १० लाख आये । इसी प्रकार से लाखों और आते जायेंगे ।

जब पाकिस्तान में इस प्रकार का आतंक चलता रहेगा और जब लाखों लोग यहां आ जायेंगे तो मैं नहीं समझता कि पंडित नेहरू का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद कब तक चलता रहेगा। मुझ से एक बार एक पुलिस अफ़सर ने पूछा कि बताइये कि पंजाब में मुसलमानों का कत्ल किस ने किया ? मैं ने जवाब दिया कि कांग्रेसवादियों ने किया। और दूसरा कौन करने वाला था।

५ म० प०

मैं ने उन को जवाब दिया कि सन् १९४५ के निर्वाचन के अन्दर इतने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। और बताने के लिये आप कहते हैं कि पंजाब में और हिन्दुस्तान में ९० फ़ी सदी जनता हमारे पीछे है। आप कहते हैं कि हिन्दू सभा तो जनता तक पहुंची नहीं है और देहात के अन्दर हिन्दू सभा पहुंची नहीं है। तो देहात के लोगों ने आ कर क़त्ल किये और खून की नदियां बहाईं हैं जो आप के पीछे हैं। कहने के लिये आप कहते हैं कि हिन्दू सभा और आर० एस० एस० संस्थायें इस के लिये जिम्मेवार हैं। शायद लियाक़त अली खां, वह तो अल्लाह के घर गये, लेकिन निजामुद्दीन साहब और बाक़ी दुनिया के सामने बताने के लिये आप कहते हैं कि आप इस प्रकार से यह काम नहीं करेंगे और खाली धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात चलाते रहेंगे तो जो शान्ति आप रखना चाहते हैं वह निर्माण नहीं होगी। इसके लिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो सेविंग क्लाज है, यह जो लोग अपनी जान बचाने के लिये आ रहे हैं उन पर नहीं लगना चाहिये आने वाले लोगों के लिये भी आप को उचित प्रबन्ध करना चाहिये। जो गरीब लोग वहां से यहां अपनी जान बचाने के लिये आते हैं उन का आप को प्रबन्ध करना चाहिये। ख़ाली रिपील करने से यह कार्य नहीं होगा।

इतना ही कह कर मैं इस विषय पर अपना मत प्रकट करता हूं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २८ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।